

लोक सभा

समाचार - भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 31 जनवरी, 2023/ 11 माघ, 1944 (शक)

संख्या 206

अपराहन 12.50 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

अपराहन 12.51 बजे

2. राष्ट्रपति का अभिभाषण - सभा पटल पर रखा गया

महासचिव ने 31 जनवरी, 2023 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष किए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

अपराहन 12.52 बजे

3. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री संतोख सिंह चौधरी, वर्तमान सदस्य और सोलहवीं लोक सभा के सदस्य; श्री बसवनगौड़ कोलूर, तेरहवीं लोक सभा के सदस्य; श्री सत्यनारायण कैकला, ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य; और श्री शरद यादव, पाँचवीं, छठी, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, तेरहवीं और पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्य के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अपराहन 12.54 बजे

4. अध्यक्ष द्वारा बधाई*

अध्यक्ष ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका में पहला आईसीसी अंडर-19 महिला टी-20 विश्व कप जीतने पर सभा की ओर से बधाई दी।

अपराहन 12.55 बजे

5. अध्यक्ष द्वारा घोषणा*

अध्यक्ष ने सदस्य पोर्टल के माध्यम से आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के डिजिटल-परिचालन के बारे में घोषणा की।

अपराहन 12.56 बजे

6. सभा पटल पर रखे गए पत्र

वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

1. आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23.
2. आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 - मुख्य बातें।
3. आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 - सांख्यिकीय परिशिष्ट।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

1. संघ सरकार - वर्ष 2021-2022 के लिए वित्त लेखे।
2. संघ सरकार - वर्ष 2021-2022 के लिए विनियोग लेखे (सिविल)।

अपराहन 12.57 बजे

(लोक सभा बुधवार, 01 फरवरी, 2023 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

लोक सभा

समाचार - भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 1 फरवरी, 2023/ 12 माघ, 1944 (शक)

संख्या 207

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. केन्द्रीय बजट - 2023-2024

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.26 बजे

2. राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सभा पटल पर रखे गए विवरण

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे:-

(एक) मध्यम-अवधि राजवित्तीय नीति सह राजवित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण; और

(दो) वृहत-आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण।

अपराह्न 12.27 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा घोषणा*

अध्यक्ष ने बजट दस्तावेजों की उपलब्धता के बारे में घोषणा की।

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराहन 12.28 बजे

4. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

वित्त विधेयक, 2023

अपराहन 12.29 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 2 फरवरी, 2023 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 2 फरवरी, 2023/ 13 माघ, 1944 (शक)

संख्या 208

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने जाम्बिया गणराज्य की नेशनल असेंबली की स्पीकर माननीय सुश्री नेली बुटेटे मुट्टी और जाम्बिया के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों, जो सम्मानित अतिथि के तौर पर भारत के दौरे पर थे, के स्वागत की घोषणा* की।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 1 लिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर सभा पटल पर रखा गया।

*(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई
तथा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)*

तारांकित प्रश्न संख्या 2 से 20 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराहन 2.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) वर्ष 2023-2024 के लिए नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 29 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(एक) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निधि नियम, 2016 जो 2 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1032(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (संशोधन) नियम, 2022 जो 19 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 29(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निधि (संशोधन) नियम, 2022 जो 24 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 389(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) (एक) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, रोहतक के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, रोहतक के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, बददी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, बददी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर - पुड़ी (विशाखापतनम) के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर - पुड़ी (विशाखापतनम) के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, पुदुचेरी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, पुदुचेरी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, दुर्ग के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, दुर्ग के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, कानपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, कानपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) (एक) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, भिवाड़ी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, भिवाड़ी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) गुजरात मेट्रो रेल लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) गुजरात मेट्रो रेल लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ग) (एक) मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जॉन बर्ला) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) चंडीगढ़ वक्फ़ बोर्ड, चंडीगढ़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) चंडीगढ़ वक्फ़ बोर्ड, चंडीगढ़ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. विधेयकों पर अनुमति

महासचिव ने 8 दिसंबर, 2022 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् सत्रहवीं लोक सभा के दसवें सत्र के दौरान संसद की सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 3 विधेयक सभा पटल पर रखे: -

1. संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022;
2. विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2022; और
3. विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2022.

(दो) महासचिव ने संसद की सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 5 विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित प्रतियाँ भी सभा पटल पर रखीं: -

1. वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022;
2. ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022;
3. नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022;
4. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022; और
5. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022.

6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रहलाद जोशी ने कार्य मंत्रणा समिति का उनतालीसवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री प्रिंस राज ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में समिति के 317वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 337वां प्रतिवेदन।
- (2) पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में समिति के 318वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 338वां प्रतिवेदन।

अपराहन 2.04 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने विवरण सभा पटल पर रखे:-

- 1) श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डेयरी अनुसंधान संस्थान एवं डेयरी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 2) श्री पी.पी. चौधरी द्वारा पाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पीएम श्री विद्यालयों की स्थापना के बारे में।
- 3) सुश्री दिया कुमारी द्वारा महाराणा प्रताप से संबंधित स्थलों को जोड़ने वाले 'प्रताप सर्किट' को विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 4) श्री नायब सिंह सैनी द्वारा तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (प्रसाद) योजना के अंतर्गत धार्मिक स्थलों को विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- 5) डॉ. (प्रो.) किरिट पी. सोलंकी द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के लिए आय की ऊपरी सीमा के मानदंड में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 6) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा हरदोई जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार सड़कों की गुणवत्ता और उनका रखरखाव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 7) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा चतरा-गया और बड़वाडीह-चिरमिरी रेल लाइन परियोजनाओं के निर्माण के बारे में।
- 8) श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे द्वारा महाराष्ट्र के लातूर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में तकनीकी खामियों के बारे में।
- 9) श्री बसंत कुमार पंडा द्वारा कालाहांडी जिले में राहुल उतई नदी बांध के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को स्वीकृति प्रदान किए जाने के बारे में।
- 10) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा सिद्धार्थ नगर जिले में बौद्ध संस्कृति एवं धरोहर संरक्षण केंद्र तथा एक कन्वेंशन सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 11) श्री राहुल कस्वां द्वारा राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा दावों के बारे में।
- 12) डॉ. कृष्ण पाल सिंह यादव द्वारा मध्य प्रदेश के गुना और शिवपुरी में डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्र की स्थापना के बारे में।
- 13) श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा गढ़चिरौली-चिमूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 14) डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन द्वारा कन्या-हत्या (फेमिसाइड) को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक अपराध के रूप में शामिल किए जाने के बारे में।
- 15) प्रो. सौगत राय द्वारा विचारधारा की भिन्नता के कारण फिल्म/डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंधित नहीं किए जाने के बारे में।
- 16) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा राज्यों को कोयला उगाही राशि जारी किए जाने के बारे में।
- 17) श्री श्याम सिंह यादव द्वारा उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अमृत योजना के अंतर्गत सीवर लाइनें बिछाए जाने के बारे में।

18) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा खड़गवासला बाँध के पश्चजल में प्रदूषण के बारे में।

अपराहन 2.05 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023/ 14 माघ, 1944 (शक)

संख्या 209

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 21 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.05 बजे स्थगित हुई
तथा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 22 से 40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी*

अध्यक्ष ने सदस्यों से प्रश्नकाल में व्यवधान उत्पन्न न करने और सभा में मर्यादा बनाए रखने का अनुरोध किया। उन्होंने सदस्यों से यह भी अपील की कि वे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा होने दें।

* पूर्वाह्न 11.03 बजे। मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराहन 2.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने महिला और बाल विकास मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 110 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) दत्तकग्रहण विनियम, 2022 जो 23 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 726(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श संशोधन नियम, 2022 जो 1 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 678(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 39 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना नियम, 2022 जो 22 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 898(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने रेल मंत्री; संचार मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्वनी वैष्णव) की ओर से वर्ष 2023-2024 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने वर्ष 2023-2024 के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 73 के अंतर्गत जारी महापत्तन प्राधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बोर्ड के सदस्य) नियम, 2022, जो 26 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

सं. सा.का.नि. 727(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) समुद्री नौचालन सहायता अधिनियम, 2021 की धारा 24 की उप-धारा (1) और 32 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 3641(अ) जो 2 अगस्त, 2022 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों के जलयानों द्वारा संदाय की जाने वाली समुद्री सहायता की दरों को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) समुद्री नौचालन सहायता अधिनियम, 2021 की धारा 17 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 5055(अ) जो 2 अगस्त, 2022 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा समुद्री नौचालन सहायता के बकायों के संदाय से छूट प्राप्त जलयानों की सूची को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (क) (एक) सागरमाला डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) सागरमाला डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) कामराजर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) कामराजर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ग) (एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (5) उपर्युक्त (4) की मद सं.(क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन प्राधिकरण, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(18) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-22 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) संघ राज्यक्षेत्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) संघ राज्यक्षेत्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) इंडिया सेंटर फॉर माईग्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) इंडिया सेंटर फॉर माईग्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) वर्ष 2023-2024 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (3) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) ने वर्ष 2023-2024 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 347 की उप-धारा (4) के अंतर्गत छावनी भूमि प्रशासन (संशोधन) नियम, 2022 जो 1 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 18(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) हिंदुस्तान ऐयरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-23 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (दो) रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच वर्ष 2022-23 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (तीन) भारत डायनामिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-23 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) बीईएमएल लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बीईएमएल लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) बीईएल ऑप्ट्रोनिक डिवाइसेस लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बीईएल ऑप्ट्रोनिक डिवाइसेस लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) (एक) सेंटर फॉर ज्वाइंट वारफेयर स्टडीज़, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर ज्वाइंट वारफेयर स्टडीज़, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) सेंटर फॉर वारफेयर स्टडीज़, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर वारफेयर स्टडीज़, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 की धारा 36 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान (संशोधन) परिनियम, 2022 जो 13 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 694(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान (संशोधन) परिनियम, 2022 जो 27 अगस्त, 2022 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 113 में प्रकाशित हुए थे।
- (2) राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 की धारा 30ड. के अंतर्गत जारी परिषद (राष्ट्रीय राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान) नियम, 2022 जो 1 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 408(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।
- (3) राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. राजकुमार रंजन सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) कैम्पस डवलपमेंट प्रोजेक्ट, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) कैम्पस डवलपमेंट प्रोजेक्ट, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) रिसर्च एण्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के

- वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रिसर्च एण्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) भारतीय वैश्विक परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय वैश्विक परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय वैश्विक परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) नई दिल्ली क्षय रोग केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नई दिल्ली क्षय रोग केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, जेएसएस आर्थिक अनुसंधान संस्थान, धारवाड़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, जेएसएस आर्थिक अनुसंधान संस्थान, धारवाड़ के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ट्रस्ट संस्थान, डिंडीगुल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ट्रस्ट संस्थान, डिंडीगुल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 56 के अंतर्गत राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम- बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी (बी.एच.एम.एस)

विनियम, 2022 जो 7 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 3-34/2021/एनसीएच/एचईबी/सीसी/ 10758 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) (एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराहन 2.04 बजे

5. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने 6 फरवरी, 2023 से आरंभ हो रहे सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

6. प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि यह सभा 2 फरवरी, 2023 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 39वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 2.05 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने विवरण सभा पटल पर रखे:-

- (1) श्री रवि किशन द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डेयरी अनुसंधान संस्थान तथा क्षेत्रीय वाणिज्यिक डेयरी फार्मिंग प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा गया से डाल्टनगंज तक रेल सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री अरुण कुमार सागर द्वारा शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डभौरा रेलवे समपार संख्या 334-बी पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किए जाने के बारे में।
- (4) श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा देश में जनसंख्या नियंत्रण हेतु अतिरिक्त विधिक प्रावधान किए जाने के बारे में।
- (5) श्री खगेन मुर्मु द्वारा मालदा टॉउन रेलवे स्टेशन को एक मॉडल रेलवे स्टेशन बनाए जाने एवं वहां वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव दिए जाने के साथ-साथ मालदा टॉउन रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली एवं बेंगलूर तक ट्रेन सेवाएं आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के सीतामढ़ी जिले में मनुषमारा नदी पर पुल का निर्माण किए जाने के बारे में।
- (7) श्री एंटो एन्टोनी द्वारा सबरी रेलवे लाइन परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में।
- (8) श्री टी.एन. प्रथापन द्वारा देश के सामुदायिक रेडियों केंद्रों की फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ाए जाने के बारे में।
- (9) श्री गौरव गोगोई द्वारा सीमा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के बारे में।
- (10) श्री सी. एन. अन्नादुरई द्वारा तिरुपत्तुर एवं जोलारपेट्टई रेलवे स्टेशनों के विकास और वहाँ रेलगाड़ियों के ठहराव के बारे में।
- (11) श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा पश्चिम बंगाल के जयनगर और मैपीठ (कुलताली ब्लॉक) के बीच रेल सेवा शुरू किए जाने के बारे में।
- (12) श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (13) श्री पी.आर. नटराजन द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण सिविल सेवा परीक्षा में अपने अंतिम अवसर का लाभ न उठा पाने वाले सिविल सेवा आकांक्षियों को एक और अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के बीमा दावों के समयबद्ध निस्तारण के बारे में।

अपराहन 2.06 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा सोमवार, 6 फरवरी, 2023 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 6 फरवरी, 2023/ 17 माघ, 1944 (शक)

संख्या 210

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने भूटान की नेशनल असेंबली के स्पीकर महामहिम श्री वांगचुक नामग्याल और भूटान के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों, जो सम्मानित अतिथि के तौर पर भारत के दौरे पर थे, के स्वागत की घोषणा* की।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 41 लिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 41 का उत्तर सभा पटल पर रखा गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.06 बजे स्थगित हुई

तथा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 42 से 60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 461 से 690 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

4. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी#

अध्यक्ष ने सदस्यों से सभा में मर्यादा बनाए रखने और प्रश्न काल को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की।

अपराहन 2.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) कंपनी सचिव (परिषद के लिए निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 2022 जो 8 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 866(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) सितम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. 1 जो 7 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा नई परिषद और क्षेत्रीय परिषदों, 2022 के गठन के लिए निर्वाचन को अधिसूचित किया गया है।
- (2) (एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, नई दिल्ली के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

पूर्वाहन 11.03 बजे। मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

- (एक) का.आ. 5481 (अ) जो 31 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र से राख के उपयोग को अधिसूचित किया गया है।
- (दो) का.आ. 5946 (अ) जो 20 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के गठन को अधिसूचित किया गया है।
- (2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) संकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) संशोधन नियम, 2022, जो 21 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 593(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) संकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) दूसरा संशोधन नियम, 2021, जो 15 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 798(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (3) उपर्युक्त (2) की मद सं. (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) केंद्रीय चिडियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केंद्रीय चिडियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (2) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ((हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिक्का निर्माण (श्री अरविन्द की 150वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2022 जो दिनांक 9 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 869(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिक्का निर्माण (राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना के 75 वर्ष होने के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023 जो दिनांक 25 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 51(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (2) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.5543 (अ) जो 30 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) 1 दिसम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या 101/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ.5869 (अ) जो 15 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) 15 दिसम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या 109/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) पोस्ट द्वारा निर्यात (संशोधन) विनियम, 2022 जो दिनांक 10 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 873(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) डाक निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2022 जो दिनांक 10 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 874(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 904(अ) जो दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारत-आस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के संबंध में प्रशुल्क छूटों के पहले भाग को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 906(अ) जो दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 जून, 2011 की अधिसूचना सं. 46/2011-सीमाशुल्क को संशोधित करना है तथा

एक व्याख्यात्मक जापन।

- (नौ) सा.का.नि. 908(अ) जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारत-आस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के संबंध में प्रशुल्क छूटों के दूसरे भाग को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दस) सा.का.नि. 909(अ) जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 13 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना सं. 48/2011-सीमाशुल्क और 13 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना सं. 49/2011-सीमाशुल्क को संशोधित करना है ताकि विनिर्दिष्ट खाद्य तेलों और दालों पर वर्तमान छूट आयात शुल्कों को 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (ग्यारह) सा.का.नि. 22(अ) जो दिनांक 13 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा भारत में आयातित किए जाने वाले कोविड-19 टीकों को, उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के पूर्ण शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(3) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) सा.का.नि. 890(अ) जो 20 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अद्यतन अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "स्टेनलेस-स्टील सीमलेस ट्यूब्स एण्ड पाइप्स" के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दो) सा.का.नि. 905(अ) जो 27 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अद्यतन अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "सेमी-फिनिस्ड ऑपथैलमिक लेंसेस" के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तीन) सा.का.नि. 914(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बांग्लादेश और नेपाल से उद्भूत या वहां से निर्यातित "जून यार्न/ट्वाइन (मल्टीपल फोल्डेड/केब्ल्ड और एकल), हेसियन फेब्रिक, जूट सेकिंग बैग्स और जूट सेकिंग क्लॉथ से बने जूट उत्पादों" के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (चार) सा.का.नि. 12(अ) जो 6 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित और भारत में 9 जुलाई, 2023 तक आयातित "फिशिंग नेट" के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (पांच) सा.का.नि. 893(अ) जो 21 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना सं. 2/2022-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि डीजीटीआर अनुशंसा के अनुपालन में उत्पादक "मेसर्स कोबेलको एण्ड मेटेरियल्स कॉर्प

- ट्यूब्स (थाइलैंड) को., लि." का नाम परिवर्तित करके केएमसीटी (थाइलैंड) को., लि. किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि. 4 (अ) जो दिनांक 2 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विमानन टर्बाइन ईंधन के निर्यात और पेट्रोल कूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने के लिए 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दो) सा.का.नि. 5 (अ) जो दिनांक 2 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने के लिए 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 04/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तीन) सा.का.नि. 23 (अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विमानन टर्बाइन ईंधन के निर्यात और पेट्रोल कूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने के लिए 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (चार) सा.का.नि. 24 (अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने के लिए 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 04/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (5) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत धन-शोधन निवारण (रिकार्डों का रख-रखाव) संशोधन नियम, 2022 जो 14 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 575(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (6) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) संशोधन आदेश, 2022 जो 27 अक्टूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 792(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दो) का.आ. 4427 (अ) जो 22 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कतिपय पदार्थों, लवणों और निर्मितियों को विनिर्मित औषधों के रूप में अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

- (तीन) का.आ. 4428 (अ) जो 22 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मनःप्रभावी पदार्थों की सूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (चार) का.आ. 4429 (अ) जो 22 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 अक्टूबर, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 1055 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (पांच) का.आ. 5318 (अ) जो 16 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कतिपय पदार्थों, लवणों और निर्मितियों को विनिर्मित औषधों के रूप में अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (छह) का.आ. 5319 (अ) जो 16 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मनःप्रभावी पदार्थों की सूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (सात) का.आ. 5320 (अ) जो 16 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 अक्टूबर, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 1055 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (7) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि. 877 (अ) जो 13 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय तमिलनाडु के कतिपय जिलों में व्यापार के प्रमुख स्थान वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए नवम्बर, 2022 के लिए प्ररूप जीएसटीआर1 प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तारीख को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दो) केंद्रीय माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2022 जो 26 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 902(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तीन) सा.का.नि. 903(अ) जो 26 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है कि केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के उप-नियम (4क) के उपबंध गुजरात राज्य के अलावा अन्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में लागू नहीं होंगे तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (चार) सा.का.नि. 916(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17.12.2022 को हुई जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक द्वारा यथाअनुशंसित वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017-केंद्रीय कर

(दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(पांच) सा.का.नि. 919(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17.12.2022 को हुई जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक द्वारा यथाअनुशंसित वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 02/2017-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(छह) सा.का.नि. 922(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17.12.2022 को हुई जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक द्वारा यथाअनुशंसित वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 04/2017-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(सात) सा.का.नि. 926(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17.12.2022 को हुई जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक द्वारा यथाअनुशंसित वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 12/2017-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(8) भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड तथा वित्त मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-23 के लिए हुए समझौता जापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 तथा प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 की धारा 31 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 1 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/91 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) प्रतिभूति संविदा (विनियम) (स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लीयरिंग कारपोरेशन) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 12 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/93 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (बोर्ड बैठकों के लिए प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 9 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/110 में प्रकाशित हुए थे।

(11) (एक) अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (13) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि. 917(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17.12.2022 को हुई जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक द्वारा यथाअनुशंसित वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दो) सा.का.नि. 920(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17.12.2022 को हुई जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक द्वारा यथाअनुशंसित वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 02/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तीन) सा.का.नि. 923(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17.12.2022 को हुई जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक द्वारा यथाअनुशंसित वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 04/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (चार) सा.का.नि. 927(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17.12.2022 को हुई जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक द्वारा यथाअनुशंसित वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 09/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (14) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि. 918(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17.12.2022 को हुई जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक द्वारा यथाअनुशंसित वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दो) सा.का.नि. 921(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17.12.2022 को हुई जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक द्वारा यथाअनुशंसित वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 02/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तीन) सा.का.नि. 924(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17.12.2022 को हुई जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक द्वारा यथाअनुशंसित वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 04/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(चार) सा.का.नि. 928(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17.12.2022 को हुई जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक द्वारा यथाअनुशंसित वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 12/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चन्द्रशेखर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी, गंगटोक के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी, गंगटोक के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका सिंह सरुता) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) रामकृष्ण मिशन, नरोत्तम नगर, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रामकृष्ण मिशन, नरोत्तम नगर, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) रामकृष्ण शारदा मिशन, खोंसा, तिरप, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रामकृष्ण शारदा मिशन, खोंसा, तिरप, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) द हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) द हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) द इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी एंड ट्राइबल कल्चरल सोसाइटी (आईएसबीपी एंड टीसीएस), लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) द इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी एंड ट्राइबल कल्चरल सोसाइटी (आईएसबीपी एंड टीसीएस), लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) (एक) द रिनचेन जांगपो सोसायटी फॉर स्पीति डेवलपमेंट, लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) द रिनचेन जांगपो सोसायटी फॉर स्पीति डेवलपमेंट, लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) राजस्थान बाल कल्याण समिति, उदयपुर, राजस्थान, के वर्ष 2016-2017 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राजस्थान बाल कल्याण समिति, उदयपुर, राजस्थान, के वर्ष 2016-2017 से 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) वनस्थली विद्यापीठ, टोंक, राजस्थान, के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वनस्थली विद्यापीठ, टोंक, राजस्थान, के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) ग्रामीया मक्कल अबिरुधि इयक्कम, कोयम्बटूर, तमिलनाडु के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ग्रामीया मक्कल अबिरुधि इयक्कम, कोयम्बटूर, तमिलनाडु के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) भारत सेवाश्रम संघ औरंगाबाद, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारत सेवाश्रम संघ औरंगाबाद, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) भारत सेवाश्रम संघ बालुरघाट, दक्षिण, दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल, के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारत सेवाश्रम संघ बालुरघाट, दक्षिण, दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) भारत सेवाश्रम संघ बेलडांगा, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020

- के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारत सेवाश्रम संघ बेलडांगा, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2017-2018 और 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) भारत सेवाश्रम संघ मुलुक बोलपुर, बीरभूम, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारत सेवाश्रम संघ मुलुक बोलपुर, बीरभूम, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) भारत सेवाश्रम संघ कुसुरिया शाखा, नादिया, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारत सेवाश्रम संघ कुसुरिया शाखा, नादिया, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) गोहलडीहा जाति उपजाति ब्लू बर्ड वुमेन्स वेलफेयर सेंटर, झारग्राम, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) गोहलडीहा जाति उपजाति ब्लू बर्ड वुमेन्स वेलफेयर सेंटर, झारग्राम, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, कुनोर, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारत सेवाश्रम संघ, कुनोर, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) उत्तर प्रदेश वनवासी सेवा संस्थान, पलिया कलां खीरी, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) उत्तर प्रदेश वनवासी सेवा संस्थान, पलिया कलां खीरी, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (18) (एक) खांडेराव एजुकेशन सोसाइटी, धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) खांडेराव एजुकेशन सोसाइटी, धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) राजेन्द्र आश्रम ट्रस्ट, जिला झबुआ, मध्य प्रदेश के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राजेन्द्र आश्रम ट्रस्ट, जिला झबुआ, मध्य प्रदेश के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) संधि निकेतन शिक्षण संस्था, वडगांव जिला नांदेड, महाराष्ट्र के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) संधि निकेतन शिक्षण संस्था, वडगांव जिला नांदेड, महाराष्ट्र के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) सव्य सांची सेंटर फॉर अर्बन एण्ड रूरल डेवलपमेंट, सीधी, मध्य प्रदेश के वर्ष 2016-2017 से 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सव्य सांची सेंटर फॉर अर्बन एण्ड रूरल डेवलपमेंट, सीधी, मध्य प्रदेश के वर्ष 2016-2017 से 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) श्री गणेश फाउंडेशन, धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) श्री गणेश फाउंडेशन, धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (24) (एक) चांदराई महिला मंडल, धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चांदराई महिला मंडल, धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) श्री कोटूलेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल कोतूल, महाराष्ट्र के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) श्री कोटूलेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल कोतूल, महाराष्ट्र के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) श्री स्वामी स्वयं सेवा भावी संस्था, धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) श्री स्वामी स्वयं सेवा भावी संस्था, धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) मिशन फाउंडेशन मूवमेंट, मिजोरम के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मिशन फाउंडेशन मूवमेंट, मिजोरम के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) वसंथा लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट एण्ड रिसर्च सेंटर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वसंथा लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट एण्ड रिसर्च सेंटर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) डॉ. अंबेडकर मिशन, असम के वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) डॉ. अंबेडकर मिशन, असम के वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) बंधेवल शिक्षा समिति, मध्य प्रदेश के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बंधेवल शिक्षा समिति, मध्य प्रदेश के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (31) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, दुमका, झारखंड के वर्ष 2017-2018 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारत सेवाश्रम संघ, दुमका, झारखंड के वर्ष 2017-2018 और 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, (पाकुड़), झारखंड के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारत सेवाश्रम संघ, (पाकुड़), झारखंड के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, (सोनारी), पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारत सेवाश्रम संघ, (सोनारी), पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, (रांची यूनिट), झारखण्ड के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारत सेवाश्रम संघ, (रांची यूनिट), झारखण्ड के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) आर.के मिशन टीबी सेनेटोरियम, रांची, झारखण्ड के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) आर.के मिशन टीबी सेनेटोरियम, रांची, झारखण्ड के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) (एक) क्रिस्चियन ग्रामर स्कूल, मणिपुर के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) क्रिस्चियन ग्रामर स्कूल, मणिपुर के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) सिआमसिनपालपी, मणिपुर के वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सिआमसिनपालपी, मणिपुर के वर्ष 2017-2018 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) आर.के. मिशन आश्रम, चेरापूजी, मेघालय के वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) आर.के. मिशन आश्रम, चेरापूजी, मेघालय के वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एण्ड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मणिपुर के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एण्ड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मणिपुर के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, नवसारी, गुजरात के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारत सेवाश्रम संघ, नवसारी, गुजरात के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) (एक) स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, मैसूर, कर्नाटक के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, मैसूर, कर्नाटक के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) (एक) विवेकानंद गिरिजन कल्याण केंद्र, चामराजनगर, कर्नाटक के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विवेकानंद गिरिजन कल्याण केंद्र, चामराजनगर, कर्नाटक के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) संकल्प, कटक, ओडिशा के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) संकल्प, कटक, ओडिशा के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार

द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (44) (एक) श्री रामकृष्ण आश्रम, कालाहांडी, ओडिशा के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) श्री रामकृष्ण आश्रम, कालाहांडी, ओडिशा के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) (एक) होली होम, जिला नौपद, ओडिशा के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) होली होम, जिला नौपद, ओडिशा के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) (एक) निखिल उत्कल हरिजन आदिवासी सेवा संघ, भुवनेश्वर, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) निखिल उत्कल हरिजन आदिवासी सेवा संघ, भुवनेश्वर, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) (एक) सर्वोदय समिति, कोरापुट, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्वोदय समिति, कोरापुट, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) (एक) कोरापुट डेवलपमेंट फाउण्डेशन, कोरापुट, ओडिशा के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कोरापुट डेवलपमेंट फाउण्डेशन, कोरापुट, ओडिशा के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) उपर्युक्त (1) से (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले अड़तालीस विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) की ओर से वर्ष 2023-2024 के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपूर्णा देवी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) समग्र शिक्षा संबंधी हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, पंचकूला के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) समग्र शिक्षा संबंधी हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, पंचकूला के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा

- की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) समग्र शिक्षा, सिक्किम राज्य के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) समग्र शिक्षा, सिक्किम राज्य के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) समग्र शिक्षा, पुदुचेरी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समग्र शिक्षा, पुदुचेरी के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) समग्र शिक्षा, यूटी मिशन प्राधिकरण, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समग्र शिक्षा, यूटी मिशन प्राधिकरण, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) राष्ट्रीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) भारतीय पाककला संस्थान, तिरुपति के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय पाककला संस्थान, तिरुपति के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2014-2015 से 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2014-2015 से 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण को दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रिजन), कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रिजन), कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (10) केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (11) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
 (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट, कालीकट के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट, कालीकट के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (दो) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) मिजोरम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा 46 की उप-धारा (2) के अंतर्गत मिजोरम विश्वविद्यालय (संशोधन) परिनियम, 2022 जो 11 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 5-40/ईएसटीटी/19/4 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (19) (एक) हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू) वाराणसी, वाराणसी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू) वाराणसी, वाराणसी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू) वाराणसी, वाराणसी के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोट्टायम, कोट्टायम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोट्टायम, कोट्टायम के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर, जमशेदपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर, जमशेदपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) नागालैंड विश्वविद्यालय के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (28) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रायचूर, रायचूर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रायचूर, रायचूर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रायचूर, रायचूर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सोनीपत, सोनीपत के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सोनीपत, सोनीपत के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, इलाहाबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, इलाहाबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, इलाहाबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद, धनबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, बरहमपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, बरहमपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (57) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (59) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा, गोवा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा, गोवा के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (61) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की समेकित समीक्षा* की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) यूनाइटेड इंडिया इश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) यूनाइटेड इंडिया इश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114क(3) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

* वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे 19.12.2022 को सभा पटल पर रखे गये थे।

- (एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनियामक सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 6 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीएआई/आरईजी/3/182/2022 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 6 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीएआई/आरईजी/4/183/2022 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022 जो 9 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीएआई/आरईजी/5/184/2022 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 6 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीएआई/आरईजी/6/185/2022 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियों, देयताएं और शोधन-क्षमता मार्जिन) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 6 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीएआई/आरईजी/8/186/2022 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अन्य प्रकार की पूंजी) विनियम, 2022 जो 6 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीएआई/आरईजी/8/187/2022 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2022 जो 6 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीएआई/आरईजी/9/188/2022 में प्रकाशित हुए थे।

* वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) की ओर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1)* अधिसूचना सं. 06/2023-केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो दिनांक 3 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विमानन टर्बाइन ईंधन के निर्यात और पेट्रोल क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (2)* अधिसूचना सं. 07/2023-केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो दिनांक 3 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने के लिए 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 04/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

* अपराहन 2.04 बजे रखे गए।

अपराहन 2.05 बजे

6. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने विवरण सभा पटल पर रखे:-

- 1) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा गोपालगंज और पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के बीच एक नई डेम् रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 2) श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे द्वारा लातूर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने के बारे में।
- 3) श्री सत्यदेव पचौरी द्वारा देश में बढ़ते वायु प्रदूषण पर रोक लगाने की आवश्यकता के बारे में।
- 4) श्रीमती केशरी देवी पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक्यूपेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान को एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 5) श्री विवेक नारायण शेजवलकर द्वारा ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं में सुधार के बारे में ।
- 6) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में एक रिंग रोड़ के निर्माण के बारे में।
- 7) श्री प्रवेश साहिब सिंह द्वारा दिल्ली में पानी की कमी के बारे में।
- 8) श्री कृष्ण पाल सिंह यादव द्वारा मध्य प्रदेश में देहरदा चौराहा से बंगला चौराहे तक एक चार लेन की सड़क बनाने और राज्य के अशोक नगर को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की आवश्यकता के बारे में ।
- 9) श्रीमती रीती पाठक द्वारा सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में अपने पर्यावास से विस्थापित होने वाले ग्राम पंचायत के लोगों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिए जाने के बारे में।
- 10) श्रीमती जसकौर मीना द्वारा राजस्थान में सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया के बारे में।
- 11) श्रीमती रंजीता कोली द्वारा भरतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कथित अवैध खनन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता की जाँच और आंगनवाड़ी केन्द्रों की जानकारी माँगे जाने के बारे में।
- 12) श्री दीपक बैज द्वारा जगदलपुर रेलवे स्टेशन पर एक वाशिंग लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 13) श्री रवनीत सिंह द्वारा पंजाब में अनेक विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में मादक पदार्थों संबंधी गतिविधियां होने के बारे में।
- 14) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा आरामबाग में तारकेश्वर के पास एक रेल उपरि पुल (आरओबी) के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत किए जाने के बारे में।
- 15) श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह ऊर्फ पवन राजेनिंबालकर द्वारा महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 548सी को चार लेन में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 16) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा ट्रेन संख्या 03271/72, 03395/96 और 03631/32 के यात्री किराए में वृद्धि और नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल संबंधी अन्य मुद्दों के बारे में।

- 17) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा महानदी कोल फील्ड्स में हांडीधुआ और देउलबेरा खानों की बैकफिलिंग के बारे में।
- 18) श्रीमती संगीता आज़ाद द्वारा आजमगढ़ जिले के सर्वांगीण विकास के लिए एक ब्लू प्रिन्ट तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 19) श्री प्रिंस राज द्वारा समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पुलों के निर्माण के बारे में।
- 20) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा बारामती में एक सर्विस रोड के निर्माण के लिए बारामती नगर परिषद के प्रस्ताव के बारे में।

अपराहन 2.07 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा मंगलवार, 7 फरवरी, 2023 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 7 फरवरी, 2023/ 18 माघ, 1944 (शक)

संख्या 211

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 61 लिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 61 का उत्तर सभा पटल पर रखा गया।

*(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई
तथा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)*

तारांकित प्रश्न संख्या 62 से 80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 691 से 920 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अध्यक्ष द्वारा दुःखद घटना के बारे में उल्लेख*

अध्यक्ष ने 6 फरवरी, 2023 को तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकम्प के कारण बड़े पैमाने पर हुए जानमाल के नुकसान का उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

* मध्याह्न 12.00 बजे। मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराहन 12.02 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने ग्रामीण विकास मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्री (श्री गिरिराज सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की अनुदानों की विस्तृत मांगें (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) पंचायती राज मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की अनुदानों की विस्तृत मांगें (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) पंचायती राज मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संसदीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (क) (एक) मैसर्स रिचर्डसन एण्ड कूडास (1972) लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) मैसर्स रिचर्डसन एण्ड कूडास (1972) लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (घ) (एक) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) नेपा लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) नेपा लिमिटेड, नेपानगर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, रांची के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, रांची का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) नेशनल बाइसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) नेशनल बाइसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (झ) (एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (घ) से (च) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) केंद्रीय विनिर्माणकारी प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केंद्रीय विनिर्माणकारी प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आणंद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आणंद के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (वित्तीय सलाहकार) भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 जो 19 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.886(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 जो 19 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.887(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (2) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (नकदी परिवहन कार्यकलापों हेतु प्राइवेट सुरक्षा) नियम, 2021 जो 4 मई, 2021 के अंडमान और निकोबार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 62/2021/एफ.सं.45-230/2019-गृह में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (नकदी परिवहन कार्यकलापों हेतु प्राइवेट सुरक्षा) नियम, 2020 जो 10 दिसम्बर, 2020 के दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1/गृह/293/पीएसए(पीएसटीसीए)मॉडल नियम-2018/20-21/922 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) लोक सभा के पटल पर रखने के लिए सांविधिक रूप में असम राइफल्स विनियम न बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय समूह 'क' और समूह 'ख' पद (गैर-युद्धक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 जो 30 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.667(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सीमा सुरक्षा बल ट्रेड्समैन काडर (युद्धक, गैर-राजपत्रित) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2022 जो 14 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.696(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (8) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, (युद्धक पैरा-मेडिकल काडर) भर्ती नियम, 2022 जो 23 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.841(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, (युद्धक पैरा-मेडिकल काडर), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2022 जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.915(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक उप-निरीक्षक (भेषजी) पशु चिकित्सा, समूह 'ग' (युद्धक) पद, भर्ती नियम, 2022 जो 5 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.10(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) और उप-निरीक्षक (हिंदी अनुवादक), समूह 'ख', राजभाषा संवर्ग पद, भर्ती नियम, 2022 जो 3 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.173(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस आवासन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (आठवां संशोधन) आदेश, 2022 जो 1 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 5573(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड-चैन डवपलमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड-चैन डवपलमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2022 जो 22 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.4477(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का.आ. 4475(अ) जो 22 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित, इष्टमीकृत उर्वरकों के विशिष्टकरणों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है तथा जिसका एक शुद्धिपत्र (केवल हिंदी संस्करण), जो 20 अक्टूबर, 2022 को अधिसूचना सं. का.आ.4941(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(4) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 3908(अ), जो 22 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कीटनाशी अधिनियम, 1968 की अनुसूची में, उसमें उल्लिखित, नए कीटनाशकों को सम्मिलित किया जाना अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 25 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 846(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) प्रोटेक्शन ऑफ प्लान्ट वैरायटीज एण्ड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) प्रोटेक्शन ऑफ प्लान्ट वैरायटीज एण्ड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) प्रोटेक्शन ऑफ प्लान्ट वैरायटीज एण्ड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) हरियाणा एगो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हरियाणा एगो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) महाराष्ट्र एगो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) महाराष्ट्र एगो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (13) उपर्युक्त (12) की मद सं. (क) से (ग) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-23 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-
- (1) (एक) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नारायणस्वामी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी :-

(1) वर्ष 2023-2024 के लिए गृह मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खण्ड-एक)।

(2) वर्ष 2023-2024 के लिए गृह मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खण्ड-दो)।

(3) वर्ष 2023-2024 के लिए गृह मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नारायणस्वामी) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री प्रतिमा भौमिक) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद विजुअल डिसेबिलिटीज (दिव्यांगजन), देहरादून के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद विजुअल डिसेबिलिटीज (दिव्यांगजन), देहरादून के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कटक के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कटक के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्संस विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एण्ड मल्टिपल डिसेबिलिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्संस विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एण्ड मल्टिपल डिसेबिलिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज (दिव्यांगजन), सिकंदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज (दिव्यांगजन), सिकंदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैल्थ रिहैबिलिटेशन, सीहोर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैल्थ रिहैबिलिटेशन, सीहोर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) ऑफिस ऑफ द चीफ कमीशनर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज (दिव्यांगजन), नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑफिस ऑफ द चीफ कमीशनर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज (दिव्यांगजन), नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में व्याख्यात्मक जापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गर्इ-कार्रवाई के बारे में व्याख्यात्मक जापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) अचीवमेंट ऑफ राइजिंग मैडेन, इम्फाल वेस्ट, मणिपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अचीवमेंट ऑफ राइजिंग मैडेन, इम्फाल वेस्ट, मणिपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (13) (एक) अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) साधना सोसायटी फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) साधना सोसायटी फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) आल इण्डिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस, बरहमपुर, ओडिशा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) आल इण्डिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस, बरहमपुर, ओडिशा के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) सूर्य किरण पैरेंट्स एसोसिएशन फॉर वेलफेयर ऑफ दी मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, गुंटूर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सूर्य किरण पैरेंट्स एसोसिएशन फॉर वेलफेयर ऑफ दी मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, गुंटूर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थौबल, मणिपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थौबल, मणिपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) अलकेंदु बोध निकेतन रेजिडेंसियल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अलकेंदु बोध निकेतन रेजिडेंसियल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) क्षेत्रीय पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र, राउरकेला, ओडिशा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) क्षेत्रीय पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र, राउरकेला, ओडिशा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड बॉयज एकेडमी, नरेन्द्रपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड बॉयज एकेडमी, नरेन्द्रपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) उत्तर प्रदेश मूक बधिर विद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) उत्तर प्रदेश मूक बधिर विद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) महाराजा कृष्ण चन्द्र गजपति स्कूल फॉर द ब्लाइंड एंड डैफ, ओडिशा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) महाराजा कृष्ण चन्द्र गजपति स्कूल फॉर द ब्लाइंड एंड डैफ, ओडिशा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) स्नेहा सोसाइटी फॉर रुरल रिकन्स्ट्रक्शन, निजामाबाद, तेलंगाना के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्नेहा सोसाइटी फॉर रुरल रिकन्स्ट्रक्शन, निजामाबाद, तेलंगाना के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) सोसाइटी ऑफ कृस्ट ज्योति, नव वाणी स्कूल फॉर द डैफ, वाराणसी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सोसाइटी ऑफ कृस्ट ज्योति, नव वाणी स्कूल फॉर द डैफ, वाराणसी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) नेशनल रुरल डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन, भुवनेश्वर, ओडिशा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल रुरल डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन, भुवनेश्वर, ओडिशा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) पहल विकलांग पुनर्वास केंद्र समिति, कानपुर, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पहल विकलांग पुनर्वास केंद्र समिति, कानपुर, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (27) (एक) अंजली इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहैबिलिटेशन फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड एंड अदर डिसेबल्ड, पालाकोल, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अंजली इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहैबिलिटेशन फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड एंड अदर डिसेबल्ड, पालाकोल, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) सोसाइटी फॉर वेलफेयर ऑफ द हैंडीकैप्ड, पटियाला, पंजाब के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सोसाइटी फॉर वेलफेयर ऑफ द हैंडीकैप्ड, पटियाला, पंजाब के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) चेतना, अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चेतना, अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) देवनार फ़ाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, सिकंदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) देवनार फ़ाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, सिकंदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी, ओडिशा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी, ओडिशा के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) श्री विवेकानंद एजुकेशनल सोसाइटी (हरी मनोविकास केंद्रम), अमलापुरम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) श्री विवेकानंद एजुकेशनल सोसाइटी (हरी मनोविकास केंद्रम), अमलापुरम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) लेबेन्शिल्फ, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) लेबेन्शिल्फ, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) स्वर्ण स्वयंकृषि ऑफ सोसायटी, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्वर्ण स्वयंकृषि ऑफ सोसायटी, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) नॉर्थ ईस्ट वोलेंटरी एसोसिएशन ऑफ रुरल डेवलपमेंट, गुवाहटी, असम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नॉर्थ ईस्ट वोलेंटरी एसोसिएशन ऑफ रुरल डेवलपमेंट, गुवाहटी, असम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) (एक) स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहैब्लिटेशन साइंसेज, सिकंदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहैब्लिटेशन साइंसेज, सिकंदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) आत्मीय मानसिक विकास केंद्रम, तेलंगाना के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) आत्मीय मानसिक विकास केंद्रम, तेलंगाना के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) आदि आंध्र एजुकेशनल सोसाइटी, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) आदि आंध्र एजुकेशनल सोसाइटी, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) विश्वधर्म महिला मट्टू मक्कल शिक्षण सेवाश्रम समिति, हुबली, कर्नाटक के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विश्वधर्म महिला मट्टू मक्कल शिक्षण सेवाश्रम समिति, हुबली, कर्नाटक के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) एसोसिएशन फॉर वॉलेंटरी एक्शन, पुरी, ओडिशा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एसोसिएशन फॉर वॉलेंटरी एक्शन, पुरी, ओडिशा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) (एक) ई.के.आर. कल्वी संगम, धर्मपुरी, तमिलनाडु के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) ई.के.आर. कल्वी संगम, धर्मपुरी, तमिलनाडु के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) वेला इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एक्शन एण्ड डवलपमेंट, जिला विल्लुपुरम, तमिलनाडु के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वेला इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एक्शन एण्ड डवलपमेंट, जिला विल्लुपुरम, तमिलनाडु के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) (एक) समर्पण संस्था, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समर्पण संस्था, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरुगन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अधिनियम, 2011 की धारा 3 के अंतर्गत अधीनस्थ विधान न बनाए जाने के कारणों का उल्लेख करने वाले विवरणों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (दो) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल ने 'चीन, पाकिस्तान और भूटान के साथ की गई संधि/समझौते के विशेष संदर्भ में जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों सहित देश में बाढ़ प्रबंधन' के बारे में बारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी सत्रहवें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. जयंत कुमार राय ने परमाणु ऊर्जा; जैव प्रौद्योगिकी; वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; अंतरिक्ष; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन; तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की

मांगों (2022-2023) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के क्रमशः 358वें से 364वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में 366वां, 367वां, 368वां, 369वां, 370वां, 371वां और 372वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. मंत्री द्वारा वक्तव्य

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार) ने (एक) 'प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में परिवर्तन' के बारे में डॉ. जयंत कुमार राय और श्री रितेश पाण्डेय, संसद सदस्य के तारांकित प्रश्न सं. 181 के 20 दिसम्बर, 2022 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने, और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारणों के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी संस्करण) दिया।

8. नारियल विकास बोर्ड के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री कैलाश चौधरी ने श्री नरेन्द्र सिंह तोमर की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि नारियल विकास बोर्ड नियम, 1981 के नियम 4 के साथ पठित नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ड) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्याधीन, नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 12.10 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने विवरण सभा पटल पर रखे:-

- (1) श्री नायब सिंह सैनी द्वारा कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 22447) का ठहराव प्रदान किए जाने के बारे में।
- (2) श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा झारखण्ड के धालभूमगढ़ में एक हवाई अड्डे के निर्माण को पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने के बारे में।
- (3) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में संडीला पर उपरि पुल की बजाय एक बाईपास सड़क का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे द्वारा पचोरा-जामनगर रेल लाइन आमान परिवर्तन परियोजना के बारे में।

- (5) श्री रामचरण बोहरा द्वारा राजस्थान के जयपुर स्थित ईएसआईसी अस्पताल में एक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री मोहनभाई कुंडारिया द्वारा अहमदाबाद-राजकोट सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) डॉ. सुजय विखे पाटील द्वारा दौंड के रास्ते अहमदाबाद और पुणे के बीच एक इंटरसिटी रेलगाड़ी शुरू किए जाने के बारे में।
- (8) श्री बृजेन्द्र सिंह द्वारा हरियाणा में कपास की फसल पर कीट हमले से बचाव के उपाय किए जाने के बारे में।
- (9) डॉ. ढालसिंह बिसेन द्वारा अन्य धर्मों को अपनाने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण का लाभ देने से रोकने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सुराहा ताल पर एक तैरता हुआ सोलर पीवी प्लांट स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री कृपानाथ मल्लाह द्वारा करीमगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पथार्कदी में एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाने के बारे में।
- (12) श्रीमती रमा देवी द्वारा पूर्वी चंपारण जिले में पटजिलवा गांव के समीप सिकरहना नदी पर एक पुल बनाए जाने के बारे में।
- (13) श्री राजू बिष्ट द्वारा पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का निर्माण किए जाने के बारे में।
- (14) श्री रतन लाल कटारिया द्वारा देश में रोजगार के अवसर सृजित किए जाने के बारे में।
- (15) श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 15657/58) को जोधपुर और बाड़मेर तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा राजस्थान के उदयपुर में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री किए जाने के बारे में।
- (17) श्री कुलदीप राय शर्मा द्वारा भेषज क्षेत्र के विकास और फार्मासिस्टों की सेवा शर्तों के बारे में।
- (18) श्री के. सुधाकरन द्वारा केरल के कन्नूर जिले के एदक्कड़ में नडाल रेलवे गेट के नजदीक केएम 161 पर एक अंडरपास का निर्माण किए जाने के बारे में।
- (19) श्री अब्दुल खालेक द्वारा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) सेक्टर के विनियमन के बारे में।
- (20) डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन द्वारा तमिल भाषा में परीक्षा आयोजित करके भारत सरकार और केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में तमिलनाडु के उम्मीदवारों की भर्ती को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (21) श्री सी. एन. अन्नादुरई द्वारा तिरुवन्नामलई में या उसके आस-पास एक हवाई अड्डे का निर्माण किए जाने के बारे में।
- (22) श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी द्वारा पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए धनराशि प्रदान किए जाने के बारे में।
- (23) श्री सुनील कुमार मंडल द्वारा कालना को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जाने के बारे में।
- (24) श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा सात कृषि जिन्सों में वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगाए जाने के बारे में।
- (25) एडवोकेट ए.एम. आरिफ़ द्वारा अल्पसंख्यक फेलोशिप फंड के लिए बजटीय आबंटन किए जाने के बारे में।
- (26) श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कर्मचारी राज्य बीमा योजना का लाभ दिए जाने के बारे में।

- (27) श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा राजस्थान में सरकारी नौकरियों में भर्ती हेतु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामलों की सीबीआई जाँच के बारे में।

अपराहन 12.10 बजे

10. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

आबंटित समय : 12 घंटे

लिया गया समय : 8 घंटा 38 मिनट

शेष : 3 घंटा 22 मिनट

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

“कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:-

“कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 31 जनवरी, 2023 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।”

*(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 1.11 बजे स्थगित हुई
तथा अपराहन 1.30 बजे पुनः समवेत हुई।)*

अपराहन 1.30 बजे

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी ने अपना भाषण पुनः आरंभ किया।

अपराहन 1.38 बजे

तत्पश्चात्, अध्यक्ष ने निम्नलिखित * घोषणा की:-

“धन्यवाद प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों के संशोधन परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने संशोधनों को पेश करने के इच्छुक हैं, तो वे 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर अपनी पर्चियां भेज सकते हैं जिनमें उन संशोधनों की क्रम संख्या दर्शाई जाएगी जिन्हें वे पेश करना चाहते हैं। केवल उन संशोधनों को ही पेश किया गया माना जाएगा, जिनके संबंध में विनिर्दिष्ट समय के भीतर पर्चियां सभा पटल पर प्राप्त हो गई हैं।

पेश किए गए माने गए संशोधनों की क्रम संख्या को दर्शाने वाली सूची इसके तत्काल पश्चात् सूचना पटल पर लगा दी जाएगी। यदि सदस्य सूची में कोई विसंगति पाते हैं, तो वे कृपया इसे तत्काल सभा पटल पर अधिकारी के ध्यान में लाएं।”

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

सतानवे (11-40, 58-77, 84-88, 98-107, 114, 151-154, 165-174, और 183-199) संशोधन पेश किए गए।

श्री उदय प्रताप सिंह ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

अपराहन 3.09 बजे

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री राहुल गांधी
2. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री तालारी रंगैय्या
5. श्री कौशलेन्द्र कुमार
6. श्री पिनाकी मिश्रा
7. श्री प्रतापराव जाधव
8. कुंवर दानिश अली
9. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
10. श्रीमती डिम्पल यादव
11. डॉ निशिकांत दुबे
12. श्री हसनैन मसूदी
13. श्री बैन्नी बेहनन
14. श्री दिलीप घोष
15. श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम
16. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
17. श्रीमती महुआ मोडुत्रा
18. श्री के. राम मोहन नायडू
19. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर
20. एडवोकेट ए.एम. आरिफ
21. %श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी
22. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम
23. श्री रामप्रीत मंडल
24. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
25. श्री हनुमान बेनीवाल
26. श्रीमती नवनित रवि राणा

चर्चा पूरी नहीं हुई।

% महिला और बाल विकास मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

रात्रि 9.07 बजे

(लोक सभा बुधवार, 8 फरवरी, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 8 फरवरी, 2023/ 19 माघ, 1944 (शक)

संख्या 212

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 81, 82, 83 (93 के साथ युग्मित), 84 (86 के साथ युग्मित) और 85 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 87 से 92 और 94 से 100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) ने रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) वर्ष 2023-2024 के लिए रक्षा सेवा प्राक्कलन।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) योजना मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) योजना मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
- (3) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (क) (एक) न्यूस्पेस इण्डिया लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) न्यूस्पेस इण्डिया लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा संबंधी विवरण।
(दो) न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ग) (एक) आईआरईएल लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) आईआरईएल लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (घ) (एक) यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादूगोड़ा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादूगोड़ा का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ङ) (एक) इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गादंकी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गादंकी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (7) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 (एक) परमाणु ऊर्जा विभाग की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
 (दो) अंतरिक्ष विभाग की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
 (तीन) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
 (चार) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
 (पांच) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
 (छह) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
- (8) (एक) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) यूनिवर्सिटी ऑफ मुम्बई - डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी- सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) यूनिवर्सिटी ऑफ मुम्बई - डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी- सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फगनसिंह कुलस्ते) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) ईस्टर्न इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड, खोर्दा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) ईस्टर्न इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड, खोर्दा का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, खोर्दा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, खोर्दा का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इस्पात मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) इस्पात मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 105 की उप-धारा (1) के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग) संशोधन नियम, 2022 जो 21 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 892(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विधिक माप विज्ञान (डिब्बाबंद वस्तुएं) (संशोधन) नियम, 2022 जो 29 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 910(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विधिक माप विज्ञान (डिब्बाबंद वस्तुएं) संशोधन (संशोधन) नियम, 2023 जो 27 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 60(अ) में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने मंत्रियों द्वारा पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

पंद्रहवीं लोक सभा

| | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. विवरण सं. 36 | चौथा सत्र, 2010 |
| 2. विवरण सं. 33 | छठा सत्र, 2010 |
| 3. विवरण सं. 35 | नौवां सत्र, 2011 |
| 4. विवरण सं. 30 | पंद्रहवां सत्र, 2013-14 |

सोलहवीं लोक सभा

| | |
|------------------|----------------------|
| 5. विवरण सं. 32 | तीसरा सत्र, 2014 |
| 6. विवरण सं. 30 | चौथा सत्र, 2015 |
| 7. विवरण सं. 26 | पांचवां सत्र, 2015 |
| 8. विवरण सं. 26 | छठा सत्र, 2015 |
| 9. विवरण सं. 24 | सातवां सत्र, 2016 |
| 10. विवरण सं. 26 | आठवां सत्र, 2016 |
| 11. विवरण सं. 26 | नौवां सत्र, 2016 |
| 12. विवरण सं. 21 | दसवां सत्र, 2016 |
| 13. विवरण सं. 23 | बारहवां सत्र, 2017 |
| 14. विवरण सं. 17 | चौदहवां सत्र, 2018 |
| 15. विवरण सं. 19 | पंद्रहवां सत्र, 2018 |

सत्रहवीं लोक सभा

| | |
|------------------|--------------------|
| 16. विवरण सं. 17 | पहला सत्र, 2019 |
| 17. विवरण सं. 13 | दूसरा सत्र, 2019 |
| 18. विवरण सं. 12 | चौथा सत्र, 2020 |
| 19. विवरण सं. 12 | पांचवां सत्र, 2021 |
| 20. विवरण सं. 11 | छठा सत्र, 2021 |
| 21. विवरण सं. 5 | सातवां सत्र, 2021 |
| 22. विवरण सं. 5 | आठवां सत्र, 2022 |
| 23. विवरण सं. 2 | नौवां सत्र, 2022 |

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) खान मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) कोयला मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उप-धारा (5) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 जो 4 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफसीआईएचक्यू-ईपी011(15)/1/2022-ईपी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 37 की उप-धारा (2) के अंतर्गत का.आ.6148(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि 1 जनवरी, 2013 से 31 दिसम्बर, 2023 तक की अवधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सभी अर्हक गृहस्थियों को चावल, गेहूं और मोटा अनाज निःशुल्क प्रदान किया जाएगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) वित्त मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) वित्त मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
- (3) संसद, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालयों की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के

- बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) कांडला एसईजेड अथॉरिटी, कांडला के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) कांडला एसईजेड अथॉरिटी, कांडला के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) एसईईपीजेड एसईजेड अथॉरिटी, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) एसईईपीजेड एसईजेड अथॉरिटी, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) बेसिक केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स एण्ड डाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (चेमेक्सिल), मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) बेसिक केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स एण्ड डाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (चेमेक्सिल), मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) शेलाक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (शेफेक्सिल) (पूर्ववर्ती शेलाक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) शेलाक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (शेफेक्सिल) (पूर्ववर्ती शेलाक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) शेलाक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (शेफेक्सिल) (पूर्ववर्ती शेलाक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (प्लेक्सकॉन्सिल), मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (प्लेक्सकॉन्सिल), मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (11) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उप-धारा (3) के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र (चौथा संशोधन) नियम, 2022 जो 3 अक्टूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 761(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(एक) का.आ. 5746(अ) जो 8 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा एमएमटीसी को आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 12 के अंतर्गत खोपरा के आयात के लिए एसटीई के रूप में वि-अनुसूचित करने के लिए आयात नीति शर्त में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
(दो) का.आ. 6104(अ) जो 28 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 15 के एचएस कोड 1511 90 के अंतर्गत मटों की आयात नीति शर्त में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
(तीन) का.आ. 6105(अ) जो 28 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अंतर्गत उड़द (आईटीसी(एचएस) 0713 31 10) [एसपीपी विग्न मुंगों (एल.) हेप्पर के बीन्स] और तुअर/अरहर (कजानस कजान) (आईटीसी(एचएस) 0713 60 00 की आयात नीति शर्त में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
(चार) का.आ. 5538(अ) जो 29 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा एचएस कोड 1006 40 00 के समक्ष नई नीति शर्त को समाविष्ट किया गया है।
(पांच) का.आ. 5771(अ) जो 9 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा निजी भूमि (पट्टा भूमि सहित) से प्राप्त जुताई भूमि से अनन्य रूप से प्राप्त किए गए लाल चंदन के निर्यात नीति को अधिसूचित किया गया है।
(छह) का.आ. 6072(अ) जो 27 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जब्त किए गए स्रोत और निजी भूमि (पट्टा भूमि सहित) से प्राप्त जुताई भूमि से अनन्य रूप से प्राप्त किए गए लाल चंदन के निर्यात नीति को अधिसूचित किया गया है।
- (13) (एक) केपेक्सिसल (निर्यात संवर्द्धन परिषद), कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) केपेक्सिसल (निर्यात संवर्द्धन परिषद), कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक

- प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) निर्यात निरीक्षण परिषद (इसके निर्यात निरीक्षण अभिकरणों सहित), नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) निर्यात निरीक्षण परिषद (इसके निर्यात निरीक्षण अभिकरणों सहित), नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) निर्यात निरीक्षण परिषद (इसके निर्यात निरीक्षण अभिकरणों सहित), नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चन्द्रशेखर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(एक) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 18 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई (2022 का संख्यांक 5) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) आधार (नामांकन और अद्यतनीकरण) (दसवां संशोधन) विनियम, 2022 जो 9 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एचक्यू-16027/1/2022-ईयू-एक-एचक्यू (2022 का संख्यांक 6) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) शिक्षण एवं अनुसंधान नेटवर्क ऑफ इंडिया, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) शिक्षण एवं अनुसंधान नेटवर्क ऑफ इंडिया, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) सेंटर फॉर मैटेरियल फॉर टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

- (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर मैटेरियल फॉर टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियो-इन्फॉर्मेटिक्स, गांधीनगर के वर्ष 2020-2021 तथा 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियो-इन्फॉर्मेटिक्स, गांधीनगर के वर्ष 2020-2021 तथा 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) प्रगत संगणन विकास केंद्र, पुणे के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्रगत संगणन विकास केंद्र, पुणे के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
- (दो) नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगे।
- (दो) इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) का.आ. 5118 (अ) जो 3 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अध्यक्षीय संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए उसमें उल्लिखित राज्य सरकारों के अधिकारियों के नामनिर्देशन को अधिसूचित किया गया है।
 - (दो) का.आ. 768 (अ) दिनांक 7 अक्टूबर, 2022, जिसके द्वारा दिनांक 19 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.312(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
 - (तीन) का.आ. 4349 (अ) जो 15 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अध्यक्षीय संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए राज्य सरकारों के अधिकारियों के नामनिर्देशन को अधिसूचित किया गया है।
- (2) (एक) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) मैन मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) मैन मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) वूल रिसर्च एसोसिएशन, थाणे के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) वूल रिसर्च एसोसिएशन, थाणे के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 4476(अ) जो 22 सितंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 27 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना सं. का.आ. 5421(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
- (दो) ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, गौतमबुद्ध नगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, गौतमबुद्ध नगर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) केंद्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
- (दो) केंद्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (11) उपर्युक्त (10) की मद संख्या (क) से (घ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले 4 विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) जूट उत्पाद विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जूट उत्पाद विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (16) 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रेलवे में भर्ती और पदोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर की गई भर्ती और पदोन्नति के संबंध में हुई प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प, व्यापार चिन्ह और भौगोलिक उपदर्शन, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प, व्यापार चिन्ह और भौगोलिक उपदर्शन, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) अलपुझा कॅयर क्लस्टर डेवलपमेंट सोसाइटी, अलपुझा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) अलपुझा कॅयर क्लस्टर डेवलपमेंट सोसाइटी, अलपुझा के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवसिंह चौहान) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
 (दो) टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उप-धारा (5) के अंतर्गत भारतीय टेलीग्राफ (अवसंरचना सुरक्षा) नियम, 2022 जो 3 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 06(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (1) दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
 - (2) डाक विभाग की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
 - (3) डाक विभाग की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
- (6) भारतीय डाक घर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उप-धारा (4) के अंतर्गत डाक घर (तीसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 29 दिसम्बर, 2022 में भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 912(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस आशय के संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 21 दिसम्बर 2022 को हुई अपनी बैठक में श्री विशम्भर प्रसाद, जो राज्य सभा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, के स्थान पर अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के कल्याण संबंधी समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए उक्त समिति के साथ सहयोजित किए जाने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट किए जाने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और राज्य सभा के सदस्य श्री शंभू शरण पटेल, जो उक्त समिति के लिए निर्वाचित हुए हैं, के नाम की सूचना भी दी।

5. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के विवरण

श्री राजेश वर्मा ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) शिक्षा मंत्रालय से संबंधित 'केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों तथा सैनिक स्कूलों/राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में प्रवेश और नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के दसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (2) कोयला मंत्रालय से संबंधित 'कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) में नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के बारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गनसिंह कुलस्ते) ने इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'इस्पात क्षेत्र में कौशल विकास' विषय के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभापटल पर रखा।

(2) वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश) ने वस्त्र मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) पर श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभापटल पर रखा।

7. समितियों के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

(एक) श्री निहाल चन्द चौहान ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 2023 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) श्री अधीर रंजन चौधरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 2023 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) श्री अधीर रंजन चौधरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2023 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) श्री संतोष कुमार गंगवार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 312ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 2023 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2024 को समाप्त होने

वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पंद्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(पाँच) श्री संतोष कुमार गंगवार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2023 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(छह) डॉ. किरिट पी. सोलंकी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि इस सभा के सदस्यम लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 2023 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सात) डॉ. किरिट पी. सोलंकी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2023 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से दस सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 12.13 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने विवरण सभा पटल पर रखे:-

(1) श्री भोला सिंह द्वारा सभी शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थाओं के पाठ्यक्रम में 'श्रीमद्भागवत गीता' को

शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (2) श्री अनुराग शर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के ललितपुर में रेलवे के लिए 600 मीटर लम्बे वाशिंग पिट के निर्माण के बारे में।
- (3) श्री संजय सेठ द्वारा गौ-तस्करी को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाए जाने के बारे में।
- (4) डॉ. सुकान्त मजूमदार द्वारा सहारा समूह की कंपनियों में किए गए निवेश की वापसी के बारे में।
- (5) श्री मोहन मंडावी द्वारा छत्तीसगढ़ के कांकेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के बारे में।
- (6) श्री दुष्यंत सिंह द्वारा झालावाड़-बारां संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न रेल सेवाओं के बारे में।
- (7) श्री मनसुखभाई डी. वसावा द्वारा देश के जनजातीय क्षेत्रों में आधुनिक दूरसंचार सुविधाएं और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) डॉ. जयंत कुमार राय द्वारा पश्चिम बंगाल में पीएमएवाई (ग्रामीण) के कार्यान्वयन में बरती गई कथित अनियमितता के बारे में।
- (9) श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा ताजिकिस्तान में फैसे मजदूरों को बचाने के बारे में।
- (10) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लंबित सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री एम.के. राघवन द्वारा 20 अगस्त को श्री नारायण गुरु देवन की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने और अंतरराष्ट्रीय वैश्विक भाईचारा दिवस घोषित किए जाने के बारे में।
- (12) डॉ. शशि थरूर द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल किराए में छूट को पुनः बहाल किए जाने के बारे में।
- (13) श्री के. मुरलीधरन द्वारा बीमा सुगम पोर्टल के बारे में।
- (14) डॉ. संजीव कुमार शिंगरी द्वारा कुरनूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गुंडरेवुला परियोजना के बारे में।
- (15) श्री के. रघु राम कृष्ण राजू द्वारा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड का कार्यालय स्थापित किए जाने के बारे में।
- (16) प्रो. सौगत राय द्वारा एक निजी समूह के कार्यकलापों की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जाँच कराए जाने के बारे में।
- (17) श्री दिलेश्वर कामैत द्वारा सुपौल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए बेहतर रेल संपर्क के बारे में।
- (18) कुंवर दानिश अली द्वारा सिंभावली शुगर्स लिमिटेड द्वारा ऋण के विनियोग में कथित अनियमितताओं के बारे में।
- (19) श्री सय्यद ईम्तियाज जलील द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति और पढ़ो परदेश ब्याज अनुदान योजना को जारी रखे जाने के बारे में।
- (20) श्री जयदेव गल्ला द्वारा अमरावती और विशाखापत्तनम, हैदराबाद, चेन्नई और तिरुपति के बीच वंदे भारत ट्रेनें शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.14 बजे

9. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

आबंटित समय : 12 घंटे

लिया गया समय : 13 घंटा 44 मिनट

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा 7 फरवरी, 2023 को पेश किए गए और श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा समर्थित निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:-

“कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:-

‘कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 31 जनवरी, 2023 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।”

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री रवि शंकर प्रसाद
2. श्री असादुद्दीन ओवैसी
3. श्री उत्तम कुमार नलमाडा रेड्डी
4. डॉ. सुकान्त मजूमदार
5. *श्री दुष्यंत सिंह
6. *श्री रामचरण बोहरा
7. *श्री गोपाल चिन्नैय्या शेटी
8. *श्री भर्तृहरि महताब
9. *श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर
10. *श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंडारिया
11. *श्री विनायक भाऊराव राऊत

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

12. *श्री डी. एम. कथीर आनन्द
13. * श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा
14. * श्री सुमेधानन्द सरस्वती
15. *श्रीमती रंजनबेन धनंजय भट्ट,
16. *श्रीमती गीताबेन वजेसिंगभाई राठवा,
17. *श्रीमती शारदा अनिलकुमार पटेल
18. *श्रीमती अपरूपा पोद्दार
19. *श्री अरुण कुमार सागर
20. *श्रीमती संगीता आज़ाद
21. *श्रीमती रमा देवी
22. *श्री विष्णु दयाल राम
23. *श्री सुदर्शन भगत
24. *श्री सुनील कुमार सिंह
25. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी
26. *श्री सुनील सोरेन
27. *श्री केसिनेनी श्रीनिवास
28. *एडवोकेट अदूर प्रकाश
29. *श्री विनोद चावड़ा
30. *श्री श्रीकृष्णा देवरायालू लावू
31. *श्री वी.के. श्रीकंदन
32. *श्रीमती गोड्डेति माधवी
33. *श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
34. *श्री संतोष कुमार
35. *श्रीमती रीती पाठक
36. *डॉ. चन्द्र सेन जादौन
37. *श्री चन्देश्वर प्रसाद
38. *श्री नारणभाई काछड़िया

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

39. *श्री अशोक कुमार रावत
40. *डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन
41. *श्री पी.आर. नटराजन
42. *श्री जगदम्बिका पाल
43. *श्री ए.के.पी. चिनराज
44. श्री प्रिंस राज
45. *श्री एस. जानतिरावियम
46. *डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर
47. *श्री रितेश पाण्डेय
48. *श्रीमती रंजीता कोली
49. *श्री पी.पी. चौधरी
50. *श्री हंसमुखभाई सोमाभाई पटेल
51. *श्री मितेष रमेशभाई पटेल
52. *श्री गजानन चन्द्रकांत कीर्तिकर
53. *श्री एस. जगतरक्षकन
54. *श्री एस.आर. पार्थिवन
55. *श्री बिद्युत बरन महतो
56. श्री गिरीश चन्द्र
57. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
58. श्रीमती जसकौर मीना
59. *श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
60. *श्री चन्द्र शेखर बेल्लाना
61. *श्री अनुभव मोहंती
62. श्री के. सुब्बारायण
63. *श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
64. *श्री बालूभाऊ नारायणराव (उर्फ सुरेश) धानोरकर
65. * श्रीमती सुप्रिया सुले

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

66. श्री एन.के .प्रेमचन्द्रन
67. *श्री कुलदीप राय शर्मा
68. डॉ. आलोक कुमार सुमन
69. *डॉ. मनोज राजोरिया
70. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
71. मौलाना बदरुद्दीन अजमल
72. *श्री निहाल चन्द चौहान
73. श्री थोमस चाज़िकाडन
74. *श्री राजू बिष्ट
75. *श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़
76. * सुश्री एस. जोतिमणि
77. *श्री मनोज किशोरभाई कोटक
78. श्री नव (हीरा) कुमार सरनीया
79. *श्री रवि किशन
80. श्री विजय कुमार हांसदाक
81. #श्री किरिन रिजीजू
82. *डॉ.भारतीबेन . धीरूभाई श्याल
83. *श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर
84. *श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़
85. *श्री गणेश सिंह
86. *श्री राम शिरोमणि वर्मा
87. *डॉ.गौतम सिगामणि . पोन
88. *श्री एंटो एन्टोनी
89. *डॉ. संजय जायसवाल
90. *श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल
91. *सुश्री पूनमबेन हेमतभाई माडम

विधि और न्याय मंत्री

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

92. *डॉ. उमेश जी. जाधव
93. *श्री देवजी एम. पटेल
94. *कु. दिया कुमारी
95. *श्री दिलेश्वर कामैत
96. श्री अधीर रंजन चौधरी
97. *श्री कृष्णपाल सिंह यादव
98. *डॉ. डी. रविकुमार
99. *डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.
100. *डॉ.(प्रो.) किरिट पी. सोलंकी
101. *एडवोकेट डीन कुरियाकोस
102. *श्री संजय सेठ
103. *डॉश्रीकांत एकनाथ शिंदे .
104. *श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत
105. *डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा
106. *श्री के. नवास खनी
107. श्री दिलीप शङ्कीया
108. *श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
109. *श्री अब्दुल खालेक
110. *श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
111. *श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
112. *श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा
113. *श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया
114. *श्री अशोक महादेवराव नेते
115. * श्री राहुल कस्वां

श्री नरेन्द्र मोदी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

पेश किए गए सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 5.20 बजे

10. केन्द्रीय बजट - 2023-2024

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

आबंटित समय : 12 घंटे
लिया गया समय : 01 घंटा 43 मिनट
शेष: 10 घंटा 17 मिनट

वर्ष 2023-2024 के लिए केन्द्रीय बजट पर सामान्य चर्चा आरंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री गौरव गोगोई
2. श्री पी.पी. चौधरी
3. श्री टी.आर. बालू

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 7.03 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 9 फरवरी, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 9 फरवरी, 2023/ 20 माघ, 1944 (शक)

संख्या 213

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 101, 102, 103 (112 के साथ युग्मित), और 104 से 107 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 108 से 111 और 113 से 120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151 से 1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) ने पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 5533(अ) जो 29 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-548ग के, उसमें उल्लिखित, चार लेन परियोजना खंडों के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।

- (दो) का.आ. 5534(अ) जो 29 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बीओटी (पथकर) आधार पर कार्यान्वित की जाने वाली महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के कागल-सतारा खंड को छह लेन करने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।
- (तीन) का.आ. 5840(अ) जो 13 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-347ग के खालघाट से सरवरदेवला सड़क खंड की 2/4 परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।
- (चार) का.आ. 5948(अ) जो 20 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-28 (नया एनएच-27) के लखनऊ-अयोध्या खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग-56 एण्डबी के लखनऊ बाइपास खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।
- (पांच) का.आ. 5949(अ) जो 20 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-53 के अमरावती-चिखली खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।
- (छह) का.आ. 6012(अ) जो 22 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में प्रस्तावित नवी मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की सीमाओं पर अमरा मार्ग से 6/8 लेनों और वर्तमान एनएच-48 (नया एनएच-348) (ए1-ई खंड) (अब एनएच-548) एसएच-54 के चौड़ा करने की चार लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।
- (सात) का.आ. 6013(अ) जो 22 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-53 (पुराना एनएच-6) के तरसोड से फागने खंड की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।
- (आठ) का.आ. 6067(अ) जो 27 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-363 के मनचेरियल से रेपेल्लेवाडा खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।
- (नौ) का.आ. 6167(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-125 पर सितारगंज-टनकपुर खंड की पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।
- (दस) का.आ. 158(अ) जो 10 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-160 के सिन्नार से शिरडी खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।
- (ग्यारह) का.आ. 256(अ) जो 13 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-319 (पुराना एनएच-30) के आरा से पररिया खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।
- (बारह) का.आ. 257(अ) जो 13 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-354ख के करतारपुर गलियारे और

एनएच-354 के रामदास से गुरदासपुर खंड की 2/4 परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।

- (तेरह) का.आ. 258(अ) जो 13 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-29 पर वाराणसी से गोरखपुर खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।
- (चौदह) का.आ. 268(अ) जो 16 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-363 पर रेपेल्तेवाडा से तेलंगाना-महाराष्ट्र सीमा की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।
- (पंद्रह) का.आ. 269(अ) जो 16 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-29 पर वाराणसी से गोरखपुर खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।
- (सोलह) का.आ. 298(अ) जो 17 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-161 पर कांडी से तेलंगाना/महाराष्ट्र सीमा खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।
- (सत्रह) का.आ. 305(अ) जो 18 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-75ड (नया एनएच-39) पर चुरहट बाईपास खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।
- (अठारह) का.आ. 304(अ) जो 18 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-62 और राष्ट्रीय राजमार्ग-07 पर मलोट-अबोहर-साधुवाली खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।
- (उन्नीस) का.आ. 306(अ) जो 18 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-709 पर रोहतक से पानीपत खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।
- (बीस) का.आ. 328(अ) जो 19 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-34 पर रायगंज-डालखोला खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।
- (2) सड़क परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विद्युत मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगों।

- (दो) विद्युत मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
- (2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (कोयला आधारित तापीय विद्युत उत्पादन इकाइयों का लोचशील प्रचालन) विनियम, 2023 जो 30 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सीईए-टीएच-17-13/4/2022-टीईटीडी डिवीजन में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ. 6027(अ) जो 23 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत वितरण कंपनियों में ऊर्जा लेखा परीक्षा संचालित करने की रीति और अंतराल) विनियमों के प्रवर्तन को अधिसूचित किया गया है।
- (दो) ऊर्जा संरक्षण (जांच करने की रीति) (संशोधन) नियम, 2022 जो 23 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 6028(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्थैतिक भण्डारण टाइप के इलेक्ट्रिक वाटर हीटर के लेबलों पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2022 जो 12 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. बीईई/एसएण्डएल/वाटर हीटर/3/2022-23 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लेबलों पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 29 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. बीईई/एसएण्डएल/डीटी/01/22-23 में प्रकाशित हुए थे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, अमेठी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, अमेठी के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कवरत्ती के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कवरत्ती के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(एक) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
(दो) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
- (4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (क) (एक) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान, कपूरथला के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान, कपूरथला के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) ने जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु) की ओर से जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्तनु ठाकुर) की ओर से पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

4. प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन

श्री निहाल चन्द चौहान ने प्राक्कलन समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'सीजीएचएस के अंतर्गत विभिन्न पहलों का मूल्यांकन' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2022-23) का इक्कीसवां प्रतिवेदन।
- (2) 'प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के निष्पादन की समीक्षा' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बाईसवां प्रतिवेदन।

5. प्राक्कलन समिति का की-गई-कार्रवाई विवरण

श्री निहाल चन्द चौहान ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) से संबंधित 'अखिल भारतीय सेवाओं की प्राक्कलन और निष्पादन समीक्षा' विषय के बारे में समिति के 26वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तीसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री रामशिरोमणि वर्मा ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री खगेन मुर्मु ने सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) 'अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 79वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (2) 'रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 80वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (3) 'आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु अनुरोध (स्वीकृत)' के बारे में 81वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (4) 'आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु अनुरोध (अस्वीकृत)' के बारे में 82वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

8. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री संजय सेठ ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'दूरसंचार सेवाओं/इंटरनेट का निलंबन और इसके प्रभाव' विषय के बारे में समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 37वां प्रतिवेदन।

- (2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'मीडिया कवरेज में नैतिक मानक' विषय के बारे में समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 38वां प्रतिवेदन।
- (3) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में समिति के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 39वां प्रतिवेदन।
- (4) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 40वां प्रतिवेदन।
- (5) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 41वां प्रतिवेदन।
- (6) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में समिति के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 42वां प्रतिवेदन।

9. मंत्री द्वारा वक्तव्य

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) ने 'अमृत योजना के अंतर्गत लक्ष्य' के बारे में श्री बृजेन्द्र सिंह, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. 5 के 2 फरवरी, 2023 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराहन 12.05 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने विवरण सभा पटल पर रखे:-

- (1) श्री रवि किशन द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना के बारे में।
- (2) श्री धर्मवीर सिंह द्वारा रेणुका बाँध, लखवार बाँध, किशाऊ बाँध और शारदा-यमुना लिंक परियोजना के निर्माण के बारे में।
- (3) श्री रामदास सी. तडस द्वारा कपास उत्पादकों और निर्यातकों को हो रही समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल द्वारा ईपीएस-95 के अंतर्गत पेंशन की राशि बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में।

- (5) श्री राजा अमरेश्वर नाईक द्वारा रायचूर में एम्स की स्थापना किए जाने के बारे में।
- (6) श्री गोपाल चिनैय्या शेटी द्वारा धर्म परिवर्तन के संबंध में एक कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री अरुण कुमार सागर द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ऑर्डिनेंस क्लोदिंग फैक्ट्री के लिए कार्य आदेश सृजित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री भागीरथ चौधरी द्वारा अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने के बारे में।
- (9) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहटा-औरंगाबाद रेल परियोजना को पूरा करने में तेजी लाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जंगली जानवरों की समस्या के बारे में।
- (11) श्री पी.पी. चौधरी द्वारा पाली मेडिकल कॉलेज में अनुसंधान अवसंरचना के सुदृढीकरण के लिए धनराशि जारी करने के बारे में।
- (12) श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा बुंदेलखण्ड क्षेत्र में कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने और औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए एक नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) डॉ. मनोज राजोरिया द्वारा सशस्त्र बलों के कार्मिकों को 'शहीद' का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा बिहार के दरभंगा में दरभंगा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं को शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री एंटो एन्टोनी द्वारा इरुमेली पंचायत की एंजल वैली को वन भूमि और पेरिया टाइगर रिजर्व से बाहर किए जाने के बारे में।
- (16) डॉ. मोहम्मद जावेद द्वारा किशनगंज जिले में पर्यटन क्षेत्र के विकास के बारे में।
- (17) श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत द्वारा कन्याकुमारी में एक हवाई अड्डे के विकास के बारे में।
- (18) डॉ. डी. एम. कथीर आनन्द द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ग्रेजुएट एक्जीक्यूटिव प्रशिक्षु की भर्ती के लिए गेट स्कोर को बेंचमार्क माने जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (19) श्री श्रीधर कोटागिरी द्वारा नेशनल ऑयल मिशन के अंतर्गत पाम ऑयल पर ध्यान केंद्रित किए जाने के बारे में।
- (20) श्री गजानन सी. कीर्तिकर द्वारा मुंबई में रेलवे की जमीन पर बने झुग्गी-झोपड़ियों के बारे में।
- (21) श्री चन्देश्वर प्रसाद द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) में उप-श्रेणी तय करने संबंधी रोहिणी आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बारे में।
- (22) श्री चंद्र शेखर साहू द्वारा ओडिशा के गजपति जिले में 4जी मोबाइल टॉवर की स्थापना किए जाने के बारे में।
- (23) श्री रितेश पाण्डेय द्वारा उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने के बारे में।
- (24) डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी द्वारा निलाम्बुर-शोरनुर रेलवे लाइन के आधुनिकीकरण के बारे में।

(25) श्री थोमस चाज़िकाडन द्वारा ईसाई समुदाय पर हमले की कथित घटनाओं के बारे में।

अपराहन 12.06 बजे

11. केन्द्रीय बजट - 2023-2024

आबंटित समय : 12 घंटे

लिया गया समय : 10 घंटा 08 मिनट

शेष: 01 घंटा 52 मिनट

वर्ष 2023-2024 के लिए केन्द्रीय बजट पर सामान्य चर्चा आगे जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री भरत राम मारगनी
2. प्रो. सौगत राय
3. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
4. श्री महाबली सिंह
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्रीमती संगीता आज़ाद
7. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील
8. श्री एम. के. राघवन
9. श्री सुधीर गुप्ता
10. श्री ए. राजा
11. श्री जयदेव गल्ला
12. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी
13. श्री पी.सी. मोहन
14. डॉ. (श्रीमती) काकोली घोष दस्तीदार
15. एडवोकेट ए.एम. आरिफ़
16. श्रीमती गोमती साय
17. श्री हसनैन मसूदी
18. श्री राजकुमार चाहर
19. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
20. श्री गुमान सिंह दामोर
21. श्री सय्यद ईमत्याज जलील
22. श्रीमती रीती पाठक
23. श्री शफीकुर्रहमान बर्क
24. श्री गुरजीत सिंह औजला

25. श्री के. सुब्बारायण
26. श्रीमती संध्या राय
27. श्री श्रीकृष्णा देवरायालू लावू
28. श्री जगदम्बिका पाल
29. श्री चन्देश्वर प्रसाद
30. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
31. श्री राम कृपाल यादव
32. श्रीमती सुप्रिया सुले
33. %श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (हस्तक्षेप किया)
34. श्री राम शिरोमणि वर्मा
35. श्री सुनील सोरेन
36. श्री हनुमान बेनीवाल
37. श्रीमती नवनित रवि राणा
38. श्री प्रद्युत बोरदोलोई
39. श्री थोमस चाज़िकाडन
40. डॉ. थोलकाप्पियन तिरुमावलवन
41. सरदार सिमरन जीत सिंह मान
42. डॉ अमर सिंह
43. श्रीमती गीता विश्वनाथ वांगा

चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 8.31 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 10 फरवरी, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

% सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 10 फरवरी, 2023/ 21 माघ, 1944 (शक)

संख्या 214

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 121 से 126 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 127 से 140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381 से 1610 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका सिंह सरता) ने जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) जनजातीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) जनजातीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
- (3) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 36 के अंतर्गत भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भारत में अन्तर्देशीय जलमार्गों का वर्गीकरण) विनियम, 2022, जो 16 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. आईडब्ल्यूएआई/एनडब्ल्यू-5/20/2016-17(भाग) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) सा.का.नि. 880(अ) जो 15 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण में छह संपदा अधिकारियों की नियुक्ति को अधिसूचित किया गया है।
 - (दो) सा.का.नि. 65(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन प्राधिकरण में दो संपदा अधिकारियों की नियुक्ति को अधिसूचित किया गया है।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (क) (एक) हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, हावड़ा के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, हावड़ा का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) उडुपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कांचीपुरम के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) उडुपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कांचीपुरम का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 73 के अंतर्गत महापत्तन अधिन्यायन बोर्ड नियम, 2023, जो 17 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 30(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संस्कृति मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगों।
- (2) उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निर्वाचकों का पंजीकरण (दूसरा संशोधन) नियम, 2022, जो 26 अक्टूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 5038(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) जवाहर इंस्टिट्यूट ऑफ माउन्टेनियरिंग एण्ड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) जवाहर इंस्टिट्यूट ऑफ माउन्टेनियरिंग एण्ड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
- (3) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

- (4) औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावा) दूसरा संशोधन विनियम, 2022, जो 13 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसटीडी./एसपी-08/ए-1/2019/एन-03 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) महिला और बाल विकास मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (दो) आयुष मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (तीन) आयुष मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
- (2) (एक) पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पूर्वी सियांग जिला, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पूर्वी सियांग जिला, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सोवा रिग्पा, लेह के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सोवा रिग्पा, लेह के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (11) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 56 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी चिकित्सकों का वृत्तिक आचरण, शिष्टाचार और आचार संहिता) विनियम, 2022 जो 14 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 2-11/2021-बीईआरएच/एनसीएच/11050 में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र, जो 27 दिसम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. एफ. सं. 2-11/2021-बीईआरएच/एनसीएच/11390 (केवल हिंदी संस्करण) में प्रकाशित हुआ था।

- (दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी चिकित्सकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने की रीति और उसका रख-रखाव) विनियम, 2022 जो 14 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 2-11/2021-बीईआरएच/एनसीएच/11055 में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र, जो 27 दिसम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. एफ. सं. 2-11/2021-बीईआरएच/एनसीएच/11394 (केवल हिंदी संस्करण) में प्रकाशित हुआ था।
- (12) (एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जॉन बर्ला) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

4. विधेयक पर अनुमति

महासचिव ने 2 फरवरी, 2023 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् संसद की सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक, 2022 की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित एक प्रति सभा पटल पर रखी।

5. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को उनमें से प्रत्येक के सामने उल्लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई:-

- | | |
|--|---|
| (1) श्री गिरीश भालचन्द्र | 07.12.2022 से 16.12.2022; 17.12.2022 से 23.12.2022 और 31.01.2023 से 13.02.2023 |
| (2) श्री संजय शामराव धोत्रे | 07.12.2022 से 23.12.2022 और 31.01.2023 से 13.02.2023 |
| (3) श्री राहुल गांधी | 07.12.2022 से 23.12.2022 |
| (4) श्री अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय | 07.12.2022 से 23.12.2022 और 31.01.2023 से 13.02.2023 |
| (5) श्रीमती हेमा मालिनी | 08.12.2022 से 23.12.2022 |

6. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में सोलहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराहन 12.06 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने विवरण सभा पटल पर रखे:-

- (1) श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रस्तावित फलटण-पंढरपुर रेलवे लाइन के निर्माण के लिए आवश्यक आवंटन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खारी, बनास और कोठारी नदियों को माही और चंबल नदियों से जोड़ कर बारहमासी नदियां बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (3) डॉ. निशिकांत दुबे द्वारा खेतौरी, घटवाल-घटवार और अन्य जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने के बारे में।
- (4) श्री जनार्दन मिश्र द्वारा रीवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के डभौरा रेलवे स्टेशन पर रेल गाड़ियों का ठहराव बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री सुदर्शन भगत द्वारा झारखण्ड में नदी के बालू के कथित अवैध खनन के बारे में।
- (6) श्री विनोद कुमार सोनकर द्वारा कैदियों को मताधिकार प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) डॉ. किरिट पी. सोलंकी द्वारा गुजरात के महान संत वीर मेघमाया के सम्मान में एक सिक्का जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री विजय बघेल द्वारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 के बारे में।
- (9) श्री गुमान सिंह दामोर द्वारा झाबुआ एवं अलीराजपुर जिलों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं सींचाई सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के बारे में।
- (10) श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल द्वारा खरगौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री नारणभाई बी. काछड़िया द्वारा गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 351-जी और 351-के के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित किए जाने के बारे में।
- (12) श्री परबतभाई सवाभाई पटेल द्वारा बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समपार संख्या 43 पर एक रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण किए जाने के बारे में।
- (13) कुमारी राम्या हरिदास द्वारा केरल में इंटरसिटी एक्सप्रेस और अमृता एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में रेल यात्रियों को हो रही समस्याओं के बारे में।
- (14) श्री सु. थिरुनवुक्करासर द्वारा तिरुवेरुम्बूर रेलवे स्टेशन के निकट स्थित समपार संख्या 318 को पुनः खोले जाने या वहाँ रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण किए जाने के बारे में।
- (15) श्री एस. ज्ञानतिरावियम द्वारा तिरुनलवेली और सेनगोट्टई के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों के किराया ढांचा के बारे में।
- (16) डॉ. बी.वी. सत्यवती द्वारा आंध्र प्रदेश के अनकापल्ले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में महिला उद्यमियों के लिए मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्यम समूह की स्वीकृति प्रदान किए जाने के बारे में।
- (17) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा भगवान शिव की पूजा के लिए शुभ दिन माने जाने वाले सोमवार को एलिफेंटा गुफाओं में स्थित घारापुरी शिव मंदिर को खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) चौधरी महबूब अली कैसर द्वारा बिहार के खगड़िया जिले में एक नया मेडिकल कॉलेज खोले जाने के बारे में।
- (19) डॉ. एस.टी. हसन द्वारा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में कथित अवैध खनन के बारे में।
- (20) श्री नव (हीरा) कुमार सरनीया द्वारा संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के प्रशासन की भांति संविधान की पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में।

अपराहन 12.07 बजे

8. केन्द्रीय बजट - 2023-2024

आबंटित समय : 12 घंटे

लिया गया समय : 14 घंटा 45 मिनट

वर्ष 2023-2024 के लिए केन्द्रीय बजट पर सामान्य चर्चा आगे जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

- 1) श्री एल.एस. तेजस्वी सूर्या
- 2) श्री सु. थिरुनवुक्करासर
- 3) डॉ. (प्रो.) किरिट पी. सोलंकी
- 4) श्री दिलेश्वर कामैत
- 5) श्री रमेश बिधूड़ी
- 6) *श्री विष्णु दयाल राम
- 7) *श्री एस.आर. पार्थिवन
- 8) *श्रीमती गीताबेन वाजेसिंहभाई राठवा
- 9) *श्री गोपाल चिन्नैय्या शेट्टी
- 10) *श्री मितेष रमेशभाई पटेल
- 11) *श्री पी.आर. नटराजन
- 12) *श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर
- 13) *श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे
- 14) *डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन
- 15) *श्री वी.के. श्रीकंदन
- 16) *श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि
- 17) *श्री जनार्दन सिंह सीथीवाल
- 18) *श्री हरीश द्विवेदी
- 19) *श्रीमती रंजनबेन धनंजय भट्ट
- 20) *श्री नारणभाई भीखाभाई काछडिया
- 21) *श्री बालूभाऊ नारायण (उर्फ सुरेश) धानोरकर
- 22) *श्री श्रीनिवास केसिनेनी
- 23) *श्री पशुपति नाथ सिंह
- 24) *श्री अरुण कुमार सागर
- 25) *डॉ. डी. रविकुमार
- 26) *श्री मुकेश राजपूत
- 27) *डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- 28) *श्री बिद्युत बरन महतो
- 29) *डॉ. आलोक कुमार सुमन
- 30) *श्री एस. ज्ञानतिरावियम
- 31) *श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा
- 32) *श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
- 33) *श्री हंसमुखभाई सोमाभाई पटेल
- 34) *श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़
- 35) *श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंडारिया
- 36) *श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
- 37) *श्रीमती रमा देवी
- 38) *श्री अनुभव मोहंती
- 39) *श्री अच्युतानंद सामंत
- 40) *प्रो. डॉ. रामशंकर कठेरिया
- 41) *श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया
- 42) *डॉ. संघमित्रा मौर्य
- 43) सुश्री एस. जोतिमणि
- 44) श्री के. नवासखनी
- 45) श्रीमती सुनीता दुग्गल
- 46) डॉ. मोहम्मद जावेद
- 47) श्री मलूक नागर
- 48) श्री मनोज किशोरभाई कोटक
- 49) श्री एंटो एन्टोनी
- 50) श्री डी. एम. कथीर आनन्द
- 51) श्री विजय बघेल
- 52) मौलाना बदरुद्दीन अजमल
- 53) श्री के. राम मोहन नायडू
- 54) श्री शंकर लालवानी
- 55) *श्री राजू बिष्ट
- 56) डॉ. के. जयकुमार
- 57) *श्री विवेक नारायण शेजवलकर
- 58) श्री नव (हीरा) कुमार सरनीया
- 59) *श्री सुदर्शन भगत
- 60) श्री सौमित्र खान
- 61) *श्री खगेन मुर्मु
- 62) *श्री राधा मोहन सिंह
- 63) *डॉ. गौतम सिगामणि पोन
- 64) *श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- 65) एडवोकेट डीन कुरियाकोस
- 66) श्री राहुल कस्वां
- 67) *श्री कुलदीप राय शर्मा
- 68) श्री अधीर रंजन चौधरी
- 69) *श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर
- 70) *श्री गणेश सिंह
- 71) *श्री संजय सेठ
- 72) *डॉ जयंत कुमार राय
- 73) *श्री कौशलेन्द्र कुमार
- 74) *डॉ. डी.एन.वी. सैथिलकुमार एस.
- 75) *श्री अजय टम्टा
- 76) *श्रीमती शारदा अनिलकुमार पटेल
- 77) *श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल
- 78) *श्री सुनील बाबूराव मेंढे
- 79) *श्री रामचरण बोहरा
- 80) *श्री अशोक महादेवराव नेते
- 81) *डॉ. मनोज राजोरिया
- 82) *डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा
- 83) *श्री अशोक कुमार रावत
- 84) *श्री किशन कपूर
- 85) *श्री नायब सिंह
- 86) *श्री संगम लाल कडेदीन गुप्ता
- 87) *श्री दुष्यंत सिंह
- 88) *डॉ. भारतीबेन धीरूभाई शियाल
- 89) *श्री चन्द्र प्रकाश जोशी
- 90) *श्री विनोद कुमार सोनकर
- 91) *श्री निहाल चन्द्र चौहान
- 92) श्री भोला सिंह
- 93) *श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम
- 94) *श्री गिरीश चन्द्र
- 95) *श्री गोपाल जी ठाकुर
- 96) *श्री सुनील कुमार सिंह
- 97) *श्री विनोद एल. चावड़ा
- 98) *डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
- 99) *श्री प्रदीप कुमार चौधरी

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

#श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

%9. गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का आस्थगन

&श्री प्रहलाद जोशी ने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि चूँकि केन्द्रीय बजट पर सामान्य चर्चा की जा रही है, अतः गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य सोमवार, 13 फरवरी, 2023 के लिए आस्थगित किया जा सकता है।

सभा सहमत हुई।

@सायं 6.02 बजे

(लोक सभा सोमवार, 13 फरवरी, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री

% अपराह्न 3.29 बजे किया गया।

& संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री

@ अपराह्न 4.44 बजे से सायं 6.02 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 13 फरवरी, 2023/ 24 माघ, 1944 (शक)

संख्या 215

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 141 से 147 और 150 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 148 और 149 लिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 148, 149 और 151 से 160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 से 1840 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) की ओर से वर्ष 2023-2024 के लिए कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग; कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने शिक्षा मंत्री; तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) शिक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) शिक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

विधि और न्याय मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) ने विधि और न्याय मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राव इंद्रजीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगे।
- (2) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 10 और 11 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) का.आ.4410(अ) जो 21 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 फरवरी, 1987 की अधिसूचना सं. का.आ.83(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
 - (दो) का.आ.4411(अ) जो 21 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 फरवरी, 1987 की अधिसूचना सं. का.आ.84(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) भारी उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (क) (एक) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
(दो) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
(दो) हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ग) (एक) एचएमटी लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
(दो) एचएमटी लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (घ) (एक) इंड्रूमैटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
(दो) इंड्रूमैटेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ङ) (एक) भारत पंप्स एण्ड कंप्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
(दो) भारत पंप्स एण्ड कंप्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (च) (एक) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) (एक) फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पलक्कड़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पलक्कड़ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 6010(अ) जो 22 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न/ नकदी अंतरण के हितलाभ प्राप्त करने के लिए आधार सं./आधार प्रमाणन की आवश्यकता को शामिल किए जाने की तारीख को 31 मार्च, 2023 तक आगे बढ़ाया जाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सामान्य ड्यूटी काडर (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2022, जो 25 नवंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.847(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, हिंदी अनुवादक, समूह 'ख' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2022, जो 6 दिसंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.865(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सेकंड-इन-कमांड (इंजीनियर), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2022, जो 26 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.398(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, प्रकाशन और मुद्रण काडर, समूह 'ख' पद और 'ग' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2023, जो 19 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.34(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (पांच) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, अतिरिक्त न्यायाधीश महान्यायवादी (कमांडेन्ट), वरिष्ठ उप न्यायाधीश महान्यायवादी (सेकंड-इन-कमांड), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2023, जो 19 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.32(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, इंजीनियरिंग काडर, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2022, जो 22 दिसंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.896(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1948 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक कमांडेन्ट (राजभाषा), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2023, जो 16 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.27(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक (अराजपत्रित) काडर भर्ती (संशोधन) नियम, 2022, जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.607(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत असम राइफल्स वारंट ऑफिसर (ड्रॉफ्ट्समैन) समूह 'ग' कम्बैटाइज्ड पद भर्ती नियम, 2022, जो 8 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.620(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (बोर्ड बैठकों के लिए प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2022, जो 9 दिसंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/110 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंटों का पंजीयक) (संशोधन) विनियम, 2023, जो 9 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/112 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधियां) (संशोधन) विनियम, 2023, जो 9 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/113 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन आवश्यकताएं) (संशोधन) विनियम, 2023, जो 13 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/114 में

प्रकाशित हुए थे।

- (पांच) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धताकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) (संशोधन) विनियम, 2023, जो 17 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/117 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (निपटान प्रक्रियाएं) (संशोधन) विनियम, 2023, जो 17 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/118 में प्रकाशित हुए थे।
- (2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ. 6168(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्राँस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन अधिसूचित किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) 5 जनवरी, 2023 की अधिसूचना संख्या 02/2023-सीमा-शुल्क (एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरें अधिसूचित की गई हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) का.आ. 259(अ) जो 13 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्राँस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) 19 जनवरी, 2023 की अधिसूचना संख्या 05/2023-सीमा-शुल्क (एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरें अधिसूचित की गई हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) का.आ. 459(अ) जो 31 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्राँस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सीमा-शुल्क (चिह्नित आयातित वस्तुओं की मूल्य घोषणा में सहायता) नियम, 2023 जो 11 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.19(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सा.का.नि.67(अ) जो 1 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (आठ) सा.का.नि.68(अ) जो 1 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 फरवरी, 2021 की अधिसूचना सं. 11/2021-सीमा-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (नौ) सा.का.नि.69(अ) जो 1 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 फरवरी, 2018 की अधिसूचना सं. 11/2018-सीमा-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दस) सा.का.नि.70(अ) जो 1 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सामाजिक कल्याण अधिभार से संबंधित 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 34/2022-सीमा-शुल्क और 1 फरवरी, 2021 की अधिसूचना सं. 13/2021-सीमा-शुल्क को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (ग्यारह) सा.का.नि.71(अ) जो 1 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (बारह) परियोजना आयात (संशोधन) विनियम, 2023 जो 1 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.72(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तेरह) सा.का.नि.73(अ) जो 1 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना सं. 22/2022-सीमा-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (चौदह) सा.का.नि.74(अ) जो 1 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 मई, 2000 की अधिसूचना सं. 57/2000-सीमा-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, जो विनिर्दिष्ट योजनाओं के अंतर्गत आयातित स्वर्ण, रजत और प्लेटिनम को छूट प्रदान करती है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (पंद्रह) सा.का.नि.75(अ) जो 1 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 1994 की अधिसूचना सं. 146/94-सीमा-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि घुड़सवारी खेलों के लिए वार्म ब्लड हॉर्स के लिए छूट परिलाभ विस्तारित किया जा सके और उक्त अधिसूचना की वैधता 31 मार्च, 2028 तक विस्तारित की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (सोलह) सा.का.नि.76(अ) जो 1 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. 90/2009-सीमा-शुल्क, 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 33/2017-सीमा-शुल्क और 3 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 41/2017-सीमा-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि उक्त अधिसूचनाओं की वैधता 31 मार्च, 2028 तक विस्तारित की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

- (सत्रह) सा.का.नि.77(अ) जो 1 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित बत्तीस अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (3) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि.50(अ) जो दिनांक 25 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 9 अगस्त, 2021 की अधिसूचना संख्या 43/2023-सीमा- शुल्क(एडीडी) में कतिपय संशोधन किए गये हैं, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (4) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि.78(अ) जो दिनांक 1 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय संपीडित प्राकृतिक गैस, जब बायोगैस या संपीडित बायोगैस के साथ मिश्रित की जाती है, ऐसी मिश्रित सीएनजी में अंतर्विष्ट बायोगैस या संपीडित गैस पर संदत्त जीएसटी की उतनी रकम पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करना है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (5) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि.08(अ) जो दिनांक 4 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केंद्रीय कर के अधीक्षक की शक्तियों को डीजीजीआई, जीडीजीएसटी और डीजी ऑडिट में अतिरिक्त सहायक निदेशकों को आबंटित करना है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (6) सरकारी बचत संप्रवर्तन अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) किसान विकास पत्र (संशोधन) योजना, 2023 जो 27 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.52(अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (दो) राष्ट्रीय बचत सावधि जमा (संशोधन) योजना, 2023 जो 27 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.53(अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (तीन) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (आठवां निर्गम) (संशोधन) योजना, 2023 जो 27 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.54(अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (चार) राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) (संशोधन) योजना, 2023 जो 27 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.55(अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (पांच) वरिष्ठ नागरिक बचत (संशोधन) योजना, 2023 जो 27 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.56(अ) में प्रकाशित हुई थी।

- (7) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 31 की उप-धारा (2) के अंतर्गत ड्रॉफ्ट अधिसूचना सं. एफ.सं. 3/4/2022-ईएम, जिसके द्वारा निदेश दिया गया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के कतिपय उपबंध वित्तीय संस्थान को कतिपय रूपांतरणों के साथ लागू होंगे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन नियम, 2022 जो 2 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 03(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) वर्ष 2023-2024 के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगे।
 - (दो) वर्ष 2023-2024 के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
- (2) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उप-धारा (3) के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र (पांचवां संशोधन) नियम, 2022 जो 8 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 868(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चन्द्रशेखर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) नेशनल स्किल वोकेशनल एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) नेशनल स्किल वोकेशनल एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 के लिए अनुदानों की विस्तृत मांगे।
- (2) कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 के लिए निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश) ने वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 के लिए अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क्स एण्ड आर्काइव्स, धर्मशाला के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क्स एण्ड आर्काइव्स, धर्मशाला के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) गाडेन रैबग्येलिंग मोनास्टिक स्कूल, बोमडिला, वेस्ट कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) गाडेन रैबग्येलिंग मोनास्टिक स्कूल, बोमडिला, वेस्ट कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज, तवांग मोनास्ट्री, तवांग के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज, तवांग मोनास्ट्री, तवांग के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका सिंह सरुता) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपूर्णा देवी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) समग्र शिक्षा, राजस्थान (राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद), जयपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) समग्र शिक्षा, राजस्थान (राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद), जयपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नारायणस्वामी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगे।
- (2) पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

उत्तर- पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने सहकारिता मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ((केवल) ग्रेड स्वयत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों का श्रेणीकरण) (पहला संशोधन) विनियम, 2022 जो 18 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 1-18/2017 (सीपीपी-II) में प्रकाशित हुए थे।
(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2022 जो 7 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 1-3/2021 (क्यूआईपी) में प्रकाशित हुए थे।
- (7) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सेनापति, मणिपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सेनापति, मणिपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सेनापति, मणिपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुपति के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) ईडीसीआईएल (इंडिया) तथा शिक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुए समझौता-जापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता विनियम, 2022 जो 4 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. आईआईएमसी-आरईजीडी(बीओ)/बीओजी-251/2022 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) वापकोस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) वापकोस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) नेशनल प्रोजेक्टस कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) नेशनल प्रोजेक्टस कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का कार्यवाही सारांश

श्री रामशिरोमणि वर्मा ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की दिनांक 08.02.2023 को हुई नौवीं बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

***अपराहन 12.08 बजे**

5. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

डॉ. किरिट पी. सोलंकी ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 11 जनवरी, 2023 से 16 जनवरी, 2023 तक पणजी, भुवनेश्वर और रायपुर का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(लोक सभा अपराहन 1.00 बजे स्थगित हुई तथा अपराहन 2.01 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.01 बजे

6. नियम 377 के अधीन मामले

- 1) &श्री गणेश सिंह द्वारा नाबार्ड के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के संशोधन के बारे में ।
- 2) श्री जगदम्बिका पाल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि के बारे में मामला उठाया।
- 3) डॉ. ढालसिंह बिसेन ने नैनपुर-छिंदवाड़ा रेल लाइन के विद्युतीकरण और सिवनी में रेल अवसंरचना के निर्माण कार्य की जाँच के बारे में मामला उठाया।
- 4) श्री विष्णु दयाल राम ने झारखंड के पलामू जिले में सोन नदी के कारण भूमि कटाव के बारे में मामला उठाया।
- 5) श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर ने पाठ्यपुस्तकों के पुनरीक्षण और इतिहास के पुनर्लेखन के बारे में मामला उठाया।
- 6) श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे ने क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ान के अंतर्गत लातूर हवाई अड्डे से उड़ान सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- 7) श्री राजू बिष्ट ने दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने की माँग के बारे में मामला उठाया।

* अपराहन 12.09 बजे से अपराहन 1.00 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

& अपराहन 12.09 बजे। निदेशानुसार, सदस्य ने नियम 377 के अधीन अपने नाम के सामने दर्शाया गया विवरण सभा पटल पर रखा।

- 8) डॉ. कृष्ण पाल सिंह यादव ने ललितपुर-चंदेरी-अशोकनगर-गुना-छाबड़ा-कोटा को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- 9) श्री उन्मेश बी. पाटिल ने जलगाँव हवाई अड्डे से विभिन्न शहरों के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- 10) श्री अरुण कुमार सागर ने शाहजहाँपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पात्र ग्रामवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- 11) श्री राजदीप राय ने सिलचर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सैनिक स्कूल की स्थापना के बारे में मामला उठाया।
- 12) श्री गुमान सिंह दामोर ने मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बारे में मामला उठाया।
- 13) श्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- 14) कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल ने उत्तर प्रदेश के महोबा में कैंसर, किडनी और स्त्री रोग के उपचार के लिए चिकित्सा सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- 15) श्री कोडिकुन्नील सुरेश ने कोल्लम जिले में सूचीबद्ध मुनरो थुरुथ द्वीप में पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन के विकास के बारे में मामला उठाया।
- 16) श्री कुरुवा गोरान्तला माधव ने आंध्र प्रदेश के लिए निर्धारित राज्य निवल उधार सीमा के बारे में मामला उठाया।
- 17) प्रो. सौगत राय ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में की गई वृद्धि के बारे में मामला उठाया।
- 18) श्री दिलेश्वर कामैत ने बिहार के सुपौल जिले के बीरपुर में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के बारे में मामला उठाया।
- 19) श्री भर्तृहरि महताब ने महानदी नदी पर छत्तीसगढ़ द्वारा बाँधों के निर्माण का प्रभाव और ओडिशा के हीराकुंड बाँध पर इसका प्रभाव।
- 20) श्रीमती संगीता आजाद ने कतिपय जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने के बारे में तथा सेना में उनकी भर्ती सुनिश्चित करने के उपाय भी किए जाने के बारे में मामला उठाया।
- 21) श्री प्रिंस राज ने बिहार के दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान को एक पर्यटन स्थल घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

- 22) श्री हनुमान बेनीवाल ने अस्पतालों में चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरे जाने के बारे में मामला उठाया।
- 23) श्री अशोक कुमार रावत ने उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संडीला में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का शाखा कार्यालय और अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाने के बारे में मामला उठाया।

*अपराहन 4.19 बजे

7. गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प - विचाराधीन

श्री रेडडप्प नल्लाकोंडा गरि द्वारा 16 दिसंबर, 2022 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:-

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि-

- (i) भारतीय रेल विश्व की सबसे बड़ी परिवहन और संभार-तंत्र प्रणालियों में से एक है तथा देश के सामाजिक-आर्थिक विकास की वाहक है; भारतीय रेल भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एक प्रतिशत है और कोर सेक्टर की माल ढुलाई आवश्यकताओं के मुख्य आधार के रूप में कार्य करती है; *आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण, आदि।*
- (ii) विगत शताब्दी में निर्मित रेल लाइनों और स्टेशनों के व्यापक नेटवर्क के साथ भारत में रेल विकास का एक विस्तृत इतिहास रहा है; रेलवे प्रतिदिन चौबीस मिलियन से अधिक यात्रियों का परिवहन करती है तथा देश भर में 8000 स्टेशनों को जोड़ती है;
- (iii) विगत वर्षों में देश भर में रेलवे स्टेशन वाणिज्यिक और बुनियादी विकास के प्रमुख शहरी केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं;
- (iv) भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रहे तीव्र परिवर्तनों के कारण रेलवे के बुनियादी ढांचे को बदलने और आधुनिक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया जाना आवश्यक है;
- (v) विगत दो दशकों में भारतीय रेल के स्टेशनों के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण के लिए मॉडल, आधुनिक और आदर्श स्टेशन योजना सहित विभिन्न योजनाएं तैयार की गई हैं तथा उक्त आधुनिकीकरण

* अपराहन 2.38 बजे से अपराहन 4.19 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

योजनाओं के अंतर्गत केवल चुनिंदा ए1 और ए श्रेणी के स्टेशनों पर ही यात्री सुविधाओं में सुधार को प्राथमिकता दी गई है;

(vi) आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापत्तनम में स्थित दक्षिण तटीय रेलवे जोन के संचालन में अत्यधिक विलंब हो रहा है तथा जोन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट रेल मंत्रालय के पास लंबित है; और

(vii) आंध्र प्रदेश राज्य में प्रस्तावित दक्षिण तटीय रेलवे जोन में कोई रेलवे भर्ती बोर्ड नहीं है, जिसके कारण नौकरी के इच्छुकों को रेलवे भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए तेलंगाना राज्य की यात्रा करने के लिए विवश होना पड़ता है,

यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह-

(क) आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले शेष स्टेशनों के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण के लिए तत्काल कार्रवाई करे;

(ख) देश के सभी रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और उन्नयन सुनिश्चित करे; और

(ग) दक्षिण तटीय रेलवे जोन के परिचालन में तेजी लाए और इस जोन के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना करे।"।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री निहाल चन्द चौहान
2. डॉ. निशिकांत दुबे
3. प्रो. सौगत राय
4. श्री मलूक नागर
5. श्री उत्तम कुमार नलमाडा रेड्डी
6. श्री श्रीकृष्णा देवरायालू लावू
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्री राजू बिष्ट
9. श्री हनुमान बेनीवाल

10. श्री के. राम मोहन नायडू
चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा सोमवार, 13 मार्च, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 13 मार्च, 2023/ 22 फाल्गुन, 1944 (शक)

संख्या 216

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री ब्रिजेन्द्र पाल सिंह, सातवीं लोक सभा के सदस्य; श्री आनंद रत्न मौर्य, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं लोक सभा के सदस्य; श्री सिद्धेश्वर प्रसाद, तीसरी, चौथी और पाँचवीं लोक सभा के सदस्य; और श्रीमती जे. जमुना, नौवीं लोक सभा की सदस्य के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. प्रश्न

व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिए जा सके। अतः आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 180 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1841 से 2070 के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.08 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

3. * अध्यक्षपीठ द्वारा घोषणा

अध्यक्षपीठ ने निम्नलिखित घोषणा की:-

"मुझे सभा को सूचित करना है कि माननीय अध्यक्ष को माननीय राष्ट्रपति से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

'मुझे उस अभिभाषण, जो मैंने 31 जनवरी, 2023 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष दिया था, के लिए लोक सभा के सदस्यों की ओर से धन्यवाद ज्ञापन प्राप्त हुआ है।' "

अपराहन 2.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

- संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखें:-
- (1) संविधान के अनुच्छेद 338क (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना से प्रभावित जनजातीय लोगों के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का विशेष प्रतिवेदन।
- (दो) इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना से प्रभावित जनजातीय लोगों के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के विशेष प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई ज्ञापन।
- (तीन) विस्थापित जनजातियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के बारे में ओडिशा सरकार और भारतीय इस्पात प्राधिकरण (राउरकेला इस्पात संयंत्र) द्वारा किए गए उपायों की स्थिति के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का विशेष प्रतिवेदन।
- (चार) विस्थापित जनजातियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के बारे में ओडिशा सरकार और भारतीय इस्पात प्राधिकरण (राउरकेला इस्पात संयंत्र) द्वारा किए गए उपायों की स्थिति के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के विशेष प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई ज्ञापन।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विलंब संबंधी दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखें:-

- (1) अधिसूचना सं. 1-सीए(5)/73क/2022, जो दिनांक 23 दिसम्बर 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 29 सितम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. 1-सीए(5)/73क/2022 का शुद्धि-पत्र अंतर्विष्ट हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स, गुरुग्राम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स, गुरुग्राम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) ने वर्ष 2023-2024 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखें:-

- (1) (एक) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखें:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय संस्कृति कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय संस्कृति कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुम्बई और द लाइब्रेरी ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुम्बई और द लाइब्रेरी ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखें:-

- (1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, जो 02 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/111 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 29 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(एक) अधिसूचना संख्या 329/आईएफएससीए/बुलियन एमआईआई/2021-22 जो दिनांक 9 दिसंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें बुलियन एक्सचेंज के नवीकरण को अधिसूचित किया गया है।

- (दो) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/इंडिया आईएनएक्स/120 जो दिनांक 23 दिसंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज के नवीकरण को अधिसूचित किया गया है।
- (तीन) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/इंडिया आईसीसी/126 जो दिनांक 23 दिसंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन के नवीकरण को अधिसूचित किया गया है।
- (चार) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022, जो दिनांक 13 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी028 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (बीमा उत्पाद और मूल्य निर्धारण) विनियम, 2022, जो दिनांक 13 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी029 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय द्वारा निवेश) विनियम, 2022, जो दिनांक 13 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी030 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (बीमा अभिलेखों का रख-रखाव तथा जांच और निरीक्षण के लिए अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करना) विनियम, 2022, जो दिनांक 13 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी031 में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (प्रीमियम के भुगतान और प्राप्ति की रीति) विनियम, 2022, जो दिनांक 13 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी032 में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालयों के वित्तीय विवरणों को तैयार करना और प्रस्तुतीकरण) विनियम, 2022, जो दिनांक 13 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी033 में प्रकाशित हुए थे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) वर्ष 2023-2024 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगे।
- (2) वर्ष 2023-2024 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखें।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखें:-

- (1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -
 - (एक) वर्ष 2023-2024 के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
 - (दो) वर्ष 2023-2024 के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
- (2) (एक) उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखें:-

- (1) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सेनापति के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सेनापति के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सेनापति के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) डॉ. बी.आर.अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) डॉ. बी.आर.अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कालीकट के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कालीकट के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ताड़पल्लीगुडम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ताड़पल्लीगुडम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम

की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखें:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(एक) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
(दो) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उनपर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोधय ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत ऋण वसूली अधिकरण और ऋण वसूली अपीलीय इलेक्ट्रानिक फाइलिंग (संशोधन) नियम, 2023 जो 1 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 79 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114क की उप-धारा (3) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अन्तर्गत अधिसूचना सं. एफ.सं. आईआरडीएआई/आरआई/1/189/2023 जिसके द्वारा "वित्तीय वर्ष-2023-2024 के लिए आबद्धकर अध्यर्पण" अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (5) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक) ने वर्ष 2023-2024 के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

5. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रहलाद जोशी ने कार्य मंत्रणा समिति का 40वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री देवजी मासिंगराम पटेल ने कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 51वां प्रतिवेदन।
- (2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 52वां प्रतिवेदन।
- (3) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्यपालन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 53वां प्रतिवेदन।
- (4) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 54वां प्रतिवेदन।
- (5) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 55वां प्रतिवेदन।
- (6) सहकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 56वां प्रतिवेदन।

7. श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री गणेश सिंह ने श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 41वां प्रतिवेदन ।
- (2) वस्त्र मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 42वां प्रतिवेदन ।
- (3) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 43वां प्रतिवेदन ।

8. रेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राधा मोहन सिंह ने 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24)' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति का चौदहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राम मारगनी भरत ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 339वां प्रतिवेदन।
- (2) संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 340वां प्रतिवेदन।
- (3) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 341वां प्रतिवेदन।
- (4) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 342वां प्रतिवेदन।
- (5) पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 343वां प्रतिवेदन।

10. मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चन्द्रशेखर) की ओर से कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कार्यान्वयन' के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

11. जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का बजट

श्री पंकज चौधरी ने श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से वर्ष 2023-24 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

12. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र)

श्री पंकज चौधरी ने श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

13. अनुदानों की अनुपूरक मांगें

श्री पंकज चौधरी ने श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों - दूसरा बैच को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराहन 2.08 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री जनार्दन सिंह सीग्गीवाल द्वारा महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के एक केंद्र की स्थापना किए जाने के बारे में।
- (2) श्री मोहन मंडावी द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार कांकेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा घाटशिला, झारखंड में इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स प्लांट में उत्पादन पुनः प्रारंभ किए जाने के बारे में।
- (4) श्री भागीरथ चौधरी द्वारा डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, अजमेर को पूर्ण पासपोर्ट कार्यालय के रूप में उन्नत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री विनोद कुमार सोनकर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ट्रांसजेंडर लोगों को आवासीय इकाइयां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा ताजिकिस्तान में काम कर रहे बिहार के मजदूरों की दुर्दशा के बारे में।
- (7) श्रीमती रंजीता कोली द्वारा झूटी के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सशस्त्र बलों को शहीद का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री चुन्नीलाल साहू द्वारा छत्तीसगढ़ में ट्रॉमा सेंटर, एम्स, रायपुर में मरीजों के लिए बिस्तर और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आलू आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने और आलू के निर्यात के लिए कदम उठाए जाने के बारे में।
- (10) श्रीमती सुनीता दुग्गल द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की उपयोजना समस्याग्रस्त भूमियों के सुधार के कार्यान्वयन के बारे में।
- (11) श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा गढ़चिरौली-चिमूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित धार्मिक महत्व के स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित कर विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री जुगल किशोर शर्मा द्वारा जम्मू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में बारूदी सुरंगों वाली भूमि के लिए किसानों को मुआवजे के भुगतान के बारे में।

- (13) श्री रणजितसिंह हिंदूराव नाईक निंबालकर द्वारा महाराष्ट्र में ओबीसी सूची में 'धनगढ़' की वर्तनी को 'धंगर' के रूप में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री डी. एम. कथीर आनन्द द्वारा तमिलनाडु में मेकेदातू परियोजना के बारे में।
- (15) श्रीमती वांगा गीताविश्वनाथ द्वारा एलआईसी के इनिशिएल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) को जारी करने से रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा सियालदाह-डायमंड हार्बर रेलवे लाइन के साथ सड़क के निर्माण के बारे में।
- (17) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा मावल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा पारंपरिक उद्योगों की पुनरूद्धार योजना के अंतर्गत बिहार के गोपालगंज जिला को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (19) श्री कुंवर दानिश अली द्वारा उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जर्जर विद्युत पारेषण लाइनों को बदलने और पर्याप्त शक्ति के ट्रांसफार्मर लगाए जाने के बारे में।
- (20) श्री प्रिंस राज द्वारा बिहार में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को लागू किए जाने के बारे में।

अपराहन 2.09 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा मंगलवार, 14 मार्च, 2023 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 14 मार्च, 2023/ 23 फाल्गुन, 1944 (शक)

संख्या 217

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिए जा सके। अतः आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 181 से 200 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 से 2300 के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

2. # अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सदस्यों से सभा की मर्यादा बनाए रखने और प्रश्न काल को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

- (1) (एक) नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग एण्ड आरएण्डडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, गुरुग्राम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग एण्ड आरएण्डडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, गुरुग्राम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखें:-

- (1) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ. 29(अ) जो 4 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ऐजाज़ अहमद अहंगर उर्फ अबु उस्मान अल-कश्मीरी का नाम विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में जोड़ा गया है।
- (दो) का.आ. 39(अ) जो 5 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मोहम्मद अमीन खुबाइब उर्फ अबु खुबाइब उर्फ पिन्ना उर्फ मोहम्मद अमीन बट्ट का नाम विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में जोड़ा गया है।
- (तीन) का.आ. 71(अ) जो 6 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अरबाज़ अहमद मीर का नाम विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में जोड़ा गया है।
- (चार) का.आ. 104(अ) जो 7 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा डॉ. आसिफ मकबूल डार का नाम विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में जोड़ा गया है।
- (पांच) का.आ. 105(अ) जो 9 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डाला का नाम विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में जोड़ा गया है।
- (छह) का.आ. 739(अ) जो 17 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंडा का नाम विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में जोड़ा गया है।
- (सात) का.आ. 45(अ) जो 5 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची में "पासबान-ए-अहले हदीस "शब्दों के पश्चात् "दि रेजिस्ट्रेशन फ्रंट एंड ऑल इट्स मेनिफेस्टेशन एंड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन "शब्द अंतःस्थापित किए गए हैं।
- (आठ) का.आ. 85(अ) जो 6 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची में "तहरीक-ए-

फुरकान "शब्दों के पश्चात् "पीपल्स एंटी-फासिस्ट-फ्रंट (पीएएफएफ) एंड ऑल इट्स मेनिफेस्टेशंस एंड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस "शब्द अंतःस्थापित किए गए हैं।

(नौ) का.आ. 738(अ) जो 17 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स (जेकेजीएफ) एंड ऑल इट्स मेनिफेस्टेशंस एंड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची में जोड़े गए हैं।

(दस) का.आ. 747(अ) जो 17 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जिसके द्वारा खालिस्तान टाइगर फोर्स (केपीएफ) एंड ऑल इट्स मेनिफेस्टेशंस एंड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची में जोड़े गए हैं।

(2) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 36 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी) भर्ती (संशोधन) विनियम, 2020 जो 23 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. ई-14011/1/2020-एलपीएआई में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी) भर्ती (संशोधन) विनियम, 2022 जो 13 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. ई-14011/1/2020-एलपीएआई में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपर्युक्त (2) की मद सं. (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 51 की उप-धारा (2) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम के अंतर्गत "आमेलन/प्रतिनियुक्ति के साथ या बिना प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति/संवर्ग बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति और आमेलन के लिए अध्यादेश-दिशानिर्देश" जो 17 अक्टूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 521 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सशस्त्र सीमा बल कॉम्बेटाइज्ड (जनरल ड्यूटी) समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 जो 28 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 907(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-22 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, एनिमल ट्रांसपोर्ट काडर, समूह 'क' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 जो 30 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 62(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखें:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) जम्मू एण्ड कश्मीर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 2015-2016 तथा 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) जम्मू एण्ड कश्मीर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 2015-2016 तथा 2016-17 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री प्रतिमा भौमिक) की ओर से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, फरीदाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (2) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, फरीदाबाद का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरुगन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखें:-

- (1) (एक) तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विलंब संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखें:-

- (1) (एक) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्बुदूर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्बुदूर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री गिरीश चन्द्र ने सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति (2022-23) के 102वें से 105वें प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को प्रस्तुत किया।

5. ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री जनार्दन मिश्र ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 29वां प्रतिवेदन।
- (2) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 30वां प्रतिवेदन।
- (3) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 31वां प्रतिवेदन।

6. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती रमा देवी ने जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों 2023-24' पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का 44वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रहलाद जोशी ने कार्य मंत्रणा समिति का 41वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

8. प्रस्ताव

श्री प्रहलाद जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा 13 मार्च, 2023 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 40वें प्रतिवेदन से सहमत है।"
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 2.05 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री रामचरण बोहरा द्वारा गोनेर फाटक रेलवे स्टेशन से रेल सेवाएं बहाल किए जाने के बारे में।
- (2) श्री राजू बिष्ट द्वारा चाय और सिनकोना बागान के श्रमिकों के लिए परजा पट्टा अधिकारों की गारंटी देने वाले विधान के बारे में।

- (3) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के सीतामढ़ी जिले के हंसौर गांव में डाकघर स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री राहुल कस्वां द्वारा चुरु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के बीमा दावों के बारे में।
- (5) श्री पी.पी. चौधरी द्वारा राजस्थान में किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं के समाधान के बारे में।
- (6) डॉ. सुकान्त मजूमदार द्वारा पश्चिम बंगाल में पीएमएवाई के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के बारे में।
- (7) श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर द्वारा नांदेड से मुम्बई, अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली और हैदराबाद की विमान सेवाओं को बहाल करने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री रामदास सी. तडस द्वारा महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि किए जाने के बारे में।
- (9) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में 'खेलो इंडिया सेंटर' स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री अजय निषाद द्वारा बिहार में एनआईओएस प्रशिक्षित शिक्षकों की अर्हता के लिए अंतिम तिथि निर्धारित करने के बारे में।
- (11) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा सहारा ग्रुप इंडस्ट्रीज में निवेशित धन की वापसी के बारे में।
- (12) श्री विजय बघेल द्वारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 का लोप किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी द्वारा तेलंगाना में घाटकेसर से जनगांव तक मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (एमएमटीएस) चरण-II के विस्तार के बारे में।
- (14) श्री सु. थिरुनवुक्करासर द्वारा तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले के कीरान्नूर रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों के ठहराव के बारे में।
- (15) श्री के. मुरलीधरन द्वारा केरल में मानव-पशु संघर्ष के बारे में।
- (16) श्री धनुष एम. कुमार द्वारा तेनकासी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण बैंक शाखाएं खोलने के बारे में।
- (17) श्री एस. जगतरक्षकन द्वारा कैसर से ग्रसित बच्चों के लिए चिकित्सा सुविधाएं और समर्थक परिचर्या के बारे में।

- (18) प्रो. सौगत राय द्वारा एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास पश्चिम बंगाल की बकाया राशि के बारे में।
- (19) श्री चन्देश्वर प्रसाद द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (20) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा देश में विशेष रूप से ओडिशा में महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम हेतु किए जाने वाले उपायों के बारे में।
- (21) श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में मासिक आय सीमा बढ़ाए जाने के बारे में।
- (22) श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा पुलवामा के शहीदों की वीरांगनाओं को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति दिए जाने के बारे में।

अपराहन 2.06 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा बुधवार, 15 मार्च, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 15 मार्च, 2023/ 24 फाल्गुन, 1944 (शक)

संख्या 218

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिए जा सके। अतः आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 201 से 220 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 2301 से 2530 के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

2. # अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सदस्यों से सभा में मर्यादा बनाए रखने की अपील की।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखें:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, कोथागुडम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, कोथागुडम का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन,

मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (2) कोयला मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखें:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) तंबाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तंबाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 383(अ) जो 24 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) में यूरिया [एक्विजम कोड 31021000] की आयात नीतिगत शर्त में कतिपय संशोधनों को अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 678(अ) जो 14 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) में अध्याय-08 के आईटीसी (एचएस) कोड 080280 और अध्याय-21 के आईटीसी (एचएस) कोड 2106 90 30 की आयात नीति और नीतिगत शर्त में कतिपय संशोधनों को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 796(अ) जो 21 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा काजू गिरी (टूटी हुई/साबुत) की आयात नीतिगत शर्त में कतिपय संशोधनों को अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 679(अ) जो 14 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बायोमास की निर्यात नीति में कतिपय संशोधनों को अधिसूचित किया गया है।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखें:-

- (1) (एक) केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

- (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय जूट बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय जूट बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) द इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) द इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) वस्त्र समिति, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वस्त्र समिति, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 6172(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना सं. का.आ. 5421(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखें:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) नेशनल इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) नेशनल इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवसिंह चौहान) ने दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की योजना के लिए निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

4. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति के साक्ष्य का अभिलेख

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति के साक्ष्य का अभिलेख सभा पटल पर रखा।

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के 113वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति की बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

(2) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) सहित जिला निर्यात केन्द्र (डीईएच) पहलों के कार्यान्वयन' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 170वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

7. प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्री प्रहलाद जोशी की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा 14 मार्च, 2023 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 41वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 2.05 बजे

8. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

अंतर-सेना संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023

अपराहन 2.08 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1. श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंडारिया द्वारा ओखा-देहरादून रेल सेवा का परिचालन कोविड काल से पूर्व की तरह बहाल किए जाने के बारे में।
2. श्री अरुण कुमार सागर द्वारा शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान के चित्रों को दर्शाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. डॉ.ढाल सिंह बिसेन द्वारा आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन के बारे में।
4. श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान में 'पाला' सहित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों द्वारा उत्पादित फसलों को बीमा कवर प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. डॉ. कृष्ण पाल सिंह यादव द्वारा अशोकनगर जिला मुख्यालय में जिला अस्पताल का मेडिकल कॉलेज के रूप में उन्नयन करने और गुना जिला मुख्यालय में एम्स स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. डॉ. निशिकांत दुबे द्वारा गोड्डा / देवघर में सैनिक स्कूल की स्थापना किए जाने के बारे में।
7. श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा उत्तर प्रदेश के महोबा में एम्स स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्री निहाल चन्द चौहान द्वारा गंगानगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक भारतीय कृषि अनुसंधान केन्द्र अथवा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में।
9. सुश्री देबाश्री चौधरी द्वारा रायजंग टोल प्लाजा पर मीडियाकर्मियों के लिए रियायती टोल के बारे में।
10. श्री विवेक नारायण शेजवलकर द्वारा पारंपरिक शिल्प को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल करने के बारे में।
11. श्री खगेन मुर्मु द्वारा पश्चिम बंगाल में मालदा टाउन रेलवे स्टेशन को बेहतर रेल संपर्क प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
12. श्री रवि किशन द्वारा देश में प्रभावी 4जी नेटवर्क के बारे में।
13. श्रीमती राम्या हरिदास द्वारा केरल के वडक्कनचेरी में रेलवे अंडरपास के निर्माण के बारे में।
14. श्री कुलदीप राय शर्मा द्वारा गंभीर रोगियों की चिकित्सा के लिए यात्री विमान का उपयोग करने के लिए हवाई किराए की समीक्षा के बारे में।
15. एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा ईसाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित हिंसा के बारे में।
16. श्री वी. कलानिधि द्वारा बंदरगाहों की दक्षता बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
17. श्रीमती साजदा अहमद द्वारा पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान के लिए निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में 'एससी/एसटी/ओबीसी कल्याण और शिकायत निवारण समिति' का गठन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
19. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के ऑगोल में एक ईसीएचएस रेफरल अस्पताल की स्वीकृति के बारे में।
20. श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर द्वारा संवेदनशील तटीय क्षेत्रों के संरक्षण के बारे में।
21. श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा एमजीएनआरईजीएस (मनरेगा योजना) के अंतर्गत मजदूरी और कार्य दिवस बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
22. श्री के. नवासखनी द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत गारंटीकृत मजदूरी रोजगार में वृद्धि किए जाने के बारे में।
23. श्री जयदेव गल्ला द्वारा माल और सेवा कर के अंतर्गत वार्षिक विवरणी दाखिल करने के बारे में।
24. श्री पी.आर. नटराजन द्वारा बीएसएनएल कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन किए जाने के बारे में।

अपराहन 2.11 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा गुरुवार, 16 मार्च, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 16 मार्च, 2023/ 25 फाल्गुन, 1944 (शक)

संख्या 219

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिए जा सके। अतः आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 221 से 240 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 2531 से 2760 के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

2. # अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सदस्यों से सभा की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

(निरंतर व्यवधान के कारण लोक सभा, शुक्रवार, 17 मार्च, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

लोक सभा

समाचार - भाग 1 (कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 17 मार्च, 2023 / 26 फाल्गुन, 1944 (शक)

संख्या 220

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिए जा सके। अतः आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 241 से 260 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 2761 से 2990 के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

2. # अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और सभा की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।

पूर्वाह्न 11.21 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा सोमवार, 20 मार्च, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 20 मार्च, 2023/ 29 फाल्गुन, 1944 (शक)

संख्या 221

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिए जा सके। अतः आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 261 से 280 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 2991 से 3220 के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

2. # अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सदस्यों से प्रश्न काल को सुचारू रूप से चलने देने और सभा में तख्तियाँ न लाने की अपील की।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.07 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः सम्मवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) की ओर से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

- (1) निधि (संशोधन) नियम, 2023, जो 20 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 35(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) कंपनी (पंजीकरण करने के लिए प्राधिकृत) संशोधन नियम, 2023, जो 20 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 39(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (3) कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) संशोधन नियम, 2023, जो 21 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 41(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (4) कंपनी (निगमन) संशोधन नियम, 2023, जो 21 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 42(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (5) कंपनी (विदेशी कंपनियों का पंजीकरण) संशोधन नियम, 2023, जो 20 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 36(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (6) कंपनी (प्रतिभूतियों की विवरण-पुस्तिका और आबंटन) संशोधन नियम, 2023, जो 20 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 37(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (7) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) संशोधन नियम, 2023, जो 20 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 38(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (8) कंपनी (लेखा) संशोधन नियम, 2023, जो 20 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 40(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (9) कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर्स) संशोधन नियम, 2023, जो 23 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 43(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (10) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2023, जो 23 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 44(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (11) कंपनी (पंजीकरण कार्यालय और शुल्क) संशोधन नियम, 2023, जो 23 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 45(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (12) कंपनी (प्रकीर्ण) संशोधन नियम, 2023, जो 24 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 46(अ) में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार

द्वारा समीक्षा।

- (दो) सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 की धारा 3 और 6 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ. 445(अ) जो 30 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नौचालन के लिए सामान्य सहायता के रूप में नौचालन के लिए सहायक उपकरणों का विनिर्धारण अधिसूचित किया गया है।
- (दो) का.आ. 711(अ) जो 15 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए उसमें उल्लिखित व्यक्तियों से मिल कर बनी केन्द्रीय सलाहकार समिति की नियुक्ति को अधिसूचित किया गया है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) इलाहाबाद संग्रहालय, प्रयागराज के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इलाहाबाद संग्रहालय, प्रयागराज के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) (एक) भारतीय संग्रहालय, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय संग्रहालय, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) वृंदावन अनुसंधान संस्थान, वृंदावन के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वृंदावन अनुसंधान संस्थान, वृंदावन के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

- (दो) एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) विद्युत (संशोधन) नियम, 2022, जो 29 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 911(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना) संशोधन नियम, 2023, जो 27 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 57(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (3) जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना) नियम, 2023, जो 27 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 58(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (4) विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन) संशोधन नियम, 2023, जो 27 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 59(अ) में प्रकाशित हुए थे।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि.124(अ) जो 23 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जलयानों और अन्य तैरती संरचनाओं पर ब्रेकिंग अप के लिए 31 मार्च, 2025 तक आधारभूत सीमा-शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दो) सा.का.नि.154(अ) जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1994 की अधिसूचना सं. 104/94-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

- (तीन) सा.का.नि.169(अ) जो 3 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 मई, 2022 की अधिसूचना सं. 30/2022-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (चार) सा.का.नि.170(अ) जो 3 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (2) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि.102(अ) जो 15 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दो) सा.का.नि.103(अ) जो 15 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 04/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तीन) सा.का.नि.166(अ) जो 3 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (चार) सा.का.नि.167(अ) जो 3 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 04/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (पांच) सा.का.नि.168(अ) जो 3 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 10/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि डीजल के निर्यात पर सड़क और अवसंरचना उपकरण को कम किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (3) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि.153(अ), जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017-प्रतिकर उपकरण (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि जीएसटी परिषद् द्वारा उसकी 49वीं बैठक में यथाअनुशंसित परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.141(अ) जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 49वीं जीएसटी परिषद् की सिफारिश के आधार पर 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2023-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि यह उपबंध किया जा सके कि केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण, बोर्ड अथवा निकाय, जिनमें प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी शामिल है, द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाएं जीएसटी से छूट प्राप्त होंगी तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(दो) सा.का.नि.142(अ) जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 49वीं जीएसटी परिषद् की सिफारिश के आधार पर 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 13/2017-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि यह उपबंध किया जा सके कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी के संदाय के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यथाउपलब्ध छूट का विस्तार न्यायालयों और अधिकरणों को उनके वाणिज्यिक क्रियाकलापों जैसे अचल सम्पत्ति की किराएदारी के लिए किया जाएगा तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(तीन) सा.का.नि.147(अ) जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि जीएसटी परिषद् द्वारा उसकी 49वीं बैठक में यथाअनुशंसित कतिपय माल की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(चार) सा.का.नि.150(अ) जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 2/2017-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि जीएसटी परिषद् द्वारा उसकी 49वीं बैठक में यथाअनुशंसित परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(5) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.143(अ) जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 49वीं जीएसटी परिषद् की सिफारिश के आधार पर 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 09/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि यह उपबंध किया जा सके कि केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण, बोर्ड अथवा निकाय, जिसमें प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी शामिल है, द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाएं जीएसटी से छूट प्राप्त होंगी तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

- (दो) सा.का.नि.144(अ) जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 49वीं जीएसटी परिषद् की सिफारिश के आधार पर 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 13/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि यह उपबंध किया जा सके कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी के संदाय के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यथाउपलब्ध छूट का विस्तार न्यायालयों और अधिकरणों को उनके वाणिज्यिक क्रियाकलापों जैसे अचल सम्पत्ति की किराएदारी के लिए किया जाएगा तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तीन) सा.का.नि.148(अ) जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 1/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि जीएसटी परिषद् द्वारा उसकी 49वीं बैठक में यथाअनुशंसित कतिपय माल की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (चार) सा.का.नि.151(अ) जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 2/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि जीएसटी परिषद् द्वारा उसकी 49वीं बैठक में यथाअनुशंसित परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (6) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि.145(अ) जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 49वीं जीएसटी परिषद् की सिफारिश के आधार पर 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 12/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि यह उपबंध किया जा सके कि केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण, बोर्ड अथवा निकाय, जिसमें प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी शामिल है, द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाएं जीएसटी से छूट प्राप्त होंगी तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दो) सा.का.नि.146(अ) जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 49वीं जीएसटी परिषद् की सिफारिश के आधार पर 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 13/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि यह उपबंध किया जा सके कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी के संदाय के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यथाउपलब्ध छूट का विस्तार न्यायालयों और अधिकरणों को उनके वाणिज्यिक क्रियाकलापों जैसे अचल सम्पत्ति की किराएदारी के लिए किया जाएगा तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तीन) सा.का.नि.149(अ) जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि जीएसटी परिषद् द्वारा उसकी 49वीं बैठक में

यथाअनुशंसित कतिपय माल की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

- (चार) सा.का.नि.152(अ) जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 2/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि जीएसटी परिषद् द्वारा उसकी 49वीं बैठक में यथाअनुशंसित परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (7) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 10 के अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ (भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार करार के अंतर्गत माल की उत्पत्ति का निर्धारण) नियम, 2022, जो 22 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 897 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 151ख के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 891(अ) जो दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2021 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 467(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (9) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 2 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/119 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी क्रय नीति) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 7 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/120 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शुल्क का भुगतान तथा भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 7 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/121 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 14 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/122 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भू-संपदा निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 14 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/123 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरीज़ और प्रतिभागी) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-

एनआरओ/जीएन/2023/125 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निवेशक संरक्षण और शिक्षा निधि) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/126 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर्स) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 17 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/116 में प्रकाशित हुए थे।

(10) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 25 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों के नियंत्रण में परिवर्तन) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 17 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/115 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 की उप-धारा (3) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 12 अगस्त, 2022 की अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/93 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 28 फरवरी, 2023 की अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/124 में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल) की ओर से विधि और न्याय मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका सिंह सरुता) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (ऑटोमोटिव ईंधन के वितरण के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देश) संशोधन विनियम, 2022, जो 14 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. पीएनजीआरबी/टेक/5-आरओ(1)/2022 (पी-3803) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2022, जो 9 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 16(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (2) कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2023, जो 13 फरवरी, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 93(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपूर्णा देवी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) समग्र शिक्षा, नागालैंड के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) समग्र शिक्षा, नागालैंड के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) समग्र शिक्षा अभियान, मध्य प्रदेश के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) समग्र शिक्षा अभियान, मध्य प्रदेश के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) समग्र शिक्षा अभियान, पंजाब के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) समग्र शिक्षा अभियान, पंजाब के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) समग्र शिक्षा, असम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) समग्र शिक्षा, असम के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) समग्र शिक्षा, त्रिपुरा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) समग्र शिक्षा, त्रिपुरा के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86 की उप-धारा (1) के अंतर्गत लद्दाख भू-संपदा (विनियमन और विकास) (विक्रय के लिए करार) नियम, 2023 जो 8 फरवरी, 2023 के भारत

- के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 86(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 102 के अंतर्गत यात्रियों के सार्वजनिक वहन के लिए मेट्रो रेल चालू किया जाना (संशोधन) नियम, 2023, जो 8 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 87(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (6) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हाजीपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (क) (एक) कर्णाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) कर्णाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला के वर्ष 2018-2019 से 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला के वर्ष 2018-2019 से 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैंड के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैंड के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (23) (एक) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) योजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) योजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कांगड़ा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कांगड़ा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कांगड़ा के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजॉल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) नागालैण्ड विश्वविद्यालय, लुमामी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) (एक) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 52 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (अभिलेखों तक पहुँच) विनियम, 2021 जो 23 फरवरी, 2023 की अधिसूचना संख्या एफ.सं. आरआईएमवी-148/विनियम में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राष्ट्रीय आवास बैंक की जुलाई, 2021 से जून, 2022 की अवधि के लिए 'भारत में आवासन के रुझान और प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2022' की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) खाद्य संरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) पहला संशोधन विनियम, 2023, जो 11 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं.एसटीडी/अधिसूचना/35.1/2021 में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (वित्तीय) विनियम, 2023, जो 23 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं.11012/038/2016-2017/एफएसएसएआई/एफएण्डए में प्रकाशित हुए थे।
- (2) (एक) लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (कश्मीर विश्वविद्यालय), श्रीनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (कश्मीर विश्वविद्यालय), श्रीनगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा), वड़ोदरा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा), वड़ोदरा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (गुवाहाटी विश्वविद्यालय), गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (गुवाहाटी विश्वविद्यालय), गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) भारतीय भेषज संहिता आयोग, गाजियाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय भेषज संहिता आयोग, गाजियाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु) ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग; जल शक्ति मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिकप्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री संतोष कुमार गंगवार ने 'वर्ष 2020 के प्रतिवेदन संख्यांक 18 के सीएण्डएजी लेखापरीक्षा पैरा सं. 5.1 के आधार पर इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से संबंधित सड़क परियोजनाओं को दिए गए ऋणों की समीक्षा' विषय के बारे में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) का उन्नीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री पी.पी. चौधरी ने जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का विवरण

श्री छेदी पासवान ने 'नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन' विषय के बारे में गृह मंत्रालय से संबंधित पांचवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) 'प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यान्वयन का मूल्यांकन' विषय संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।
- (2) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी अठारहवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

8. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 20वां प्रतिवेदन।
- (2) जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 21वां प्रतिवेदन।
- (3) 'भू-जल: एक बहुमूल्य किंतु घटता संसाधन' विषय पर 22वां प्रतिवेदन।

9. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री विष्णु दयाल राम ने गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) 'गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 242वां प्रतिवेदन।
- (2) 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 243वां प्रतिवेदन।
- (3) 'पुलिस-प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण और सुधार' के बारे में 237वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 244वां प्रतिवेदन।

10. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 373वां प्रतिवेदन।
- (2) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 374वां प्रतिवेदन।
- (3) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 375वां प्रतिवेदन।
- (4) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 376वां प्रतिवेदन।
- (5) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 377वां प्रतिवेदन।

- (6) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 378वां प्रतिवेदन।
- (7) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 379वां प्रतिवेदन।

11. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. कृष्ण पाल सिंह यादव ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2023-24 (मांग संख्या 46) के बारे में समिति का 143वां प्रतिवेदन।
- (2) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2023-24 (मांग संख्या 47) के बारे में समिति का 144वां प्रतिवेदन।
- (3) आयुष मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2023-24 (मांग संख्या 4) के बारे में समिति का 145वां प्रतिवेदन।

12. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सुरेश कुमार पुजारी ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 126वां प्रतिवेदन।
- (2) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 127वां प्रतिवेदन।
- (3) न्याय विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 128वां प्रतिवेदन।
- (4) विधि कार्य विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 129वां प्रतिवेदन।
- (5) विधायी विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 130वां प्रतिवेदन।

13. मंत्री द्वारा वक्तव्य

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) ने (एक) 'ऋणों का एकीकरण' के बारे में श्री मणिकम टैगोर, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5085 के 04.04.2022 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

14. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने 20 मार्च, 2023 से आरंभ हो रहे सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराहन 2.14 बजे

15. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1. श्री गणेश सिंह द्वारा सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक खेल प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री विनोद कुमार सोनकर द्वारा उत्तर प्रदेश के कौशांबी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीड़ी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा हितलाभ प्रदान किए जाने और क्षेत्र में एक ईएसआईसी अस्पताल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री जयंत सिन्हा द्वारा झारखंड में ढके हुए ट्रकों और रेल वैगनों में अनिवार्य रूप से कोयले की ढुलाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री दिलीप शङ्कीया द्वारा निम्न और मध्यम वर्ग के लिए कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार को वहनीय बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री नायब सिंह द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र, लाडवा और रादौर में बाईपास सड़कों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री छेदी पासवान द्वारा सरकारी विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के मानदेय में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्री रोडमल नागर द्वारा मध्य प्रदेश के मक्सी-रूठियाई रेल खंड का दोहरीकरण किए जाने के बारे में।
8. श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में रिंग रोड का निर्माण किए जाने के बारे में।
9. श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के औरंगाबाद में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे द्वारा महाराष्ट्र के लातूर जिले के ब्लॉकों को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
11. श्री पी.पी. चौधरी द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
12. श्री रामचरण बोहरा द्वारा राजस्थान के जयपुर में खिलाड़ियों के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
13. श्रीमती लॉकेट चटर्जी द्वारा रेलवे माल गोदाम के साथ-साथ गौरहाटी घाट में कोयला डिपो पर कटाव के प्रभाव की जाँच किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
14. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा पर्ल एगोटेक कार्पोरेशन लिमिटेड के निवेशकों का धन वापस किए जाने के बारे में।
15. श्री विनसेंट एच. पाला द्वारा कुलियांग गांव के जैतिया हिल्स में लैंड कस्टम स्टेशन खोले जाने के बारे में।

16. डॉ. मोहम्मद जावेद द्वारा किशनगंज - जलालगढ़ रेलवे लाइन परियोजना के बारे में।
17. श्री के. मुरलीधरन द्वारा देश में ठोस अपशिष्ट उपचार प्रबंधन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
18. डॉ. डी.एन.वी. सैथिलकुमार एस. द्वारा धर्मापुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना किए जाने के बारे में।
19. श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा बच्चों के स्कूल छोड़ने की समस्याओं के समाधान के लिए समग्र शिक्षा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के बारे में।
20. श्री कोटागिरी श्रीधर द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के उचित क्रियान्वयन के बारे में।
21. श्री राहुल रमेश शेवाले द्वारा मुंबई महानगर क्षेत्र में प्रदूषण के बारे में।
22. श्री दिलेश्वर कामैत द्वारा सुपौल जिले को आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
23. सुश्री चन्द्राणी मुर्मु द्वारा ओडिशा में कोविड प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के बारे में।
24. श्रीमती संगीता आज्ञाद द्वारा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने और मंडूरी हवाई अड्डे से उड़ानों को शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
25. चौधरी महबूब अली कैसर द्वारा बिहार में खगड़िया एवं पूर्णिया के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 को चार लेन का किए जाने के बारे में।
26. श्री जयदेव गल्ला द्वारा गुंटूर यार्ड की रीमाँडलिंग किए जाने के बारे में।

अपराहन 2.14 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार, 21 मार्च, 2023 के पूर्वहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 21 मार्च, 2023/ 30 फाल्गुन, 1944 (शक)

संख्या 222

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 281 लिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 281 का उत्तर सभा पटल पर रखा गया।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.06 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)*

तारांकित प्रश्न संख्या 282 से 300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3221 से 3450 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. # अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सदस्यों से सभा में मर्यादा बनाए रखने और अपने-अपने स्थान पर जाने की अपील की।

मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराहन 2.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गनसिंह कुलस्ते) ने भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एण्ड डवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एण्ड डवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल, मुख्य विधि अधिकारी, अपर मुख्य विधि अधिकारी और विधि अधिकारी भर्ती तथा सेवा-शर्तें नियम, 2023, जो 11 जनवरी, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 20(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) असम राइफल्स, हवलदार (जनरल ड्यूटी), अराजपत्रित, अननुसचिवीय समूह 'ग' कम्बैटाइज्ड पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2022, जो 14 जनवरी, 2023 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.1 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) असम राइफल्स वारंट ऑफिसर (साइफर), समूह 'ग' कम्बैटाइज्ड पद भर्ती नियम, 2022, जो 14 जनवरी, 2023 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.2 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) असम राइफल्स (रिकवरी व्हीकल मैकेनिक), समूह 'ग' कम्बैटाइज्ड पद भर्ती नियम, 2022, जो 14 जनवरी, 2023 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.3 में प्रकाशित हुए थे।
- (3) (एक) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (2) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, मोटर ट्रांसपोर्ट और मोटर मैकेनिक काडर समूह 'ख' और समूह

‘ग’ पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2023, जो 9 फरवरी, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.89(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) (एक) राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री प्रतिमा भौमिक) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) कार्यालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) कार्यालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरुगन) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(एक) नेशनल फिल्म डवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) नेशनल फिल्म डवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मुंबई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला

विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) की ओर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

- (1) अधिसूचना सं. 13/2023-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क जो 20 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क को कम करने के आशय वाली दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (2) अधिसूचना सं. 14/2023-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क जो 20 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के आशय वाली दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 04/2022-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

5. प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन

श्री निहाल चन्द चौहान ने प्राक्कलन समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित 'एमपीएलएडी निधि योजना के अंतर्गत निधियों के आबंटन और उपयोग की समीक्षा' विषय के बारे में समिति के 14वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 23वां प्रतिवेदन।
- (2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'सभी एम्स की प्रगति की समीक्षा' विषय के बारे में समिति के 12वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 24वां प्रतिवेदन।
- (3) गृह मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की समीक्षा' विषय के बारे में समिति के 13वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 25वां प्रतिवेदन।

6. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के विवरण

श्री राजेश वर्मा ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के अंतिम की-गई-कार्रवाई संबंधी निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) 'अन्य पिछड़े वर्गों के लिए चिकित्सा संस्थाओं में कार्यान्वित की जा रही आरक्षण नीति की समीक्षा' के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के तेरहवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (2) 'नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर

सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

- (3) 'राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के तेरहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

7. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. निशिकांत दुबे ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 43वां प्रतिवेदन।
- (2) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 44वां प्रतिवेदन।
- (3) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 45वां प्रतिवेदन।
- (4) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 46वां प्रतिवेदन।

8. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

प्रो. (डॉ.) राम शंकर कठेरिया ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) 'थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूलों (मांग सं. 20 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का 32वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

- (2) 'रक्षा सेवाओं, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवास परियोजना संबंधी पूंजीगत परिव्यय (मांग सं. 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का 33वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (3) 'आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) - नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) (मांग सं. 20)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का 34वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (4) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा सम्पदा संगठन, सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन (मांग सं. 19 और 22)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 35वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (5) 'थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूलों (मांग सं. 20 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 36वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (6) 'रक्षा सेवाओं, खरीद नीति और रक्षा आयोजना संबंधी पूंजीगत परिव्यय (मांग सं. 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 37वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (7) 'आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) - नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग सं. 20 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 38वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

9. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री जगदम्बिका पाल ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए :-

- (1) 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में समिति के 24वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 33वां प्रतिवेदन।
- (2) 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 34वां प्रतिवेदन।
- (3) 'विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 35वां प्रतिवेदन।

10. विदेशी मामलों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी.पी. चौधरी ने 'वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों' के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) का बीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती लॉकेट चटर्जी ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 24वां प्रतिवेदन।
- (2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 25वां प्रतिवेदन।

12. आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री शंकर लालवानी ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 15वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

13. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सत्यदेव पचौरी ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'सतत फसल उत्पादन और मृदा उर्वरता बनाये रखने के लिए नैनो-उर्वरक' विषय संबंधी 39वां प्रतिवेदन।
- (2) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 40वां प्रतिवेदन।
- (3) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 41वां प्रतिवेदन।
- (4) औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 42वां प्रतिवेदन।

14. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण

श्री उदय प्रताप सिंह ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) औषध विभाग से संबंधित 'कोविड प्रबंधन के लिए दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता' के बारे में समिति के 31वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 35वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (2) उर्वरक विभाग की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में समिति के 32वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 36वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (3) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में समिति के 33वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 37वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (4) औषध विभाग की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में समिति के 34वें प्रतिवेदन

(17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 38वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

15. कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी ने कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 38वां प्रतिवेदन।
- (2) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 39वां प्रतिवेदन।
- (3) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 40वां प्रतिवेदन।

16. मंत्री द्वारा वक्तव्य

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'वाहन क्षेत्र में मंदी - इसके प्रभाव और पुनरूद्धार के लिए उपाय' के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 313वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

अपराहन 2.01 बजे

17. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- 1) श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा गोरखपुर से प्रयागराज तक *बरास्ता* भटनी, सलेमपुर और वाराणसी रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 2) श्री राम कृपाल यादव द्वारा बिहार के पटना में बिहटा में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 3) श्री संजय सेठ द्वारा झारखंड में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, संगीत नाटक अकादमी का एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- 4) श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा सेतु बंधन कार्यक्रम के अंतर्गत सीआरआईएफ से बिहार के दरभंगा जिले में आरओबी का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 5) श्री जनार्दन सिंह सीग्गीवाल द्वारा बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पटेरी गांव के निकट हाल्ट स्टेशन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 6) श्रीमती केशरी देवी पटेल द्वारा प्रयागराज हवाई अड्डे का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में उन्नयन किए जाने और प्रयागराज से विभिन्न शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 7) डॉ. रमापति राम त्रिपाठी द्वारा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में भटनी रेलवे जंक्शन तक लखनऊ और वाराणसी के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस का विस्तार किए जाने आवश्यकता के बारे में।
- 8) श्रीमती जसकौर मीना द्वारा दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नव विकसित दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के किनारे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में स्थानीय लोगों और महिलाओं को रोजगार दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 9) श्री राजेश वर्मा द्वारा लखनऊ-सीतापुर रेल खंड के दोहरीकरण की आवश्यकता के बारे में।
- 10) श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा मनरेगा की साफ्टवेयर प्रणाली को सरल बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 11) श्री टी.एन. प्रथापन द्वारा अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 में प्रस्तावित संशोधन के बारे में।
- 12) श्री सी.एन. अन्नादुरई द्वारा चैन्नई से तिरुवन्नमलाई के बीच एक दैनिक सीधी रेलगाड़ी को बहाल किए जाने के बारे में।
- 13) डॉ. डी. रविकुमार द्वारा समाज सुधारक श्री एल. एलयापेरुमल का जन्म शताब्दी समारोह मनाने और उन पर स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने के बारे में।
- 14) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा ईपीएस-95 के तहत पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 15) श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा बिहार में बिदुपुर से पूर्णिया तक ग्रीनफील्ड फोर लेन सड़क का निर्माण किए जाने के बारे में।
- 16) श्री हसनैन मसूदी द्वारा जम्मू और कश्मीर सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत दिहाड़ी

मजदूरों की दुर्दशा के बारे में।

- 17) एडवोकेट ए.एम. आरिफ द्वारा रेलवे लाइन के अंबालापुड़ा-थुरावूर खंड के दोहरीकरण को अनुमोदन प्रदान किए जाने के बारे में।

अपराहन 2.10 बजे

लिया गया समय: 15 मिनट

18. (एक) वर्ष 2023-24 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में बजट;
(दो) वर्ष 2023-24 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुदानों की मांगें;
(तीन) वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें; और
(चार) वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - दूसरा बैच।

कार्य की निम्नलिखित मदों पर संयुक्त चर्चा एक साथ ली गई:-

- (एक) वर्ष 2023-24 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में बजट;
(दो) वर्ष 2023-24 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुदान की मांग संख्या 1 से 36;
(तीन) वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुदान की अनुपूरक मांग संख्या 8, 10, 17, 22, 24, 30, 32, 34 और 36; और
(चार) वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों - दूसरा बैच के संबंध में अनुदान की अनुपूरक मांग संख्या 1 से 16, 18 से 30, 32, 35 से 38, 41 से 46, 49, 51, 52, 55 से 58, 60 से 62, 64 से 66, 68, 69, 71, 76 से 79, 85, 86, 88 से 95, 98, 100 और 102.

श्री जुगल किशोर शर्मा संयुक्त चर्चा पर बोले।

वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की सभी मांग सं. 1 से 36 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) अनुदानों की मांगों (जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की सभी अनुपूरक मांग सं. 8, 10, 17, 22, 24, 30, 32, 34 और 36 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) अनुदानों की अनुपूरक मांगों (जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की सभी अनुपूरक मांग सं. 1 से 16, 18 से 30, 32, 35 से 38, 41 से 46, 49, 51, 52, 55 से 58, 60 से 62, 64 से 66, 68, 69, 71, 76 से 79, 85, 86, 88 से 95, 98, 100 और 102 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) अनुदानों की अनुपूरक मांगों - दूसरा बैच की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

19. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2023

20. सरकारी विधेयक - पारित

जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2023

श्री पंकज चौधरी द्वारा श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से विधेयक पर विचार करने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार किया गया।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पंकज चौधरी द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

21. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2023.

22. सरकारी विधेयक - पारित

जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2023.

श्री पंकज चौधरी द्वारा श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से विधेयक पर विचार करने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार किया गया।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पंकज चौधरी द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

23. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2023.

24. सरकारी विधेयक - पारित

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2023.

श्री पंकज चौधरी द्वारा श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से विधेयक पर विचार करने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार किया गया।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पंकज चौधरी द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराहन 2.25 बजे

25. अध्यक्षपीठ द्वारा बैठक रद्द किए जाने के बारे में घोषणा

अध्यक्षपीठ ने 'विक्रम संवत्, 2080 के नव संवत्सर/ चैत्र शुक्लादि/ गुड़ी पड़वा/ उगादी/ चेटी चंड' के उपलक्ष्य में बुधवार, 22 मार्च, 2023 के लिए नियत सभा की बैठक रद्द किए जाने के बारे में घोषणा[%] की।

अपराहन 2.25 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा गुरुवार, 23 मार्च, 2023 के पूर्वाहन 11.00 बजे

तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव

[%] मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

लोक सभा

समाचार – भाग 1 (कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 23 मार्च, 2023 / 2 चैत्र, 1945 (शक)

संख्या 223

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. उल्लेख

अध्यक्ष ने सभा की ओर से भारत माता के महान सपूतों शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु, जिन्होंने हमारी आजादी के लिए 1931 में आज ही के दिन अपने प्राण न्योछावर किए थे, को श्रद्धांजलि अर्पित की।

अध्यक्ष ने श्री सत्यव्रत मुखर्जी, सदस्य, तेरहवीं लोक सभा; श्री सोहन पोटाई, सदस्य, बारहवीं से पंद्रहवीं लोक सभा और श्री रंगास्वामी ध्रुवनारायण, सदस्य, पंद्रहवीं और सोलहवीं लोक सभा के निधन के बारे में भी उल्लेख किया।

इसके बाद, सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं की स्मृति में कुछ देर के लिए मौन धारण किया।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

2. प्रश्न

(एक) तारांकित प्रश्न संख्या 321 लिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 321 का उत्तर सभा पटल पर रखा गया। तारांकित प्रश्न संख्या 322 से 340 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। अतारांकित प्रश्न संख्या 3681 से 3910 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(दो) चूंकि मंगलवार, 22 मार्च, 2023 के लिए नियत लोक सभा की बैठक रद्द कर दी गई थी, अतः उस दिन के लिए सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 301 से 320 के उत्तरों को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 3451 से 3680 के उत्तरों साथ आज की कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

3. # अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सभा के सुचारु संचालन के लिए सदस्यों से अपील की।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.08 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)
अपराह्न 2.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

| | | | |
|--|--------------|--|-----------------------|
| संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने मंत्रियों द्वारा पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:- | | | |
| पंद्रहवीं लोक सभा | | | |
| 1. | विवरण सं. 35 | | तीसरा सत्र, 2009 |
| 2. | विवरण सं. 33 | | ग्यारहवां सत्र, 2012 |
| 3. | विवरण सं. 33 | | तेरहवां सत्र, 2013 |
| सोलहवीं लोक सभा | | | |
| 4. | विवरण सं. 23 | | ग्यारहवां सत्र, 2017 |
| 5. | विवरण सं. 16 | | सोलहवां सत्र, 2018-19 |
| 6. | विवरण सं. 15 | | सत्रहवां सत्र, 2019 |
| सत्रहवीं लोक सभा | | | |
| 7. | विवरण सं. 18 | | पहला सत्र, 2019 |
| 8. | विवरण सं. 14 | | दूसरा सत्र, 2019 |
| 9. | विवरण सं. 13 | | तीसरा सत्र, 2020 |
| 10. | विवरण सं. 13 | | चौथा सत्र, 2020 |
| 11. | विवरण सं. 13 | | पांचवां सत्र, 2021 |
| 12. | विवरण सं. 12 | | छठा सत्र, 2021 |
| 13. | विवरण सं. 6 | | सातवां सत्र, 2021 |
| 14. | विवरण सं. 6 | | आठवां सत्र, 2022 |
| 15. | विवरण सं. 3 | | नौवां सत्र, 2022 |
| 16. | विवरण सं. 1 | | दसवां सत्र, 2022 |
| 17. | विवरण सं. 1 | | ग्यारहवां सत्र, 2023 |

मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 5 तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ. 6016(अ) जो 22 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4200(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) का.आ. 6017(अ) जो 22 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तीन) का.आ. 6018(अ) जो 22 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।
- (चार) का.आ. 155(अ) जो 10 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 330घ को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।
- (पांच) का.आ. 156(अ) जो 10 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (छह) का.आ. 157(अ) जो 10 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सात) का.आ. 197(अ) जो 12 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 दिसम्बर, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4491(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (आठ) का.आ. 198(अ) जो 12 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (नौ) का.आ. 199(अ) जो 12 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।
- (दस) का.आ. 200(अ) जो 12 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (ग्यारह) का.आ. 201(अ) जो 12 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का. आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बारह) का.आ. 202(अ) जो 12 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड मणिपुर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 102ग के पल्ले-चंदेल खंड के विकास और अनुरक्षण संबंधी कार्य का निर्वहन करेगा।
- (तेरह) का.आ. 203(अ) जो 12 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चौदह) का.आ. 300(अ) जो 17 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पंद्रह) का.आ. 763(अ) जो 17 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 244 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।
- (सोलह) का.आ. 764(अ) जो 17 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 444 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।
- (सत्रह) का.आ. 765(अ) जो 17 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (अठारह) का.आ. 864(अ) जो 23 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (उन्नीस) का.आ. 927(अ) जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केरल राज्य में नये राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 866 की घोषणा को अधिसूचित किया गया है।
- (बीस) का.आ. 978(अ) जो 1 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।
- (इक्कीस) का.आ. 979(अ) जो 1 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (बाईस) का.आ. 1154(अ) जो 10 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में नये राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 375 की घोषणा को अधिसूचित किया गया है।
- (2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (एक) से (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ. 401(अ) जो 25 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में एन.एच.-91 के अलीगढ़-कानपुर खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (दो) का.आ. 402(अ) जो 25 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में एन.एच.-275 के बेंगलुरु-निदाघट्टा खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (तीन) का.आ. 404(अ) जो 25 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एन.एच.-161 के अकोला-मेडसी-वाशिम खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (चार) का.आ. 490(अ) जो 2 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एन.एच.-161 के उसमें उल्लिखित खंडों की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (पांच) का.आ. 491(अ) जो 2 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरियाणा राज्य में एन.एच.-09 (पुराना एन.एच.-10) के दिल्ली-हरियाणा सीमा से रोहतक खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (छह) का.आ. 492(अ) जो 2 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पंजाब राज्य में एन.एच.-09 के मलोट-मंडी-डबवाली खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (सात) का.आ. 493(अ) जो 2 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केरल राज्य में एन.एच.-85 के वोडीमेट्टूर/मुन्नार खंड की पेव्ड सोल्डर वाली दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (आठ) का.आ. 626(अ) जो 9 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में एन.एच.-326क के एपी/ओडिशा सीमा से नरसन्नापेट्टा खंड की पेव्ड सोल्डर वाली दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (नौ) का.आ. 629(अ) जो 10 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में एन.एच.-922 के भोजपुर-बक्सर खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

- (दस) का.आ. 630(अ) जो 10 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरियाणा राज्य में एन.एच.-352 (पुराना एन.एच.-71) के जींद से रोहतक खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (ग्यारह) का.आ. 654(अ) जो 14 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ओडिशा राज्य में एन.एच.-215 (पुराना एन.एच.-520) के कोयडा से राजामंडा खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (बारह) का.आ. 797(अ) जो 22 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में एन.एच.-234 (नया एन.एच.-75) के आंध्र प्रदेश-तमिलनाडु सीमा से वेल्लोर में समाप्त होने वाले खंड की 2/4 लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (तेरह) का.आ. 798(अ) जो 22 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एन.एच.-965 के मोहोल-वाखडी-खुडूस खंड की 2/4 लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (चौदह) का.आ. 950(अ) जो 1 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में एन.एच.-214क के मछलीपट्टनम से अवनीगड्डा खंड की पेव्ड सोल्डर वाली दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (पंद्रह) का.आ. 953(अ) जो 1 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 जुलाई, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2563(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) भारतीय होटल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) भारतीय होटल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) पवन हंस लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पवन हंस लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राज्यीय पारेषण प्रभारों और हानियों का साझाकरण (पहला संशोधन) विनियम, 2003 जो 1 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/250/2019/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क, जुर्माना और प्रभार) विनियम, 2023 जो 17 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2023/04 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चन्द्रशेखर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
 - (एक) आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो 27 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एचक्यू-13011/2/2021-अधिप्रमा.-दो (2023 का संख्यांक 1) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य निर्धारण) (पहला संशोधन) विनियम, 2023 जो 27 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एचक्यू-13062/4/2021-अधिप्रमा.-दो (2023 का संख्यांक 2) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार-संहिता) नियम, 2021 जो 25 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 139(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) क्रेडिट गारण्टी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) क्रेडिट गारण्टी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ओमनीबस इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली लिमिटेड, नानी दमन के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओमनीबस इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली लिमिटेड, नानी दमन का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (तरलीकृत प्राकृतिक गैस कंपनियों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देश) संशोधन विनियम, 2023 जो 15 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. पीएनजीआरबी/टीईसीएच/4-टी4एसएलएनजी(1)/2019 (पी-3317) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (i) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।
- (ii) ऑयल इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 27 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एलएम/पीएम/0001/2020/यूडीएवाई/एमओएम में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) का.आ. 1487(अ) जो 4 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1053(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री जयंत सिन्हा ने वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन तथा लोक उद्यम विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 54वां प्रतिवेदन।
- (2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 55वां प्रतिवेदन।
- (3) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 56वां प्रतिवेदन।
- (4) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 57वां प्रतिवेदन।
- (5) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 58वां प्रतिवेदन।

6. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री रमेश बिधूड़ी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 18वां प्रतिवेदन।
- (2) 'बाघजन गैस रिसाव घटना के विशेष संदर्भ में सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के तेल प्रतिष्ठानों की संरक्षा और सुरक्षा' विषय संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

7. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती रमा देवी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए :-

- (1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग) की अनुदानों की मांगों - 2023-24 के बारे में समिति (2022-23) का 45वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।
- (2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों - 2023-24 के बारे में समिति (2022-23) का 46वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

- (3) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों - 2023-24 के बारे में समिति (2022-23) का 47वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

8. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री रविन्द्र कुशवाहा ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में समिति के 316वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 319वां प्रतिवेदन।
- (2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में 320वां प्रतिवेदन।
- (3) भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में 321वां प्रतिवेदन।

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह) ने 'विमानन उद्योग को हानि' के बारे में श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा 2.2.2023 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 201 के उत्तर (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) में शुद्धि करने और (दो) उत्तर की शुद्धि में हुए विलंब के कारण बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा।
- (2) जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विश्वेश्वर टुडु) ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित "चीन, पाकिस्तान और भूटान के साथ की गई संधि/समझौते के विशेष संदर्भ में जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों सहित देश में बाढ़ प्रबंधन" के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

अपराहन 2.04 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- 1) श्री राजू बिष्ट द्वारा नेपाली भाषा संवर्धन परिषद का गठन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 2) श्री निहाल चन्द चौहान द्वारा गंगानगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उन किसानों को, जिनकी फसल भारी वर्षा और ओलावृष्टि से नष्ट हो गई है, मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 3) श्री मोहन मंडावी द्वारा राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कांकेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 4) डॉ. ढाल सिंह बिसेन द्वारा कृषि उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने और इसके हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 5) श्री तपन कुमार गोगोई द्वारा असम ऊर्जा संस्थान में बी.टेक पाठ्यक्रम शुरू किए जाने के बारे में।
- 6) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीसीएल द्वारा भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित भू-स्वामियों की समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 7) श्री रामदास सी. तडस द्वारा सहारा ग्रुप की कंपनियों में निवेश करने वाले वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के धन की वापसी के बारे में।
- 8) श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा द्वारा दिल्ली में पानी की कमी के बारे में।
- 9) डॉ. हिना विजयकुमार गावीत द्वारा महाराष्ट्र में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 10) श्री कुनार हेम्रम द्वारा पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले में एफएम एयर (एलआरएस) की स्टूडियो सुविधाओं सहित एक डेडिकेटेड ट्रांसमीटर की स्थापना के बारे में।
- 11) श्री अरुण कुमार सागर द्वारा शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आलू आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने और क्षेत्र से आलू के निर्यात के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 12) श्रीमती रीती पाठक द्वारा संजय-डुबरी राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व के विकास तथा टाइगर रिजर्व में पर्यटक सुविधाओं के लिये निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 13) श्री सु. थिरुनवुक्करासर द्वारा श्रीलंका की नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी के बारे में।
- 14) श्री वी.के. श्रीकंदन द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा शर्तों के बारे में।
- 15) श्री राजमोहन उन्नीथन द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के मानदंडों की समीक्षा के बारे में।

- 16) श्री एस.आर. पार्थिवन द्वारा सलेम जिले के लिए एसआईटीपी (एकीकृत वस्त्र पार्क योजना) और आईपीडीएस (एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना) को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 17) प्रो. सौगत राय द्वारा किसानों पर भीषण गर्मी का प्रभाव कम किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 18) श्री सुनील कुमार मंडल द्वारा वर्धमान पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा नदी की स्थिति के बारे में।
- 19) श्री के. रघु राम कृष्ण राजू द्वारा आंध्र प्रदेश में नई प्रस्तावित कोटिपल्ली-नरसापुरम रेलवे लाइन के निर्माण के बारे में।
- 20) श्री कुरुवा गोरान्तला माधव द्वारा देश में विचाराधीन कैदियों की दयनीय स्थिति के बारे में।
- 21) डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता के लिए दिए जाने वाले निर्धनता अनुदान के अंतर्गत सहायता बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 22) श्री सुनील कुमार द्वारा वाल्मीकिनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, दिल्ली का एक केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 23) श्री चंद्र शेखर साहू द्वारा आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा के बारे में।
- 24) श्री कुंवर दानिश अली द्वारा उत्तर प्रदेश के अमरोहा और हापुड़ जिले में रेत और मिट्टी के अवैध खनन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 25) श्री के. नवासखनी द्वारा रामानाथपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नारियल उत्पादों के उत्पादन एवं परिरक्षण हेतु एक गोदाम और एक उन्नत कैनिंग फैक्ट्री के संयंत्र की स्थापना के बारे में।
- 26) डॉ. थोल काप्पियन तिरुमावलवन द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय के परिसर में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित किए जाने के बारे में।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.05 बजे स्थगित हुई और
सायं 6.00 बजे पुनः समवेत हुई)*

सायं 6.00 बजे

11. केंद्रीय बजट – 2023-2024 – अनुदानों की मांगें

अध्यक्ष ने घोषणा[§] की कि वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट के संबंध में अनुदानों की मांगों पर परिचालित किए गए सभी कटौती प्रस्ताव पेश किए माने जाएंगे।

[§] मूल हिन्दी में। विस्तृत विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

सभी कटौती प्रस्ताव, जो पेश किए माने गए, अस्वीकृत हुए।

निम्नलिखित अनुदानों की बकाया मांगें (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा, दोनों) वर्ष 2023-2024 के लिए अनुदानों की मांग - केंद्रीय बजट की मुद्रित सूची के स्तम्भ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए सभा के मतदान हेतु रखी गई तथा वे पूरी-पूरी स्वीकृत हुई:-

- (1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 और 2;
- (2) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 3;
- (3) आयुष मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 4;
- (4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 5 से 7;
- (5) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 8;
- (6) कोयला मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 9;
- (7) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 10 और 11;
- (8) संचार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 12 और 13;
- (9) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 14 और 15;
- (10) सहकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 16;
- (11) कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 17;
- (12) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 18;
- (13) रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 19 से 22;
- (14) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 23;
- (15) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 24;
- (16) शिक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 25 और 26;
- (17) इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 27;
- (18) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 28;
- (19) विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 29;
- (20) वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 30 से 38, 41 और 42;
- (21) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 43 और 44;
- (22) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 45;
- (23) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 46 और 47;
- (24) भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 48;

- (25) गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 49 से 59;
- (26) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 60;
- (27) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 61;
- (28) जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 62 और 63;
- (29) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 64;
- (30) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 65 और 66;
- (31) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 68;
- (32) खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 69;
- (33) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 70;
- (34) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 71;
- (35) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 72;
- (36) संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 73;
- (37) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 74;
- (38) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 76;
- (39) योजना मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 77;
- (40) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 78;
- (41) विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 79;
- (42) लोक सभा से संबंधित मांग संख्या 81;
- (43) राज्य सभा से संबंधित मांग संख्या 82;
- (44) उप-राष्ट्रपति सचिवालय से संबंधित मांग संख्या 83;
- (45) रेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 85;
- (46) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 86;
- (47) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 87 और 88;
- (48) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 89 से 91;
- (49) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 92;
- (50) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 93 और 94;
- (51) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मांग संख्या 95;
- (52) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 96;
- (53) इस्पात मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 97;
- (54) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 98;
- (55) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 99;

- (56) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 100;
(57) महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 101; और
(58) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 102।

सायं 6.08 बजे

12. सरकारी विधेयक – पुरःस्थापित

विनियोग विधेयक, 2023

13. सरकारी विधेयक – पारित

विनियोग विधेयक, 2023

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार किया गया।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

सायं 6.10 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 24 मार्च, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार – भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 24 मार्च, 2023 / 3 चैत्र, 1945 (शक)

संख्या 224

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिए जा सके। अतः आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 341 से 360 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 3911 से 4140 के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)*

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान, तंजावुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान, तंजावुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(एक) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
(दो) मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
(तीन) भारतीय रेलटेल निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

- (चार) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (पांच) रेल विकास निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (छह) कोंकण रेल निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (सात) भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (आठ) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (नौ) भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (दस) राइट्स लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (2) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) रेलवे रेड टैरिफ (संशोधन) नियम, 2023 जो 7 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 83(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) कोलकाता मेट्रो रेल सामान्य (संशोधन) नियम, 2023 जो 15 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 100(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) एनआरटीयू फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एनआरटीयू फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) छावनी बोर्ड के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) छावनी बोर्ड के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की

- टिप्पणियां।
- (ख) (एक) टूप कम्फर्ट्स लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) टूप कम्फर्ट्स लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, देहरादून के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, देहरादून का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) नौसेना अधिनियम, 1957 की उप-धारा 11 के साथ पठित धारा 184 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.नि.आ. 24(अ) जो 21 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया था कि भारतीय नौसेना में भर्ती अग्निवीर भारतीय नौसेना में विद्यमान वर्तमान किसी अन्य रैंक से अलग एक विशिष्ट रैंक में होंगे और यह भारतीय नौसेना में सबसे कनिष्ठतम रैंक होगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरुग्राम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरुग्राम के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (15) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (पहला संशोधन) नियम, 2022 जो 20 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 33(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गोवा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गोवा का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बठिंडा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बठिंडा के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलागिरि के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलागिरि के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) (एक) भारतीय पास्चर संस्थान, कुन्नूर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय पास्चर संस्थान, कुन्नूर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (38) (एक) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बीबीनगर के वर्ष 2019-2020 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बीबीनगर के वर्ष 2019-2020 और 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राजकोट के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राजकोट के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) (एक) राष्ट्रीय क्षय एवं श्वसन रोग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय क्षय एवं श्वसन रोग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस आशय के संदेश की सूचना दी कि 13 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने 01 मई, 2023 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2024 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए दोनो सभाओं की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया और उक्त समिति के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित दस सदस्यों को निर्वाचित किया है:-

1. श्री अबीर रंजन बिस्वास
2. श्री अंतियुर पी. सेल्वरासू
3. डा. वी. शिवादासन
4. श्रीमती फूलो देवी नेतम
5. श्रीमती कान्ता कर्दम
6. डा. सुमेर सिंह सोलंकी
7. श्री नबाम रेबिआ
8. श्री कामाख्या प्रसाद तासा
9. श्री समीर उरांव
10. श्री निरंजन बिशी

4. प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन

श्री निहाल चन्द चौहान ने भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) नीति का मूल्यांकन' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2022-23) का 26वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के विवरण

श्री संतोष कुमार गंगवार ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) 'भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)' के बारे में पहले प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 10वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।
- (2) 'सेन्ट्रल कोल्फील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)' के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 11वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।
- (3) 'भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)' के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 12वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।
- (4) 'नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) लिमिटेड' के बारे में आठवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 13वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।
- (5) 'हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल)' के बारे में चौथे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 14वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

- (6) 'एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड' के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 15वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

6. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री बृजेन्द्र सिंह ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों द्वारा लक्षद्वीप के स्थानीय लोगों को ऋण सुविधाएं दिए जाने के बारे में श्री निखिल वर्मा के अभ्यावेदन पर 42वां प्रतिवेदन।
- (2) लक्षद्वीप में पर्यटन के संवर्धन और विकास तथा उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री प्रवीण कुमार के अभ्यावेदन पर 43वां प्रतिवेदन।
- (3) नागौर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र (राजस्थान) में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-III) के अंतर्गत सड़क विकास कार्य के लिए कथित रूप से मनमाने ढंग से स्वीकृति दिए जाने के बारे में श्री हनुमान बेनीवाल, संसद सदस्य, लोक सभा के अभ्यावेदन पर 44वां प्रतिवेदन।
- (4) दक्षिणी गोवा में बेतुल स्थित प्रशिक्षण संस्थान नामतः द इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम सेफ्टी, हेल्थ एण्ड एंवायरन्मेंट मैनेजमेंट (आईपीएसएचईएम) के पुनरुद्धार की आवश्यकता के बारे में श्री दीपक शर्मा के अभ्यावेदन पर 45वां प्रतिवेदन।
- (5) एसएआईएल (सेल) पेंशन योजना के संशोधन और उससे संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में श्री बी.एस. नरसिम्हन के अभ्यावेदन पर 46वां प्रतिवेदन।
- (6) लाखों तंबाकू किसानों, केवड़ा और मेंथा की खेती/तंबाकू उद्योग से जुड़े श्रमिकों की आजीविका बचाने तथा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत 'खाद्य' की परिभाषा को संगत बनाए जाने के बारे में श्री संजय बेचन के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सोलहवीं लोक सभा) के 68वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की-गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 47वां प्रतिवेदन।

- (7) सब्सिडी जारी किए जाने, ऋणों का पुनर्गठन किए जाने, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) से अतिरिक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराए जाने और निरीक्षण पूरा किए जाने, आदि के अनुरोध के बारे में श्री कैलाश गोरख पाटिल, अध्यक्ष, चोपदा तालुका सेतकारी सहकारी सूतगिरनी मर्यादित, चोपदा, जलगांव (महाराष्ट्र) के अभ्यावेदन पर याचिका समिति के 33वें प्रतिवेदन में समिति (सत्रहवीं लोक सभा) द्वारा की-गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 48वां प्रतिवेदन।

7. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 338(5)(घ) के अधीन प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच तथा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों के संबंध में सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय' विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 30वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 22वां प्रतिवेदन।
- (2) 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) के कार्यकरण की समीक्षा' विषय के बारे में 23वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।
- (3) 'नवोदय विद्यालयों/केंद्रीय विद्यालयों में प्री-मैट्रिक/पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों के विशेष संदर्भ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में केंद्रीय विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, आईआईएम, आईआईटी, चिकित्सा संस्थानों, आदि सहित स्वायत्त निकायों/शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका' विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 17वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 24वां प्रतिवेदन।

8. विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

श्री सुनील कुमार सिंह ने विशेषाधिकार समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती लॉकेट चटर्जी ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के 'गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ (क्यूसीसी)' विषय के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 20वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का 26वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए।

10. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. निशिकांत दुबे ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) 'भारत में ई-वाणिज्य का संवर्धन और विनियमन' के बारे में समिति के 172वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 176वां प्रतिवेदन।
- (2) 'विशेषकर दार्जिलिंग क्षेत्र में भारतीय चाय उद्योग को प्रभावित कर रहे मुद्दे' के बारे में समिति के 171वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 177वां प्रतिवेदन।
- (3) 'एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) सहित जिला निर्यात केन्द्र (डीईएच) पहलों के कार्यान्वयन' के बारे में समिति के 170वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 178वां प्रतिवेदन।
- (4) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) (मांग सं. 10) संबंधी 179वां प्रतिवेदन।
- (5) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) (मांग सं. 11) संबंधी 180वां प्रतिवेदन।

11. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री तापिर गाव ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) 'विदेशों में भारतीय पर्यटन का संवर्धन – विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों और भारतीय दूतावासों की भूमिका' विषय के बारे में समिति के 313वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 344वां प्रतिवेदन।
- (2) 'सागरमाला परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति' विषय के बारे में समिति के 319वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 345वां प्रतिवेदन।
- (3) 'रेल संरक्षा आयोग' विषय के बारे में समिति के 323वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 346वां प्रतिवेदन।
- (4) 'भारत में पर्यटन के विकास के लिए विदेश भर में भारतीयों मिशनों की भूमिका' विषय के बारे में समिति के 326वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 347वां प्रतिवेदन।

12. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री बालाशौरी बल्लभनेनी ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये-

- (एक) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014, 2019 में यथासंशोधित, के अंतर्गत अधीनस्थ विधान अर्थात् नियम/विनियम/ परिनियम/ अध्यादेश आदि बनाए जाने की स्थिति के बारे में छब्बीसवां प्रतिवेदन।
- (दो) रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासित किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अधीनस्थ विधान अर्थात् नियम/विनियम आदि बनाए जाने की स्थिति के बारे में सत्ताइसवां प्रतिवेदन।

- (तीन) मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा प्रशासित किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अधीनस्थ विधान अर्थात् नियम/विनियम आदि बनाए जाने की स्थिति और नियमों/विनियमों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में अट्टाईसवां प्रतिवेदन; और
- (चार) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कारवाई के बारे में उनतीसवां प्रतिवेदन।

13. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.07 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- 1) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खेश्वर मंदिर का सौंदर्यीकरण करने और मंदिर स्थल पर बुनियादी सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 2) श्री मुकेश राजपूत द्वारा देश में पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का हस्तांतरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 3) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज, मेरठ, उत्तर प्रदेश में एक विकिरण अधिकारी की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 4) श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा आकाशवाणी केंद्र, पौड़ी, उत्तराखंड से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- 5) श्री विजय कुमार दुबे द्वारा कुशी नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 6) डॉ. कृष्ण पाल सिंह यादव द्वारा मध्य प्रदेश के गुना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक रक्षा क्षेत्र का सरकारी उपक्रम स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 7) डॉ. संघमित्रा मौर्य द्वारा बदायूं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सहसवाँ के निकट विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 8) श्री नरेंद्र कुमार द्वारा झुन्झुनू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समपारों पर आरओबी का निर्माण किए जाने के बारे में।
- 9) श्री मितेष रमेशभाई पटेल द्वारा गुजरात के आनंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 10) श्री गोपाल चिन्मय्या शेटी द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंडों में छूट दिए जाने के बारे में।
- 11) श्री चुन्नी लाल साहू द्वारा नगरी ब्लॉक, धमतरी जिला, छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों को पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 12) डॉ. सुकान्त मजूमदार द्वारा सैनिक स्कूलों की शुल्क संरचना की समीक्षा के बारे में।
- 13) श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर द्वारा ईपीएस-1995 के अंतर्गत पेंशनभोगियों की मांगों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 14) श्री आर.के. सिंह पटेल द्वारा बांदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समपारों पर रेलवे ओवरब्रिज/अंडरब्रिज बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 15) श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों और दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 16) श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा बौध जिले में महानदी नदी पर ऊँचा पुल निर्माण किए जाने के बारे में।
- 17) श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत द्वारा कन्याकुमारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आदिवासियों की दयनीय स्थिति के बारे में।
- 18) श्री हैबी ईडन द्वारा केरल के कोच्चि में ब्रह्मपुरम अपशिष्ट संयंत्र की आग से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय किए जाने के बारे में।
- 19) श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा देश में पेट्रोल की उच्च कीमतों को कम किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 20) श्री चन्देश्वर प्रसाद द्वारा पूर्व मध्य रेलवे जोन के दानापुर रेलवे मंडल के अंतर्गत मखदुमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वर्गीय श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा के नाम पर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- 21) श्री महेश साहू द्वारा ओडिशा के अंगुल जिले में सखीगोपाल-बी कांकीली कोयला ब्लॉक की नीलामी के बारे में।
- 22) श्री नव कुमार सरनीया द्वारा जनजातीय समुदायों की भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने तथा आदिवासियों के लिए अलग से धार्मिक संहिता की मान्यता के बारे में।

अपराह्न 12.08 बजे

15. सरकारी विधेयक – पारित

वित्त विधेयक, 2023

आवंटित समय: 5 घण्टे

लिया गया समय: 36 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार किया गया।

खंड 2, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 3, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 6 स्वीकृत हुआ।

खंड 7, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 8 से 20 स्वीकृत हुए।

खंड 21, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 22, यथासंशोधित. स्वीकृत हुआ।

खंड 23, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 24, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 25 से 31 स्वीकृत हुए।

खंड 32, यथासंशोधित. स्वीकृत हुआ।

खंड 33 से 41 स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव किया :-

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2023 की सरकारी संशोधन संख्या 25 को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 41क के अंतःस्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 41क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 42 स्वीकृत हुआ।

खंड 43, यथासंशोधित. स्वीकृत हुआ।

खंड 44 से 49 स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव किया :-

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2023 की सरकारी संशोधन संख्या 27 को लागू करने के संबंध में निलंबित

करे और इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 49क के अंतःस्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 49क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 50 से 57 स्वीकृत हुए।

खंड 58, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 59 स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव किया :-

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2023 की सरकारी संशोधन संख्या 29 को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 59क के अंतःस्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 59क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 60 से 80 स्वीकृत हुए।

खंड 81, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 82, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 83, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 84 स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव किया :-

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2023 की सरकारी संशोधन संख्या 34 को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 84क के अंतःस्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 84क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 85 से 88 स्वीकृत हुए।

खंड 89, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 90, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव किया :-

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2023 की सरकारी संशोधन संख्या 38 को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 90क के अंतःस्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 90क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 91, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 92 से 123 स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव किया :-

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2023 की सरकारी संशोधन संख्या 40 को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 123क और 123ख के अंतःस्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नए खंड 123क और 123ख भी स्वीकृत हुए।

खंड 124 स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव किया :-

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2023 की सरकारी संशोधन संख्या 41 को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 124क और 124ख के अंतःस्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नए खंड 124क और 124ख भी स्वीकृत हुए।

खंड 125 स्वीकृत हुआ।

खंड 126, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 127 से 130 स्वीकृत हुए।

खंड 131, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव किया :-

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2023 की सरकारी संशोधन संख्या 44 को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 131क के अंतःस्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 131क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 132 से 137 स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव किया :-

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2023 की सरकारी संशोधन संख्या 45 को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 137क, 137ख, 137ग, 137घ, 137ड., 137च और 137छ के अंतःस्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नए खंड 137क, 137ख, 137ग, 137घ, 137ड., 137च और 137छ भी स्वीकृत हुए।

खंड 138 से 144 स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव किया :-

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2023 की सरकारी संशोधन संख्या 46 को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 144क और 144ख के अंतःस्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नए खंड 144क और 144ख भी स्वीकृत हुए।

खंड 145 से 153 स्वीकृत हुए।

खंड 154, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव किया :-

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2023 की सरकारी संशोधन संख्या 48 को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 155 के अंतःस्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 155 भी स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची, यथासंशोधित, स्वीकृत हुई।

दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची स्वीकृत हुई।

चौथी अनुसूची, यथासंशोधित, स्वीकृत हुई।

पांचवीं अनुसूची स्वीकृत हुई।

छठीं अनुसूची स्वीकृत हुई।

नई सातवीं अनुसूची के अंतःस्थापन के लिए संशोधन सं.64 स्वीकृत हुआ।

नई सातवीं अनुसूची भी स्वीकृत हुई।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक, यथासंशोधित, को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

तत्पश्चात्, अध्यक्ष ने टिप्पणी[%] की कि चूंकि विधेयक में एक नए खंड जोड़े गए हैं, अतः पश्चातवर्ती खंडों को पुनःसंख्यांकित किया जाएगा।

अपराह्न 12.44 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा सोमवार, 27 मार्च, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे

तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

[%] मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

लोक सभा

समाचार - भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 27 मार्च, 2023 / 6 चैत्र, 1945 (शक)

संख्या 225

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिए जा सके। अतः आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 361 से 380 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 4141 से 4370 के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 4.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 4.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं

की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) विनिधानकर्त्ता शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) विनिधानकर्त्ता शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) विनिधानकर्त्ता शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 25 की उप-धारा (3) के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण): -
- (एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और सदस्य-सचिव की नियुक्ति, वेतन, भत्ते तथा सेवा के निबंधन और अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2023 जो 21 फरवरी,

2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 114(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (पदेन सदस्य के अलावा अध्यक्ष या सदस्य को हटाने की रीति) नियम, 2023 जो 21 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 115(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (आयोग के अन्य सहयोजित सदस्य) नियम, 2023 जो 21 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 116(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (उप-समितियों के पदेन सदस्य के अलावा, सदस्य को संदेय भत्ता) नियम, 2023 जो 21 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 117(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ. 4027(अ) जो 14 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क और पनपथा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (दो) का.आ. 4031(अ) जो 14 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा घाटीगांव हुकना वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (तीन) का.आ. 4029(अ) जो 14 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (चार) का.आ. 4030(अ) जो 14 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सोन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (पांच) का.आ. 2538(अ) जो 9 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

- (छह) का.आ. 2605(अ) जो 11 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा रातापानी और सिंघोरी वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (सात) का.आ. 2811(अ) जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा संजय राष्ट्रीय पार्क और संजय दुबरी वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (आठ) का.आ. 3027(अ) जो 13 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा माधव राष्ट्रीय पार्क पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (नौ) का.आ. 3028(अ) जो 13 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बागदरा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (दस) का.आ. 2669(अ) जो 17 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा डायनासोर राष्ट्रीय पार्क पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (ग्यारह) का.आ. 3064(अ) जो 18 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा घुघुआ फॉसिल राष्ट्रीय पार्क पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (बारह) का.आ. 3063(अ) जो 18 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा करेरा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (तेरह) का.आ. 3082(अ) जो 21 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (चौदह) का.आ. 3133(अ) जो 27 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (पंद्रह) का.आ. 3777(अ) जो 30 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वन विहार नेशनल पार्क अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (सोलह) का.आ. 35(अ) जो 3 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ओरछा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र

- को अधिसूचित किया गया है।
- (सत्रह) का.आ. 1902(अ) जो 14 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खिओनी वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (अठारह) का.आ. 3689(अ) जो 27 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (उन्नीस) का.आ. 4009(अ) जो 6 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पेंच नेशनल पार्क और पेंच मोगली वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (बीस) का.आ. 796(अ) जो 21 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (इक्कीस) का.आ. 2935(अ) जो 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खरमौर (सरदारपुर) अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (बाईस) का.आ. 1198(अ) जो 12 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कान्हा एनपी और फेन अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (तेईस) का.आ. 1192(अ) जो 12 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2538(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चौबीस) का.आ. 3653(अ) जो 9 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 12 मार्च, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1198(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पच्चीस) का.आ. 4617(अ) जो 9 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) खुदाबखश ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) खुदाबखश ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) केंद्रीय हिमालयी संस्कृति शिक्षण संस्थान, दाहंग के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) केंद्रीय हिमालयी संस्कृति शिक्षण संस्थान, दाहंग के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संस्करण)।

- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, लेह के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, लेह के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 931(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (2) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/127 जो 15 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कतिपय शर्तों के अध्यक्षीन एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड की मान्यता का नवीनीकरण 17 जनवरी, 2023 से एक वर्ष के लिए किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत धन-शोधन (रिकार्ड का रखरखाव) संशोधन नियम, 2023 जो 7 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1074(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ((हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(एक) सिक्का निर्माण (इंटरनेशनल इयर ऑफ़ मिलेट्स, 2023 के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023 जो दिनांक 15 मार्च, 2023

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 189(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) सिक्का निर्माण (श्री नंदमूरी तारक रामा राव के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023 जो दिनांक 20 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 202(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (5) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (रेल) (अनुपालन लेखापरीक्षा) (2022 का संख्यांक 35-खंड दो)।
- (दो) एकीकृत वस्त्र पार्कों की योजना संबंधी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार-वस्त्र मंत्रालय (अनुपालन लेखापरीक्षा) (2023 का संख्यांक 2)।
- (तीन) मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (आर्थिक और सेवा मंत्रालय-सिविल) (अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां) (2023 का संख्यांक 1)।
- (चार) मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) सेना और आयुध निर्माणियां (2023 का संख्यांक 6)।
- (पांच) वर्ष 2021-2022 के लिए रक्षा सेवाओं के संघ सरकार विनियोग लेखें।
- (छह) आयुध निर्माणियों में छोटे हथियारों का निर्माण संबंधी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) आयुध निर्माणियां (2023 का संख्यांक 5) (निष्पादन लेखापरीक्षा)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपूर्णा देवी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) समग्र शिक्षा, गुजरात स्कूल शिक्षा परिषद, गांधी नगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) समग्र शिक्षा, गुजरात स्कूल शिक्षा परिषद, गांधी नगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) समग्र शिक्षा, लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) समग्र शिक्षा, लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) समग्र शिक्षा, लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) समग्र शिक्षा, जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) समग्र शिक्षा, जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (तीन) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (तीन) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (तीन) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (तीन) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (11) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कुर्नूल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कुर्नूल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कुर्नूल के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संस्करण)।

- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान, नागपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान, नागपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान, बोध गया के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान, बोध गया के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड (आईआईबीआई के इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 31.12.2022 को समाप्त तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड (आईआईबीआई के इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 31.12.2022 को समाप्त तिमाही के लिए परिसमापक का प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) संशोधन विनियम, 2023 जो 21 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं.पीएनबी/एचआरडी/डीएसी/डीएंडए/2022-23 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2023 जो 1 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईबी/जी-9/1/2022-23(अ) में प्रकाशित हुए थे।

3. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

(i) राज्य सभा को लोक सभा द्वारा यथापारित जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2023 पर लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

- (ii) राज्य सभा को लोक सभा द्वारा यथापारित जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2023 पर लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।
- (iii) राज्य सभा को लोक सभा द्वारा यथापारित विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2023 पर लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।
- (iv) राज्य सभा को लोक सभा द्वारा यथापारित विनियोग विधेयक, 2023 पर लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।
- (v) कि राज्य सभा ने 27 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित वित्त विधेयक, 2023 को एक संशोधन के साथ पारित किया और विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा दिया कि संशोधन पर लोक सभा की सहमति राज्य सभा को सूचित की जाए।

4. विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित - सभा पटल पर रखा गया

वित्त विधेयक, 2023

5. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री रामशिरोमणि वर्मा ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री गिरीश चन्द्र ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) के 106वें से 117वें प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को प्रस्तुत किया।

7. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री राजेश वर्मा ने 'श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री सर्वानन्द सोनोवाल ने (एक) 'राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान की स्थापना' के बारे में श्री विनायक राउत द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. 57 के 9 दिसम्बर, 2022 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारणों के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

अपराहन 4.06 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- 1) डॉ. हिना विजयकुमार गावीत द्वारा जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 2) श्री संजय भाटिया द्वारा 1,80,000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 3) श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा झारखंड के धालभूमगढ़ में हवाई अड्डे की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 4) श्री चुन्नीलाल साहू द्वारा छत्तीसगढ़ के महासमुंद्र जिले में बागवानी परियोजनाएं और क्रियाकलाप शुरू करने और उन्हें बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 5) श्री नायब सिंह सैनी द्वारा गाड़ी संख्या 54039-54040 की सेवाओं को बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 6) डॉ. संघमित्रा मौर्य द्वारा चेतावनी लेबल के साथ कड़े और अनिवार्य एफओपीएल विनियमों को लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- 7) श्रीमती क्वीन ओझा द्वारा असम के महान सुधारक श्री शंकर देव द्वारा स्थापित 'सत्र' और 'नामघर' उपदेश संस्थाओं के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण के बारे में।
- 8) श्री सुदर्शन भगत द्वारा झारखण्ड के गुमला एवं लोहरदगा जिलों में वृक्षों की अवैध कटाई के कारण घटते हरित क्षेत्र के बारे में।
- 9) श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा कामकाजी महिलाओं एवं छात्राओं के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति बनाए जाने के बारे में।
- 10) श्री सुनील कुमार सोनी द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों को फिर खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 11) श्रीमती रीती पाठक द्वारा सीधी जिला मुख्यालय पर एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और एक महिला अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 12) श्री संजय सेठ द्वारा आरआईएमएस, रांची में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का विस्तार कर इसे एम्स में अपग्रेड किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 13) श्री जसबीर सिंह द्वारा देश में निर्धन लोगों को निःशुल्क राशन फिर से दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 14) श्री सु. थिरुनवुक्करासर द्वारा ग्रामीण डाक सेवकों को न्यूनतम पेंशन राशि प्रदान किए जाने के बारे में।
- 15) श्री बैन्नी बेहनन द्वारा केरल के तीर्थ केंद्र को प्रसाद योजना में शामिल किए जाने के बारे में।
- 16) श्री सुनील कुमार मंडल द्वारा गंगा नदी के किनारे घाटों के विकास के बारे में।
- 17) श्री दिलेश्वर कामैत द्वारा बिहार के सुपौल जिले से पटना और दिल्ली तक रेलगाड़ियां चलाए जाने और राज्य में ललितग्राम से फारबिसगंज तक रेल सेवा शुरू किए जाने की भी आवश्यकता के बारे में।
- 18) चौधरी महबूब अली कैसर द्वारा कोसी एवं अन्य नदियों में बाढ़ आने के कारण

खगड़िया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जलभराव की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- 19) श्री के. नवासखनी द्वारा रामनाथपुरम में सांसद आदर्श ग्राम योजना स्कीम के अंतर्गत कतिपय गाँवों के विकास के बारे में।

अपराहन 4.06 बजे

10. सरकारी विधेयक में राज्य सभा द्वारा किया गया संशोधन - स्वीकृत

**वित्त विधेयक, 2023*

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा यह प्रस्ताव किया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाए।

खंड 174

1. कि पृष्ठ 87 पर, पंक्ति 8 और 9 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात्:-

“(एक) प्रविष्टि (क) के सामने, स्तंभ (3) में, “0.05 प्रतिशत” अंकों और शब्द के स्थान पर “0.0625 प्रतिशत” अंक और शब्द रखे जाएं; और”।

(ख) कि राज्य सभा द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार किया जाए।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा यह प्रस्ताव किया गया कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधन को स्वीकृत किया जाए।

* विधेयक लोक सभा द्वारा 24 मार्च, 2023 को पारित किया गया और उसी दिन राज्य सभा को भेजा गया। राज्य सभा ने 27 मार्च, 2023 को सिफारिश के साथ विधेयक लौटाया, जिसे उसी दिन लोक सभा के पटल पर रखा गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा संशोधन स्वीकृत हुआ।

अपराहन 4.09 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार, 28 मार्च, 2023 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

लोक सभा

समाचार – भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 28 मार्च, 2023 / 7 चैत्र, 1945 (शक)

संख्या 226

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिए जा सके। अतः आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 381 से 400 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 4371 से 4600 के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)*

अपराह्न 2.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला) ने मत्स्यपालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) प्रशासनिक (पशुओं पर परीक्षणों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए समिति) नियम, 2023 जो 6 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 82(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (अंडा देने वाली मुर्गियां) नियम, 2023 जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 139(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) पशुधन आयात अधिनियम, 1898 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) का.आ.4990(अ) जो 20 अक्टूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 जून, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ.1495(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
 - (दो) का.आ.191(अ) जो 11 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 जून, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ.1495(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (3) (एक) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, बल्लभगढ़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, बल्लभगढ़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार) ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल, सामान्य ड्यूटी संवर्ग (अराजपत्रित)(संशोधन) भर्ती नियम, 2023 जो 9 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 174(अ) में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार-राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर-माल और सेवा कर) (2023 का संख्यांक 3)-सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी आवेदन की आईटी लेखापरीक्षा।

(2) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार-राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर (2023 का संख्यांक 4)-धारा 281ख के अधीन आईटीडी द्वारा किसी निर्धारिती की संपत्ति जब्त करने के बारे में विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा।

(3) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार-(2022 का संख्यांक 3)।

(4) 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार-(2023 का संख्यांक 1)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कीटनाशी (पहला संशोधन) नियम 2023 जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचनासं.सा.का.नि. 140(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (क) (एक) आंध्र प्रदेश स्टेट एगो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विजयवाड़ा के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट एगो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विजयवाड़ा का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) हिमाचल प्रदेश स्टेट एगो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) हिमाचल प्रदेश स्टेट एगो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ग) (एक) पंजाब स्टेट एगो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) पंजाब स्टेट एगो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-

महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री प्रतिमा भौमिक) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नारायणस्वामी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) इंडियन स्पाइनल इन्ज्यूरीज सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री प्रतिमा भौमिक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) एन.सी. चतुर्वेदी स्कूल फॉर द डेफ, लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एन.सी. चतुर्वेदी स्कूल फॉर द डेफ, लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने

वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिस्बिलिटीज़ (दिव्यांगजन), कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिस्बिलिटीज़ (दिव्यांगजन), कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिस्बिलिटीज़ (दिव्यांगजन), मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिस्बिलिटीज़ (दिव्यांगजन), मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, सीहोर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित

लेखे।

- (दो) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, सीहोर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण)।

- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद विजुएल डिस्बिलिटीज़ (दिव्यांगजन), देहरादून के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद विजुएल डिस्बिलिटीज़ (दिव्यांगजन), देहरादून के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड, मद्रुरै के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड, मद्रुरै के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरुगन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत आकाशवाणी सहायक निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2023 जो 23 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 123(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) खेल विभाग, युवा कार्यक्रम मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
- (2) युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

3. सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को सभा की बैठकों से उनके सामने उल्लिखित अवधि के लिए अनुपस्थिति की अनुमति दी गई :-

- | | |
|--|--------------------------------------|
| (1) श्री संजय शामराव धोत्रे | 13.03.2023 से 06.04.2023 तक |
| (2) श्री अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय | 13.03.2023 से 06.04.2023 |

| | |
|-------------------------------|--|
| | तक |
| (3) श्री गिरीश भालचन्द्र बापट | 13.03.2023 से 06.04.2023 तक |
| (4) श्री मोहम्मद अकबर लोन | 25.07.2022 से 08.08.2022 तक; 07.12.2022 से 23.12.2022 तक; 31.01.2023 से 13.02.2023 तक; और 13.03.2023 से 23.03.2023 तक |

4. शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 348वां प्रतिवेदन।
- (2) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 349वां प्रतिवेदन।
- (3) महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 350वां प्रतिवेदन।
- (4) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 351वां प्रतिवेदन।

5. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री; तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।
- (2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) ने निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे।
 - (एक) कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
 - (दो) कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023)-मांग संख्या 1 के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 2.06 बजे

6. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार के सारण एवं सीवान जिलों में जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों में फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किए जाने के बारे में।
- (2) श्रीमती लॉकेट चटर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन के बारे में ।
- (3) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्टेडियमों का निर्माण किए जाने के बारे में ।

- (4) श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया द्वारा राजस्थान के भीलवाड़ा में ईएसआईसी अस्पताल को एक आदर्श अस्पताल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (5) श्री रतन लाल कटारिया द्वारा भारत में जी-20 की बैठक के बारे में ।
- (6) डॉ निशिकांत दुबे द्वारा संथाल परगना क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना किए जाने के बारे में ।
- (7) श्रीमती केशरी देवी पटेल द्वारा प्रयागराज विमानपत्तन को एक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता तथा भागवतपुर-बेगम बाजार रेल ओवरब्रिज का कार्य पूरा किए जाने के बारे में ।
- (8) श्री कुनार हेम्ब्रम द्वारा झारग्राम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कंसबती नदी के पूर्वी तट पर एक सुरक्षा दीवार निर्मित किए जाने के बारे में ।
- (9) श्री तपन कुमार गोगोई द्वारा अभयारण्य क्षेत्र में होलोक गिबबन्स की निर्बाध आवाजाही को सुकर बनाने के लिए असम के जोरहट में होलोनगापर गिबबन अभयारण्य के बीच से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक पर निर्मित पुल को चौड़ा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित रेल समपारों पर सीमित ऊंचाई के पैदल पार-पथों (एल.एच.एस.) के निर्माण के बारे में ।
- (11) श्री रमाकान्त भार्गव द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए देश भर में सड़कों पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जाने एवं उपचारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (12) डॉ. सुकान्त मजूमदार द्वारा 'एक राष्ट्र, एक मतदाता सूची' शुरू किए जाने के बारे में ।
- (13) डॉ. मोहम्मद जावेद द्वारा सीमांचल में उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना किए जाने के बारे में ।
- (14) श्री जी. सेल्वम द्वारा श्रीलंका की नौसेना द्वारा पकड़े गए भारतीय मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (15) श्री ए. गणेशमूर्ति द्वारा इरोड (इंगुर)- पलानी नई ब्रॉड गेज़ (बी.जी.) लाइन के बारे में ।
- (16) प्रो. सौगत राय द्वारा विश्व भर में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नौकरियां खत्म होने के बारे में ।
- (17) डॉ. बी. वी. सत्यवती द्वारा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में येलमंचिली में एक हॉकी स्टेडियम सह प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण किए जाने के बारे में ।

- (18) श्री विनायक राऊत द्वारा कराड-चिपलूम रेल लाइन परियोजना के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (19) श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा बिहार के सहरसा में एम्स की स्थापना किए जाने के बारे में ।
- (20) श्री पी.आर. नटराजन द्वारा सरकारी क्षेत्र की समूह बीमा कंपनियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन किए जाने के बारे में ।
- (21) श्री के. राम मोहन नायडू द्वारा आंध्र प्रदेश में वर्ष 2020-21 से एस.सी./एस.टी. उप योजना निधियों के उपयोग की लेखा परीक्षा के बारे में ।
- (22) श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा राजस्थान के नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना किए जाने के बारे में ।

अपराह्न 2.07 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा बुधवार, 29 मार्च, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे

तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1 (कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 29 मार्च, 2023 / 8 चैत्र, 1945 (शक)

संख्या 227

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिए जा सके। अतः आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 401 से 420 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 4601 से 4830 के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)*

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (1) वर्ष 2021-2022 के लिए संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली का 72वां वार्षिक प्रतिवेदन।
- (2) प्रतिवेदन के अध्याय 9 में संदर्भित मामलों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह को स्वीकार न किए जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन।
- (4) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2022 जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 929(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2022 जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 930(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2023 जो 14 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 99(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2023 जो 14 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 98(अ) में प्रकाशित

हुए थे।

- (पांच) सा.का.नि.96(अ) जो 14 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 जनवरी, 2023 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.35(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (छह) सा.का.नि.97(अ) जो 14 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 जनवरी, 2023 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.36(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सात) भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2023 जो 24 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 133(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2023 जो 24 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 134(अ) में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 105 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2023, जो 22 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.120(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023, जो 22 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.122(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (पंजीयक) भर्ती नियम, 2023, जो 7 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.171(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) (एक) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय, धनबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय, धनबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ.955(अ) जो 1 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं.का.आ. 645(अ) को निरस्त किया गया है।
- (दो) का.आ.207(अ) जो 12 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 मई, 2022 की अधिसूचना सं.का.आ. 2307(अ) को निरस्त किया गया है।
- (तीन) का.आ.208(अ), जो 12 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ मैसर्स एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड को केंद्रीय सरकार

कंपनी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

- (चार) का.आ.575(अ), जो 3 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ झारखण्ड अन्वेषण एवं खनन निगम लिमिटेड, रांची को अधिसूचित किया गया है।
- (पांच) का.आ.934(अ), जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ 'श्रेणी क अन्वेषण एजेंसियां' के अंतर्गत मैसर्स नोवोमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और 'श्रेणी ख अन्वेषण एजेंसियां' के अंतर्गत मैसर्स इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 37 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 403(अ) जो 25 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट पोषण मानकों में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल फॉर इंडोयू एण्ड एसईजेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल फॉर इंडोयू एण्ड एसईजेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (फार्मेक्सिल), हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (फार्मेक्सिल), हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उप-धारा (3) के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) नियम, 2023 जो 24 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.125(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उद्देश्यों और कारणों का कथन और व्याख्यात्मक टिप्पण।
- (6) (एक) एनईआईए (राष्ट्रीय निर्यात बीमा लेखा) न्यास, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (दो) एनईआईए (राष्ट्रीय निर्यात बीमा लेखा) न्यास, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) सिंथेटिक एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन (ससमीरा), मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) सिंथेटिक एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन (ससमीरा), मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोही के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोही के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान हरियाणा, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) वातानुकूलक और इसके संबंधित उपस्कर, हर्मेटिक कंप्रेसर और तापमान संवेदी नियंत्रण (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022, जो 21 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.5972(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) शीतलन उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022, जो 14 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.5850(अ) में प्रकाशित हुआ था।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवसिंह चौहान) ने भारतीय डाक घर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उप-धारा (4) के अंतर्गत जारी भारतीय डाक घर (संशोधन) नियम, 2023 जो 10 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.17(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 7 फरवरी, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.85(अ) में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखे।

3. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

- (1) कि राज्य सभा 13 मार्च 2023, को हुई अपनी बैठक में लोक सभा की लोक लेखा समिति के 1 मई 2023 से शुरू होने वाले और 30 अप्रैल 2024 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए समिति के साथ सहयोजित किए जाने के लिए राज्य सभा से सात सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किए जाने के संबंध में लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और राज्य सभा के निम्नलिखित सात सदस्यों, जो उक्त समिति के लिए निर्वाचित हुए हैं, के नामों की सूचना भी दी:-

1. श्री शक्तिसिंह गोहिल
2. डॉ. के. लक्ष्मण
3. श्री सूखेन्दु शेखर राय
4. श्री तिरुची शिवा
5. डा. एम. तंबीदुरै
6. श्री घनश्याम तिवाड़ी
7. डा. सुधांशु त्रिवेदी

(दो) कि राज्य सभा 13 मार्च 2023, को हुई अपनी बैठक में लोक सभा की सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति के 1 मई 2023 से शुरू होने वाले और 30 अप्रैल 2024 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए समिति के साथ सहयोजित किए जाने के लिए राज्य सभा से सात सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किए जाने के संबंध में लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और राज्य सभा के निम्नलिखित सात सदस्यों, जो उक्त समिति के लिए निर्वाचित हुए हैं, के नामों की सूचना भी दी:-

1. डा. राधा मोहन दास अग्रवाल
2. श्री सैयद नासिर हुसैन
3. डा. अनिल जैन
4. श्री प्रकाश जावडेकर
5. डा. अमर पटनायक
6. श्री वी. विजयसाई रेड्डी
7. श्री बिनोय विस्वम

4. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का कार्यवाही सारांश

श्री रामशिरोमणि वर्मा ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 24.03.2023 को हुई दसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

5. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल देश में हिमनद प्रबंधन - हिमालयी क्षेत्र में हिमनदीय झील के फटने से अचानक आने वाली बाढ़ सहित हिमनदों/झीलों की निगरानी' विषय पर जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का 23वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) की ओर से (एक) 'शुष्क ईंधन का उत्पादन' के बारे में श्री सर्वश्री रोडमल नागर और

चन्द्र प्रकाश जोशी, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. 206 के 21.12.2022 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारणों के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

- (2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 368वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति की बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।
- (3) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संस्कृति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 330वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति की बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।
- (4) महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई) ने आयुष मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23)(मांग संख्या 4) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 136वें और 142वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

अपराहन 12.06 बजे

7. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित*

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023

* श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन ने विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने का विरोध किया परंतु व्यवधान के कारण बोल नहीं सके।

8. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

- (1) श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा किसानों द्वारा पाले गए मवेशियों के लिए बीमा का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री निहाल चन्द्र चौहान द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित विधियों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री परबतभाई सवाभाई पटेल द्वारा बनासकांठा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में थराड में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री राहुल कस्वां द्वारा चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नई रेल लाइनों के निर्माण के बारे में के बारे में।
- (5) श्रीमती सुनीता दुग्गल द्वारा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की आय में सहायता करने के लिए एक योजना तैयार किए जाने के बारे में।
- (6) श्री उन्मेश बी. पाटिल द्वारा महाराष्ट्र में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने और कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री बसंत कुमार पांडा द्वारा पश्चिमी ओडिशा में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के धार्मिक स्थलों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री अरुण कुमार सागर द्वारा शाहजहाँपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कटरा में खेलो इंडिया केन्द्र की स्थापना किए जाने के बारे में।
- (9) श्री भागीरथ चौधरी द्वारा क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे से उड़ानें फिर से शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (10) श्री कृष्णपाल सिंह यादव द्वारा गुना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री गोपाल चिनैय्या शेटी द्वारा देश की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने हेतु नीति बनाने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री अनुराग शर्मा द्वारा महारानी लक्ष्मी बाई चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी के प्रांगण में स्वर्गीय श्रीमती सुशीला नय्यर की प्रतिमा स्थापित किए जाने के बारे में।
- (13) श्री धर्मवीर सिंह द्वारा लखवार बांध, किशाऊ बांध, रेणुका बांध के निर्माण तथा शारदा और यमुना नदी को आपस में जोड़े जाने के काम में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) डॉ ढाल सिंह बिसेन द्वारा मध्य प्रदेश में किसानों द्वारा कृषि ऋण चुकाए जाने के बारे में।
- (15) श्री टी.एन. प्रथापन द्वारा त्रिशूर में मंदिरों के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा दिल्ली-श्री अमृतसर साहिब-कटरा एक्सप्रेसवे की डिजाइन की समीक्षा किए जाने और लेन की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री राजमोहन उन्नीथन द्वारा देश में खादी श्रमिकों की दुर्दशा को दूर करने के उपायों के बारे में।
- (18) श्री सी. एन. अन्नादुरई द्वारा तिरुवन्नामलाई जिले के जवाधू हिल में हर्बल-कम-इको पार्क और इको पर्यटन के विकास के बारे में।
- (19) श्रीमती वांगा गीताविश्वनाथ द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (20) श्री सुनील कुमार द्वारा वाल्मीकि नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रों में विद्युतीकरण की आवश्यकता के बारे में।

- (21) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई द्वारा उत्पादित वस्तुओं को शामिल करने के लिए केंद्रीय लोक सेवा उद्यमों (सीपीएस) द्वारा उत्पादित वस्तुओं की विविधता के विस्तार के बारे में।
- (22) श्रीमती संगीता आज़ाद द्वारा उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्वामित्व वाली भूमि को गैर-अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को बिक्री के लिए जिला प्रशासन की अनुमति की अनिवार्य शर्त को हटाने की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (23) श्री हसनैन मसूदी द्वारा जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में भू-धंसाव के बारे में।

अपराहन 12.09 बजे

9. बैठक रद्द किए जाने के बारे में अध्यक्षपीठ द्वारा घोषणा

अध्यक्षपीठ ने शुक्रवार, 31 मार्च, 2023 के लिए नियत सभा की बैठक को रद्द किए जाने के बारे में घोषणा[%] की।

सभा सहमत हुई।

अपराहन 12.09 बजे

10. सरकारी विधेयक - पारित

प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022

आवंटित समय: 04 घण्टे

लिया गया समय: 22 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

[%] मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार किया गया।

- खंड 2 स्वीकृत हुआ।
- खंड 3 स्वीकृत हुआ।
- खंड 4, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
- खंड 5 स्वीकृत हुआ।
- खंड 6, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
- खंड 7, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
- खंड 8 से 10 स्वीकृत हुए।
- खंड 11 स्वीकृत हुआ।
- खंड 12 से 14 स्वीकृत हुए।
- खंड 15, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
- खंड 16 से 19 स्वीकृत हुए।
- खंड 20, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
- खंड 21, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
- खंड 22 स्वीकृत हुआ।
- खंड 23, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
- खंड 24 से 25 स्वीकृत हुए।
- खंड 26, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
- खंड 27 से 39 स्वीकृत हुए।
- खंड 40, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
- खंड 41 से 45 स्वीकृत हुए।
- खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक, यथासंशोधित, को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

अपराह्न 12.31 बजे

11. संयुक्त समिति को सौंपे जाने के लिए विधेयक - प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भूपेन्द्र यादव ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

“कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने वाले विधेयक *वन (संरक्षण)* को सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें इस सभा से *संशोधन* निम्नलिखित 19 सदस्य होंगे:- *विधेयक, 2023*

1. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
2. डॉ. ढाल सिंह बिसेन
3. श्री राजू बिष्ट
4. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
5. श्री तापिर गाव
6. श्री अजय टम्टा
7. श्री सुरेश कुमार कश्यप
8. श्रीमती गोमती साय
9. श्री सुदर्शन भगत
10. श्री पल्लब लोचन दास
11. कुमारी दिया कुमारी
12. श्री टी.आर. बालू
13. श्रीमती अगाथा के. संगमा
14. श्रीमती साजदा अहमद
15. श्री कोटागिरी श्रीधर

16. श्री राजेन्द्र धेड़्या गावित
17. डॉ. आलोक कुमार सुमन
18. श्री महेश साहू
19. श्री गिरीश चन्द्र

दो सदस्य माननीय अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जाएंगे,

तथा राज्य सभा से 10 सदस्य होंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को आगामी सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिवस तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में, संसदीय समिति के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों, जो अध्यक्ष करें, के साथ लागू होंगे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।”

विधेयक को सौंपे जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 12.33 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा सोमवार, 03 अप्रैल, 2023 के पूर्वाहन 11.00 बजे

तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 03 अप्रैल, 2023/ 13 चैत्र, 1945 (शक)

संख्या 228

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री गिरीश भालचन्द्र बापट, लोक सभा के वर्तमान सदस्य; और श्री इन्नोसेन्ट, 16वीं लोकसभा के सदस्य के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. प्रश्न

(एक) निधन संबंधी उल्लेख किए जाने के बाद सभा की कार्यवाही अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई, व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिए जा सके। अतः आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 441 से 460 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 5061 से 5290 के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(दो) चूंकि शुक्रवार, 31 मार्च, 2023 को नियत लोक सभा की बैठक को रद्द कर दिया गया

था, इसलिए उस दिन के लिए सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 421 से 440 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 4831 से 5060 के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई
और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) का.आ. 1261(अ) जो 17 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 12 अप्रैल, 2019 की अधिसूचना सं. का.आ.1591(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
 - (दो) का.आ. 1264(अ) जो 17 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2022 की अधिसूचना सं. का.आ.1199(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (2) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) का.आ. 1118(अ) जो 9 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की परिषद में निर्वाचन के मामले में विवादों के अधिनिर्णय हेतु उसमें उल्लिखित, व्यक्तियों से मिलकर बने अधिकरण की स्थापना को अधिसूचित किया गया है।
 - (दो) सा.का.नि.198(अ) जो 17 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए

थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.170(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (3) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि.199(अ) जो 17 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 15 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.787(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) की ओर से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 1317(अ) जो 21 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए, उसमें उल्लिखित व्यक्तियों से मिलकर बने केरल तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के गठन को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी (प्रधानमंत्री संग्रहालय), नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी (प्रधानमंत्री संग्रहालय), नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) मौलाना अबुल कलाम आजाद एशिया अध्ययन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मौलाना अबुल कलाम आजाद एशिया अध्ययन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के.सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, अमेठी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, अमेठी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) अधिसूचना सं. 17/2023-सीमा-शुल्क जो 29 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.785(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दो) अधिसूचना सं. 18/2023-सीमा-शुल्क जो 29 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 2 फरवरी, 2020 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.68(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तीन) 2 फरवरी, 2023 की अधिसूचना संख्या 08/2023-सीमा-शुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (चार) का.आ.715 (अ) जो 15 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्राँस-स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

- (पांच) 16 फरवरी, 2023 की अधिसूचना संख्या 10/2023-सीमा-शुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों को अधिसूचित किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) का.आ.945 (अ) जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्राँस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) 2 मार्च, 2023 की अधिसूचना संख्या 12/2023-सीमा-शुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों को अधिसूचित किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) का.आ.1237 (अ) जो 15 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्राँस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) 16 मार्च, 2023 की अधिसूचना संख्या 15/2023-सीमा-शुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (2) प्रतिभूति प्रसंविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ.3210(अ) जो 16 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ "शून्य कूपन शून्य मूल लिखत" को प्रतिभूतियों के रूप में घोषित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2023 जो 15 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/128 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण, गांधीनगर के वर्ष 2020-2021 और 2021-

2022 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) दत्तोपंत ठेंगडी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) दत्तोपंत ठेंगडी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपूर्णा देवी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) समग्र शिक्षा, भुवनेश्वर, ओडिशा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) समग्र शिक्षा, भुवनेश्वर, ओडिशा के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) पश्चिम बंगा समग्र शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) पश्चिम बंगा समग्र शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) समग्र शिक्षा, बिहार के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) समग्र शिक्षा, बिहार के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।
 (दो) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक

- लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोटा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोटा के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की

सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

कि 29 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में, राज्य सभा ने वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 पर सभाओं की संयुक्त समिति का गठन करने के लिए लोक सभा की सिफारिश पर सहमति दी और उक्त संयुक्त समिति में सेवाएं देने के लिए राज्य सभा के

निम्नलिखित आठ सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया तथा राज्य सभा के माननीय सभापति को दो सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत किया गया: -

1. डा. अशोक बाजपेयी
2. श्री अनिल बलूनी
3. श्री समीर उरांव
4. डा. सी. एम. रमेश
5. श्री जवाहर सरकार
6. डा. प्रशांत नन्दा
7. श्री हिशे लाचुंगपा
8. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य

5. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री गिरीश चन्द्र ने सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में 118वां प्रतिवेदन।
- (2) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में 119वां प्रतिवेदन।
- (3) विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में 120वां प्रतिवेदन।
- (4) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में 121वां प्रतिवेदन।
- (5) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में 122वां प्रतिवेदन।
- (6) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, फदीराबाद के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित

- लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में 123वां प्रतिवेदन।
- (7) केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 82वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 124वां प्रतिवेदन।
- (8) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 88वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 125वां प्रतिवेदन।
- (9) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 89वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 126वां प्रतिवेदन।
- (10) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 69वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 127वां प्रतिवेदन।
- (11) विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 75वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 128वां प्रतिवेदन।
- (12) संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एनएमएमएल), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 74वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 129वां प्रतिवेदन।

6. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी.पी. चौधरी ने 'भारतीय डायस्पोरा का कल्याण: नीतियां/योजनाएं' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (17वीं लोक सभा) का 21वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराहन 2.04 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

- (1) डॉ. संघमित्रा मौर्य द्वारा बदायूं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों की क्षति के लिए किसानों को मुआवजा दिए जाने के बारे में।
- (2) श्री निहाल चन्द्र चौहान द्वारा गंगानगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों की क्षति के लिए किसानों को मुआवजा दिए जाने के बारे में।
- (3) श्री छेदी पासवान द्वारा बिहार के रोहतास और कैमूर जिले के सार्वजनिक वितरण दुकानों के डीलरों की मांगों के बारे में।
- (4) डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखेपाटील द्वारा प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम की धारा 20क के अंतर्गत संरक्षित स्मारकों के आसपास निर्माण के किए जाने के बारे में।
- (5) श्री मोहन मंडावी द्वारा छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में लौह अयस्क की खुदाई में नियमों के कथित उल्लंघन किए जाने के बारे में।
- (6) श्री भोलानाथ (बी.पी. सरोज) द्वारा जौनपुर जिले के केराकत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 22419/20, 15231/32 और 09065/66 का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्रीमती क्वीन ओझा द्वारा असम में मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों की स्थापना

- किए जाने के बारे में।
- (8) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों की क्षति के लिए किसानों को मुआवजा दिए जाने के बारे में।
 - (9) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा भारत-नेपाल सीमा के निकट ककरहवा में आप्रवासन केन्द्र की स्थापना किए जाने के बारे में।
 - (10) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार के सारण और सीवान जिलों में कृषि उत्पादक संगठन के प्रसार के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता।
 - (11) श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा महोबा-उरई रेल लाइन को पूरा किए जाने के बारे में।
 - (12) श्री भागीरथ चौधरी द्वारा राजस्थान में राज्य राजमार्ग संख्या 2 और 26 का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता।
 - (13) डॉ. ढालसिंह बिसेन द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के कारण जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर पीएम-आवास योजना का लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता ।
 - (14) श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्णरेखा परियोजना के गालुडीह बाईं मुख्य नहर भाग को पूरा किए जाने की आवश्यकता।
 - (15) श्री कुलदीप राय शर्मा द्वारा अंडमान लोक निर्माण विभाग (एपीडब्ल्यूडी) में डेली रेटेड मजदूरों (डीआरएम) की सेवा शर्तों के बारे में।
 - (16) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल के कोल्लम जिले के कोट्टारक्करा में एक नए केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने के बारे में।
 - (17) श्री रवनीत सिंह द्वारा लुधियाना से राजस्थान के विभिन्न गंतव्यों के लिए समर्पित रेल सेवा के बारे में।
 - (18) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा देश में बेरोजगारी से निपटने के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता।
 - (19) श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर द्वारा उदुण्ड हवाई यात्रियों से निपटने के बारे में।
 - (20) डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा महाराष्ट्र में मुंबई से पंढरपुर-सांगोला के लिए रेलगाड़ी

चलाए जाने की आवश्यकता।

- (21) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों की क्षति के लिए किसानों को मुआवजा दिए जाने के बारे में।
- (22) श्री राम शिरोमणि वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में जन-सुविधाओं के विकास हेतु सीएसआर निधि का उपयोग किए जाने के बारे में।
- (23) श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा कोल्लम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एनएच संख्या 66 पर एलिवेटेड फ्लाई ओवर का निर्माण किए जाने के बारे में।

अपराहन 2.05 बजे

*(व्यवधान के कारण लोक सभा बुधवार, 5 अप्रैल, 2023
के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 05 अप्रैल, 2023/ 15 चैत्र, 1945 (शक)

संख्या 229

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 461 को लिया गया।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई
और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)*

तारांकित प्रश्न संख्या 462 से 480 के उत्तरों को सभा पटल पर रखा गया।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5291 से 5520 के उत्तरों को सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 2.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत

भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 2023 जो 13 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 177(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (5) के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2023 जो 13 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 92(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेल रेड टैरिफ (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 जो 27 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.225(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चन्द्रशेखर) की ओर से कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 के निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा दस्तावेज की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 52 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2023 जो 14 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 179(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2022 जो 10 अक्टूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 772(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (8) सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 44 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) संशोधन नियम, 2023 जो 24 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 126(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) संशोधन नियम, 2022 जो 10 अक्टूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 771(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (9) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पादक मानक और खाद्य योजक) दूसरा संशोधन विनियम, 2023, जो 22 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसटीडी/एफए/ए-1.30/सं.1/2020-एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) नॉर्थ इस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) नॉर्थ इस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 52 और सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 44 के अंतर्गत निम्नलिखित

अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ. 16(अ) जो 4 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के सदस्यों के रूप में, उसमें उल्लिखित सदस्यों को अधिसूचित किया गया है।
- (दो) का.आ. 5885(अ) जो 16 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के सदस्यों के रूप में, उसमें उल्लिखित विशेषज्ञों को अधिसूचित किया गया है।
- (तीन) का.आ. 3700(अ) जो 4 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के सदस्यों के रूप में, उसमें उल्लिखित विशेषज्ञों को अधिसूचित किया गया है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) अधिसूचना सं. 16/2023-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जो 3 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पेट्रोलियम कूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क को कम करने के आशय वाली दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (2) अधिसूचना सं. 17/2023-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जो 3 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने से संबंधित दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 04/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

4. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

डॉ. सत्यपाल सिंह ने लोक लेखा समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) 'सौर तापीय विद्युत संयंत्र का अनुपयोग' संबंधी 61वां प्रतिवेदन।
- (2) 'तदर्थ बोनस का अनियमित भुगतान' संबंधी 62वां प्रतिवेदन।
- (3) 'वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लोक लेखा समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन' के बारे में लोक लेखा समिति के 5वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 63वां प्रतिवेदन।
- (4) 'स्रोत पर कर की कटौती नहीं किये जाने' के बारे में लोक लेखा समिति के 45वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 64वां प्रतिवेदन।
- (5) 'लक्षद्वीप द्वीपसमूह में विद्युत का उत्पादन और वितरण' के बारे में समिति के 46वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 65वां प्रतिवेदन।

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कपिल मोरेश्वर पाटील) ने ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री गिरिराज सिंह) की ओर से पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

6. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023.

अपराहन 2.05 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

- (1) डॉ. कृष्ण पाल सिंह यादव द्वारा मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा के समीप अवस्थित राजघाट बांध क्षेत्रों के वाटर स्पोर्ट्स जोन के विकास के बारे में।
- (2) श्री सुरेश पुजारी द्वारा संबलपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने के बारे में।
- (3) श्री पी.पी. चौधरी द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद हृदयगति रुकने से मृत्यु के बढ़ते मामलों की जांच के लिए एक चिकित्सा अनुसंधान समिति का गठन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री उन्मेश बी. पाटिल द्वारा महाराष्ट्र में नर-पर-गिरना लिंक परियोजना के निर्माण एवं कार्यान्वयन के बारे में।
- (5) श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा ओडिशा में किसानों से धान की खरीद के बारे में।
- (6) श्री संजय सेठ द्वारा झारखंड और आसपास के राज्यों में हाथी गलियारे बनाए जाने की आवश्यकता ।
- (7) श्री सुनील कुमार सोनी द्वारा रायपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के बंद पड़े सीमेंट प्लांट की भूमि का औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी गांवों और बस्तियों का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री विजय बघेल द्वारा सेबी द्वारा सहारा समूह के निवेशकों का पैसा वापस किये जाने के

बारे में।

- (10) श्री रमाकान्त भार्गव द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल में एम्स में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री तपन कुमार गोगोई द्वारा शिवसागर, असम में प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों के विकास किए जाने के बारे में।
- (12) श्री विवेक नारायण शेजवलकर द्वारा रेलगाड़ी संख्या 22197/22198 और 19305/19306 के मार्ग में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री रमेश चन्द्र कौशिक द्वारा हरियाणा के जींद में एक पासपोर्ट सेवा कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री रवि किशन द्वारा गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ियों के ठहराव को बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री विनोद कुमार सोनकर द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री अब्दुल खालेक द्वारा जम्मू और कश्मीर सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभागों के सामुदायिक सूचना केन्द्र संचालकों की दुर्दशा के बारे में।
- (17) श्री के. मुरलीधरन द्वारा केरल में वंदे भारत रेलगाड़ियां चलाए जाने के बारे में।
- (18) श्री सी.एन. अन्नादुरई द्वारा तिरुवन्नामलाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आदिवासियों के उत्थान के लिए परियोजनाओं के बारे में।
- (19) डॉ. डी.एन.वी. सैथिलकुमार एस. द्वारा अरुलमिगु तीर्थगिरिश्वर मंदिर को प्रसाद योजना में शामिल किए जाने के बारे में।
- (20) श्री कोटागिरी श्रीधर द्वारा अग्निपथ जैसी योजना का अन्य सरकारी विभागों में विस्तार किए जाने के बारे में।

- (21) श्री राहुल रमेश शेवाले द्वारा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीपी) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्रदान किए जाने के बारे में।
- (22) श्री अजय कुमार मंडल द्वारा बिहार के भागलपुर में रेलवे का एक मंडल कार्यालय स्थापित किए जाने और भागलपुर से राजधानी या वंदे भारत रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता।
- (23) श्रीमती संगीता आज़ाद द्वारा उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (24) श्री नटराजन पी.आर. द्वारा एफसीआई के गोदामों को किराए पर दिए जाने की नीति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (25) श्री नव कुमार सरनीया द्वारा आदिवासी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.06 बजे

*(व्यवधान के कारण लोक सभा गुरुवार, 6 अप्रैल, 2023
के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 06 अप्रैल, 2023/ 16 चैत्र, 1945 (शक)

संख्या 230

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. विदाई संबंधी उल्लेख*

अध्यक्ष ने सत्रहवीं लोक सभा के ग्यारहवें सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

2. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

(लोक सभा पूर्वाह्न 11.07 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।